[2020] 10 एस. सी. आर. 923

भारत संघ

वी.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

(2020 की आपराधिक अपील No.200)

अगस्त 28,2020

[संजय किशन कौल और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-एस. एस. 22 (1) (घ), 32-अध्याय 4 के तहत संज्ञेय अपराध-अभियोजन और गिरफ्तारी-आयोजितः में।एस का दृश्य। 32 और सी. आर. पी. सी. की योजना, पुलिस अधिकारी नहीं कर सकते ऐसे अपराधों के संबंध में अपराधियों पर मुकदमा चलाएँ-केवल एस में उल्लिखित व्यक्ति। 32 ऐसा करने के हकदार हैं-एक पुलिस अधिकारीएफ. आई. आर. दर्ज नहीं कर सकते / s.154, सी. आर. पी. सी., के तहत ऐसे अपराधों की जांच करें एस के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सी. आर. पी. सी. 22 (1) (घ) गिरफ्तारी की जा सकती है।बिना किसी वारंट के मादक पदार्थ निरीक्षक द्वारा ऐसे अपराध औरअन्यथा इसे संज्ञेय अपराध के रूप में मानना-आगे के निर्देशजारी किया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.154-संविधान भारत का-कला। 142 , 21 , 22 (1) , (2) .

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 - धारा 32,18 (ए) (आई), 27-यू/एस. एस. अपराधों के लिए एफ. आई. आर. 18 (क) (i), 27 प्रत्यर्थी के खिलाफ-मेडिकल दुकान का मालिक उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए रद्द कर दिया गया कि एस। 32 तंत्र होने के नाते अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और सीआरपीसी के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है-आयोजितः विवादित फैसलाबरकरार रखा गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-जिसका उद्देश्य थाः 1940 अधिनियम का उद्देश्य दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण, बिक्री को विनियमित करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-अध्याय III, IV, IV-A, V; एसएस। 3 (बी), 3 (ई), 13,18,21,22-27,27 ए, 28,28 ए, 28 बी, 29,30-32,32 बी, 33 एच, 33 एम, 36,36 ए, 36 एबी, 36 एसी, 36 एडी-अधिनियम की योजना -चर्चा की।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-अध्याय V, XI, XII, XIV, XV, XVI। 4 (2) , 41 , 154-162 , 167 , 169 , 170 , 173 , 177 , 178 , 190 , 193 , 195 , 198A, 199,200,202-204,207-209-के बीच परस्पर क्रिया सी. आर. पी. सी. और 1940 अधिनियम-चर्चा-औषधि और

प्रसाधन सामग्री के प्रावधान अधिनियम, 1940-ss. 22 , 32 , 34 एए, 36 एसी-ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स-आरआर। 49 , 51 , 52 .

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस. 5-आयोजित का उद्देश्य: एस का उद्देश्य। 5 कि यदि उस समय के लिए कोई विशेष कानून या स्थानीय कानून है लागू होने पर किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति या किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया पर विचार किया जाता है, जब तक कि कुछ विपरीत नहीं पाया जाता है, यह विशेष कानून या स्थानीय कानून के प्रावधान हैं जो प्रबल होते हैं।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 - धारा 2-चर्चा किए गए खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उद्देश्य।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-अध्याय 4, एस. 32-आयोजित: धारा 32 घोषणा करती है कि अध्याय IV के तहत अभियोजन शुरू किया जा सकता है केवल एक निरीक्षक, एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में अधिकृत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी, पीड़ित व्यक्ति और एक मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा, चाहे वह व्यक्ति उस संघ का सदस्य हो या नहीं।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-अपराधों का संज्ञान अपराधों के बीच तुलना। 32 , 1940 अधिनियम और एस। 190 , सीआरपीसी-चर्चा की गई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 190 . दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-अध्याय XV, XVI-अंत: अपराधों के संबंध में भी अध्याय XV और XVI का पालन किया जाना चाहिए। अध्याय IV, 1940 अधिनियम-औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-अध्याय IV के अंतर्गत आता है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.202 (1), (2)-का प्रभाव-चर्चा की।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940-चैप्टर IV के तहत संज्ञेय अपराध-पुलिस अधिकारी का कर्तव्य s.154, दंड प्रक्रिया संहिता चाहे जो भी हो

क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रभाव-चर्चा की गई-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 154 .

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.170-आह्वान के लिए आवश्यकता-आयोजित: एस का आह्वान करने के लिए कार्डिनल आवश्यकता। 170 क्या उपलब्धता है

पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ शक्ति-यह प्रमुख आवश्यकता/अध्याय IV, 1940 अधिनियम-औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत आने वाले अपराध के मामले में अनुपस्थित है।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 - एस. 22-निरीक्षक की शक्तियाँ

- चर्चा की। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 - s.36AC-आयोजित: एस का अवलोकन। 36 ए. सी. स्पष्ट करता है कि अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर विचार किया जा रहा है

एस में अधिनियमित जमानत देने के लिए शर्तें लगाई गई हैं। 36 एसी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-अध्याय V, XXXIII के तहत गिरफ्तारी और जमानत की शक्ति। 41 , 41 ए, 41 बी, 41 डी, 42,43,436,437,439-चर्चा-दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन)

अधिनियम, 2008।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940-यू/चैप्टर IV के अंतर्गत नहीं आने वाले अपराध s.36AC-गिरफ्तारी-आयोजित: ऐसे अपराधों के संबंध में,गिरफ्तारी की शक्ति अनुसूची के प्रावधान पर निर्भर करेगी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 - s.34AA-किसी अपराधी अधिकारी से मिलने के लिए जुर्माने के साथ गिरफ्तारी का आधार नहीं है-आयोजित: वहाँ एक है

एस में अवशिष्ट शक्ति। 34 एए और यह किसी भी अधिनियम को शामिल करेगा।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940-ड्रग्स इंस्पेक्टरों द्वारा गिरफ्तारी-रिपोर्टिंग की आवश्यकता-आयोजित: मादक पदार्थ निरीक्षकों को केवल गिरफ्तारी की सूचना नहीं देनी चाहिए, जैसा कि एस में दिया गया है। 58 , सी. आर. पी. सी., लेकिन तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी सूचना दें-दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 - एस. 58.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 विश्लेषण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ("अधिनियम") का उद्देश्य है

आयात, निर्माण को विनियमित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए,

दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का वितरण और बिक्री। शब्द ड्रग्स

धारा 3 (बी) में परिभाषित किया गया है। धारा 3 (ई) निरीक्षक को परिभाषित करती है। अध्याय III में ऐसे प्रावधान हैं जो मान लेने के लिए प्रावधान करते हैं।

गलत ब्रांडेड दवाओं, मिलावटी दवाओं, नकली दवाओं की परिभाषाएँदवाओं, गलत ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन और नकली सौंदर्य प्रसाधन

अध्याय III का उद्देश्य। धारा 13 उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए प्रावधान करती है।

आयात से बाहर। अध्याय IV अध्याय शीर्षक के अंतर्गत आता है।

" दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण, बिक्री और वितरण "। दिलचस्प बात यह है कि गलत ब्रांड वाली दवाएं, मिलावटी दवाएं, नकली

दवाओं, गलत ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों और नकली सौंदर्य प्रसाधनों, मिलावटी सौंदर्य प्रसाधनों को [2020] 10 एस. सी. आर. के लिए अध्याय IV में पाए गए प्रावधानों द्वारा परिभाषित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अध्याय IV का उद्देश्य। धारा 18 में विचार किया गया है कि ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाए, बिक्री या वितरण के लिए निर्माण, या बेचने के लिए, या गलत ब्रांडेड, मिलावटी, नकली दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री या वितरण के लिए भंडारण या प्रदर्शन या प्रस्ताव अन्य बातों के साथ-साथ निषिद्ध हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है

इस संबंध में प्रासंगिक नियम। नियम (49) निरीक्षकों की योग्यताओं से संबंधित है। नियम (51) बिक्री के संबंध में निरीक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है। नियम (52) निर्माता के संबंध में निरीक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 22 निरीक्षक की शक्तियों से संबंधित है।

धारा 23 में प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान है -

इंस्पेक्टर। इसमें अध्याय के तहत किसी दवा या सौंदर्य प्रसाधन का नमूना लेने पर उचित मूल्य की निविदा शामिल है। निरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कई अन्य प्रावधान हैं जिनमें रिकॉर्ड/रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तुओं को जब्त करना और न्यायिक मजिस्ट्रेट [धारा 23 (6)] को सूचित करने की आवश्यकता शामिल है। धारा 27 में अध्याय IV के उल्लंघन में दवा के निर्माण, बिक्री आदि के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 27 ए, 28,28 ए, 28 बी और 29 अन्य अपराधों के लिए प्रावधान करती हैं। धारा 30 बाद के मामले में दंड का विचार करती है। अपराध। धारा 31 अभिग्रहण से संबंधित है। धारा 32 बी कुछ अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान करती है। [पारस 10-15] [958-B-C, E G; 959-D-E; 960-B, H; 961-E-F; 963-E-G; 966-B-C]

1.2 अध्याय IV-ए में "आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं से संबंधित प्रावधान" का प्रावधान है। इसमें अध्याय IV-ए के उद्देश्य के लिए प्रावधान भी शामिल हैं जो मानित परिभाषाओं से संबंधित हैं।

गलत ब्रांडेड ड्रग्स, मिलावटी ड्रग्स, नकली ड्रग्स और बनाए गए अपराध हैं। धारा 33 जी नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है -

केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निरीक्षक। धारा 33 एच आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के संबंध में धारा 22,23,24 और 25 और उसके तहत नियम, यदि कोई हो, के प्रावधान को लागू करती है। अधिनियम का अंतिम अध्याय अध्याय है।

V. इसका अध्याय शीर्षक "विविध" है। धारा 36 घोषणा करती है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों से अधिक सजा दे सकता है। धारा 36 ए में प्रावधान है कि कुछ अपराधों पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जाना है। धारा 36 एबी विशेष न्यायालयों के लिए प्रावधान करती है। यह घोषणा करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कुछ अपराधों के लिए एक या अधिक सत्र न्यायालय को भारत संघ के रूप में नामित करेगी।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

उप-धारा (1) के अंतर्गत आती है जो उसी मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ आरोपित की जा सकती है। धारा 36 ए. डी. भी प्रासंगिक है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को लागू करने का प्रावधान करती है।विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही। [पारस 16-18] [966-G-H; 967 C-D; 968-E-F]

2.1 सीआरपीसी के संबंधित प्रावधान

धारा 2 (ए) "जमानती अपराध" को पहली अनुसूची में दिखाए गए अपराध के रूप में परिभाषित करती है, या जिसे किसी भी धारा के तहत जमानती बनाया जाता है। उस समय लागू अन्य कानून। “ गैर-जमानती अपराध का अर्थ है कोई अन्य अपराध। संज्ञेय अपराध 'को धारा में परिभाषित किया गया है।

2 (सी)। धारा 2 (डी) 'शिकायत' को परिभाषित करती है। ‘ पुलिस रिपोर्ट 'को धारा 2 (आर) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है धारा 173 की उप-धारा (2) के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। बारहवाँ अध्याय 'पुलिस को सूचना और जाँच करने की उनकी शक्तियाँ' शीर्षक के तहत आता है। धारा 154 अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रदान करती है कि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी गई संज्ञेय अपराध करने से संबंधित प्रत्येक जानकारी उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित होगी, और सूचना देने वाले को पढ़ी जाएगी। ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में दी गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। उसी का सार एक पुस्तक में दर्ज किया जाना है जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रपत्र में रखा जाना है जो निर्धारित किया जाए। धारा 155 गैर-संज्ञेय मामलों और ऐसे मामलों की जाँच के तरीके के बारे में जानकारी से संबंधित है। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी गैर-संज्ञेय अपराध की जांच नहीं कर सकता है, जिसे ऐसे मामले की सुनवाई करने या मुकदमे के लिए ऐसा मामला करने की शक्ति है। [पारस 19-23] [969-C, E; 970-A, E-F]

2.2 धारा 157 जांच के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करती है। धारा 161 के तहत दिए गए कथन के उपयोग की सीमाओं को धारा 162 में वर्णित किया गया है। धारा 173 में जांच पूरी होने पर रिपोर्ट देने का

प्रावधान है। अध्याय XIV "कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों" से संबंधित है। धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों के संज्ञान का प्रावधान करती है। अध्याय XV मजिस्ट्रेटों को शिकायतों से संबंधित है। अध्याय XVI अध्याय शीर्षक "प्रारंभ की शुरुआत" के तहत आता है।

मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही "। धारा 204 "अंक [2020] 10 एस. सी. आर". से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया का "ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेते हुए यह विचार है कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

बात है। सी. आर. पी. सी. की पहली अनुसूची के भाग 2 को नोटिस करना भी प्रासंगिक हो सकता है। यह याद रखना चाहिए कि संज्ञेय अपराध को पहली अनुसूची के तहत अपराधों के वर्गीकरण के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। पहली अनुसूची का पहला भाग भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से संबंधित है। दूसरा भाग, जैसा कि यह था, अन्य कानूनों के खिलाफ अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। सी. आर. पी. सी. की धारा 4 (2) घोषणा करती है कि आई. पी. सी. के अलावा किसी भी कानून के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी और मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा सी. आर. पी. सी. के अनुसार निपटा जाएगा। हालाँकि, यह उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन है जो आई. पी. सी. के अलावा किसी अन्य कानून के तहत अपराधों के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ जांच के तरीके या स्थान के मामले में अन्यथा प्रावधान करता है। धारा 5 का उद्देश्य यह है: यदि तत्काल लागू कोई विशेष कानून या स्थानीय कानून किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति या निर्धारित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप पर विचार करता है, जब तक कि इसके विपरीत कुछ नहीं पाया जाता है, तो यह विशेष कानून या स्थानीय कानून के प्रावधान हैं जो प्रबल होंगे। [पारस 24-28] [971-C-D, G; 972-E-F; 973-D-F]

3. अधिनियम की धारा 2 का प्रभाव

अधिनियम की धारा 2 में घोषणा की गई है कि अधिनियम के प्रावधान खतरनाक प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।

मादक पदार्थ अधिनियम 1930 और उस समय लागू कोई अन्य कानून। जहाँ तक अधिनियम की धारा (2) का संबंध है, यदि अपीलार्थी का प्रयास यह तर्क देना है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को आयात करता है जो विशेष रूप से किसी विशेष प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

अधिनियम के तहत, न्यायालय को इसे वापस लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। धारा 2 का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि विधानमंडल का उद्देश्य खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 के प्रावधानों को जीवित रखना था। अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद इसका प्रभाव बना रहेगा। यदि अधिनियम द्वारा

निपटाए गए विषयों से संबंधित संज्ञानात्मक कानूनों के कोई अन्य प्रावधान हैं, तो उन अधिनियमों के संचालन को संरक्षित किया जाना था। इस अधिनियम में किसी भी अधिनियम को स्पष्ट रूप से निरस्त करने का प्रावधान नहीं है। [पैरा 29] [973-जी-एच; 974-ए-बी] भारत संघ बनाम।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

4.1 अधिनियम की धारा 32

अधिनियम की धारा 32 अध्याय IV में आती है। निरीक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाती है

संबंधित सरकार द्वारा उस सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में अधिकृत सरकार (3) पीड़ित व्यक्ति (4) एक मान्यता प्राप्त उपभोक्ताएसोसिएशन चाहे वह व्यक्ति उस एसोसिएशन का सदस्य हो या नहीं। धारा 32 आगे घोषणा करती है कि जब तक यह अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक सत्र न्यायालय से हीन कोई भी न्यायालय अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा नहीं चलाएगा। धारा 32 (3) यह स्पष्ट करती है कि अध्याय 4 की कोई भी बात उस व्यक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी जिसके खिलाफ किसी अन्य कानून के तहत किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है जो इस अध्याय के खिलाफ अपराध है। धारा 32

2008 के अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 190 का शीर्षक 'मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान' भी है। धारा 190 के तहत संज्ञान पर तीन अलग-अलग तरीकों से विचार किया जाता है। वे हैं-(1) ऐसे अपराधों को गठित करने वाले तथ्यों की शिकायतें, (2) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट, (3) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी भी जानकारी पर।

या किसी न्यायालय के बारे में जानकारी होने पर अपराध का कमीशन। दूसरे शब्दों में, जहां अदालत स्वतः संज्ञान लेती है। धारा 32 के बीच एक तुलना

अपराधों के संज्ञान से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता का अधिनियम और 190, [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह बहुत स्पष्ट करता है कि कानून प्रदाता ने अपराधों के अभियोजन के संबंध में अलग-अलग तरीकों का प्रावधान किया है

सामान्य कानून, अर्थात। , सी. आर. पी. सी. और अधिनियम की धारा 32 में निहित विशेष प्रावधान। सी. आर. पी. सी. की धारा 193 में प्रावधान है

सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 195

न्यायालय को उसमें उल्लिखित अपराधों का कोई भी संज्ञान लेने से प्रतिबंधित करता है, सिवाय उसमें नामित व्यक्तियों द्वारा लिखित शिकायत के। धारा 198ए और धारा 199 भी इसी तरह न्यायालयों को केवल उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेने की अनुमति दें। इसी तरह, धारा 199 मानहानि के अपराध के संज्ञान को वर्जित करती है सिवाय इसके कि

विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के संबंध में अधिनियम में अन्यथा उपबंधित सत्र न्यायालय माना जाता है और अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परंतुक अधिकार देता हैकेंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए। अधिनियम की योजना को तब ध्यान में रखा जाना चाहिए जब धारा 32, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान करती है कि एक निरीक्षक गेंद को घुमा सकता है, पर विचार किया जाता है। अधिनियम के तहत निरीक्षकों के पास निर्धारित योग्यताएँ होनी चाहिए। योग्यताएँ विशेष कर्तव्यों के निष्पादन के साथ एक संबंध रखती हैं जो होने हैं

अधिनियम के तहत किया गया। जाहिरा तौर पर, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में ज्ञान उन्हें अपने विविध कार्यों को करने के लिए सुसज्जित करने में एक लंबा रास्ता तय करता है। धारा 22 निरीक्षक को कपड़े पहनती है

शक्तियों को विधायी के संदर्भ में भी इस प्रकार देखा जाना चाहिए

मूल्य निर्णय कि एक शिकायत अधिनियम के तहत निरीक्षक द्वारा दायर की जानी है न कि सीआरपीसी के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा। निरीक्षक से उन परिसरों का निरीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है जहां दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण, बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन, बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है या वितरित किया जा रहा है। नमूने विनिर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण के स्थानों पर लिए जाने हैं। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि जहां उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, वे किसी भी व्यक्ति की तलाशी लें, किसी भी स्थान पर प्रवेश करें, किसी भी वाहन को रोकें और तलाशी लें, रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करें और उसे जब्त कर लें। अंत में, धारा 22 (1) (डी) घोषणा करती है कि वह भारत संघ v की अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

4.3 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 का अवलोकन उस भूमिका को इंगित करेगा जो किसी भी व्यक्ति और मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ को निम्नलिखित अर्थों के भीतर

सौंपी गई है -धारा 32. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 घोषित करती है कि आवेदन पर, कोई भी व्यक्ति या कोई मान्यता प्राप्त व्यक्ति

उपभोक्ता संघ, निर्धारित तरीके से और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, सरकार द्वारा खरीदी गई किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन को सरकारी विश्लेषक को परीक्षण या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करने का हकदार है।

पहले के पंजीकरण के लिए सूचना रिपोर्टसूचना रिपोर्ट, जांच धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट में समाप्त होती है। पुलिस रिपोर्ट, वास्तव में, अदालत को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है। के तहत

सी. आर. पी. सी. की धारा 190 पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है

पुलिस रिपोर्ट का आधार। ऐसी प्रक्रिया अधिनियम की धारा 32 से परे है। दूसरे शब्दों में, पुलिस अधिकारी के लिए धारा 32 के तहत अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। धारा 32 (3) के तहत विचार किए गए अपराधों के संबंध में, पुलिस अधिकारी के पास संबंधित प्रावधानों के अनुसार शक्ति हो सकती है। एक विशेष अधिनियम होने के कारण, अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने का तरीका अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 32 घोषित करती है कि कोई भी न्यायालय न्यायालय [2020] 10 एस. सी. आर. से कम नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सत्र आयोग अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा चलाएगा। सी. आर. पी. सी. की धारा 193 के तहत, कोई भी सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि मामला सी. आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया गया हो। यह, निस्संदेह, उस कानून के अधीन है जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सत्र न्यायालय किसी भी अपराध का मूल क्षेत्राधिकार न्यायालय के रूप में संज्ञान ले सकता है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विशेष न्यायालय जो सत्र न्यायालय है, को अध्याय IV के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है। इसका मतलब यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV और XVI के प्रावधानों का पालन इसके तहत आने वाले अपराधों के संबंध में भी किया जाना चाहिए। अधिनियम का अध्याय IV। शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से संबंधित अधिनियम की धारा 200 से शुरू करते हुए, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए गवाहों की जांच भी शामिल है,

धारा 203 के तहत एक अयोग्य शिकायत को खारिज करना और प्रक्रिया जारी करने के मामले में धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन करना सभी कदम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। यह.यह सच है

कि जब धारा 32 के तहत शिकायत या तो निरीक्षक द्वारा या धारा 200 के तहत लोक सेवक होने के नाते अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा दायर की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने से छूट दी जाती है। [पारस 38-40] [977-A H; 978-A-B]

4.4 धारा 202 के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के संबंध में, विशेष रूप से

सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, धारा 202 की उप-धारा (1) का परंतुक धारा 202 के तहत जांच के निर्देश को प्रतिबंधित करता है। धारा 202 की उप-धारा (2) के परंतुक में यह विचार किया गया है कि जब कोई अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होता है, और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत आगे बढ़ता है, तो वह शिकायतकर्ता से अपने सभी प्रावधानों को प्रस्तुत करने के लिए कहने के लिए बाध्य है। गवाहों और शपथ पर उनकी जाँच करें। इस प्रकार, दोनों का प्रभाव

उप-धारा (1) और (2) में प्रावधान क्रमशः इस प्रकार हैं: सी. आर. पी. सी. की धारा 202 के तहत कार्यवाही करने वाला मजिस्ट्रेट है

दो शर्तों के अधीन:

ए। एक साधारण मामले के विपरीत, जिसका अर्थ है, एक ऐसा अपराध जो किसी मामले में विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं है।जहां यह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध है, वहां जांच केवल एक मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती है।

यह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम है। अशोक कुमार शर्मा और अन्य

वह किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच कराने के लिए तैयार नहीं है।

बी। उसके द्वारा इस प्रकार की गई जाँच के संबंध में, उसे शिकायतकर्ता से अपने सभी गवाहों को पेश करने के लिए कहना चाहिए और वे

जाँच किसी शपथ पत्र के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, और शपथ के समर्थन के बिना नहीं, लेकिन जाँच एक के तहत होनी चाहिए

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को आम तौर पर पुलिस रिपोर्ट के बल पर चलाया जाता है। पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों से पूछताछ करता है। अन्य साक्षय एकत्र करता है, इस संतुष्टि पर पहुँचता है कि वास्तव में

मामला किसी व्यक्ति या व्यक्ति को आरोपित करने के लिए बनाया जाता है और तदनुसार, धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया जाता है। संहिता की धारा 207 सभी के बयान उपलब्ध कराने पर विचार करती है -अभियुक्त को उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ गवाहों की जांच की जाएगी जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। यह अभियुक्त को तैयार करता है।

इस मामले के लिए उन्हें सत्र न्यायालय में मिलने के लिए बुलाए जाने की संभावना है। जहाँ तक आपराधिक कानून को लागू करने वाले शिकायतकर्ता का संबंध है, जो विचार किया जाता है वह यह है कि धारा 202 के साथ पठित धारा 200 के तहत संज्ञान के तंत्र द्वारा, जो धारा 204 के तहत समन या वारंट जारी करने में समाप्त होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष सामग्री है और अदालत को आश्वस्त किया जाता है कि मामला तुच्छ नहीं है और पूरी तरह से योग्यता रहित है जो निस्संदेह प्रथम दृष्टया एक संज्ञानात्मक अपराध के संबंध में उस स्तर पर कानून में विचार किया गया है। इसके अलावा, आश्वस्त करने वाला पहलू, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट के तहत शुरू किए गए अभियोजन में, सत्र न्यायालय द्वारा एक मुकदमे में आरोपी, जिसके लिए अदालत धारा 209 के तहत एक मामला प्रतिबद्ध होगी, को भी पहले से पता होगा कि उसे उस मामले को देखना होगा जो मजिस्ट्रेट के साथ सामग्री के संबंध में है और जो अधिनियम की धारा 208 के तहत उसे उपलब्ध कराया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को इस तर्क पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के निर्देश को जांच [2020] 10 एस. सी. आर. के परिणामस्वरूप वर्जित नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक निर्देश के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट नहीं होगी। यह इस कारण से है कि विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध होने के कारण, जैसा कि पहले देखा गया है, मजिस्ट्रेट के निर्देश के खिलाफ एक प्रतिबंध है।

पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 202 के तहत या अन्यथा जांच। [पारस 41-43] [978-D-H; 979-A-G]

4.5 अधिनियम गिरफ्तारी पर विचार करता है। धारा 36 एसी स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि कुछ अपराध गैर-जमानती हैं। धारा 36 एसी (बी) घोषणा करती है कि उल्लिखित अपराधों का कोई भी व्यक्ति अभियुक्त नहीं है। उसमें जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है

ऐसी रिहाई का आवेदन और जहां लोक अभियोजकविरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि उचित आधार हैं

यह विश्वास करने के लिए कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत देने पर यह सीमा सी. आर. पी. सी. के तहत या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अलावा है। हालाँकि, सी. आर. पी. सी. की धारा 439 के तहत जमानत देने के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को संरक्षित किया गया है जैसा कि उसमें पाया गया है। [पैरा 45] [980-ई-एफ]

5. सी. आर. पी. सी. के बारहवें अध्याय का शीर्षक "पुलिस को सूचना और जाँच करने की उनकी शक्तियाँ" है। द.

अध्याय धारा 154 के साथ शुरू होता है जिसका शीर्षक "संज्ञेय मामलों में सूचना" है। यह घोषणा करता है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दिए गए संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक जानकारी, यदि मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे लिखित में कम किया जाना चाहिए और चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखित में कम की गई हो, सूचना देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। धारा 154 सी. आर. पी. सी. के प्रमुख तत्वों पर ध्यान दिया जा सकता है। एक संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी तक पहुँचती है, जिसे आमतौर पर संज्ञेय अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना बयान के रूप में समझा जाता है, जहाँ तक एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी का संबंध है, गेंद को घुमाने के लिए निर्धारित करता है। अध्याय में नोटिस करने के लिए अगला प्रावधान धारा 156 है। इसमें प्रावधान है कि किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच कर सकता है, जिसके भीतर एक अदालत, जिसकी सीमा के भीतर एक स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है।

ऐसे स्टेशन को भारत संघ v के तहत पूछताछ करने या प्रयास करने की शक्ति होगी।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

अध्याय XIII के प्रावधान। वास्तव में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177, जो आपराधिक न्यायालयों की जांच और मुकदमे की अधिकारिता से संबंधित अध्याय XIII की पहली धारा है, घोषणा करती है कि प्रत्येक

अपराध की जांच और मुकदमा आम तौर पर उस अदालत द्वारा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था। इस प्रकार, आम तौर पर, यह पुलिस अधिकारी होता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संज्ञेय अपराध किया जाता है, उसके पास उस अपराध की जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा। धारा 178 के बाद धारा 177 के अपवादों का प्रावधान है। उप-धारा (2) पुलिस की कार्यवाही की घोषणा करती है।संज्ञेय अपराध के मामले में अधिकारी को किसी भी स्तर पर इस आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने का उसे प्रावधान के तहत अधिकार नहीं था। अंत में, उप-धारा (3) में प्रावधान है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो धारा 190 के तहत सशक्त है, ऐसी जांच का आदेश दे सकता है जो -

अधिकारी को उप-धारा (1) के तहत कार्य करना है। सी. आर. पी. सी. की धारा 157 'जाँच के लिए प्रक्रिया' शीर्षक वाली धारा के तहत आती है। खंड के मुख्य भाग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है -

(i) किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास प्राप्त जानकारी से अपराध होने का संदेह करने का कारण हो सकता है। उसके पास किसी भी जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि अन्यथा संज्ञेय अपराध के होने पर संदेह करने का कारण भी हो सकता है। ((ii) जहाँ तक जानकारी का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से संबंधित है -

ऐसी जानकारी जो धारा 154 के अर्थ में उसे प्रदान की गई हो। जिन मामलों में वह अपने ज्ञान पर कार्य करता है, वे अभिव्यक्ति द्वारा अन्यथा शामिल किए जाएंगे। (iii) अपराध एक अपराध होना चाहिए जिसे वह धारा 156 के तहत सशक्त करता है -

जाँच करें। एक पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक संज्ञेय अपराध की जांच करने का अधिकार है। जहां तक गैर-संज्ञेय अपराध का संबंध है, वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे अपराध की जांच नहीं कर सकता है, जिसे मुकदमा चलाने की शक्ति है।या मुकदमे के लिए मामला सौंप दें। ((iv) हालांकि, एक पुलिस अधिकारी जो मामले की जांच करने का कार्य करता है, वह पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को तुरंत इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य है। इस मामले के तथ्यों में यह ध्यान देना तुरंत प्रासंगिक है कि यह अपरिहार्य तत्व मौजूद नहीं है। यह इस कारण से है कि अधिनियम की धारा 32 के तहत, एक मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 158 सी. आर. पी. सी. [2020] 10 एस. सी. आर. को रिपोर्ट भेजने के तरीके के बारे में बताती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट। यह राज्य सरकार द्वारा जारी एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शासित मामला है। काफी स्पष्ट रूप से धारा 158 भी अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले संज्ञेय अपराध के मामले में लागू नहीं हो सकती है। धारा 159 मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने पर सक्षम बनाती है -

प्रत्यक्ष जाँच या यदि वह तुरंत आगे बढ़ने के लिए उचित समझता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ने के लिए प्रतिनियुक्त करता है, तो

मजिस्ट्रेट को सूचित किया। यह एक आश्वासन के रूप में कार्य करता है कि रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है और अभियुक्तों के अधिकारों को सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है। धारा 159 का उद्देश्य मजिस्ट्रेट को जाँच पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना भी है। ये सभी पहलू अप्रासंगिक हैं और अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट दोनों के लिए सीमा से बाहर हैं। धारा 160 अध्याय के तहत जांच को संदर्भित करती है, अर्थात। , अध्याय बारहवाँ। धारा 161 गवाहों की जाँच और बयानों को लेखन तक कैसे सीमित किया जाए, इसके बारे में बताती है। फिर से, धारा 161 एक के बारे में बात करती है अध्याय बारहमाके अधीन कयल गेल जाँच। धारा 161 के तहत किस कथन का उपयोग किया जा सकता है और उस पर सीमा को धारा 162 सी. आर. पी. सी. में लिखा गया है। धारा 157 पर वापस लौटते हुए, न्यायालय ने पुलिस अधिकारी द्वारा एक संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी द्वारा विचार किए जाने के संदेह के कारण के बारे में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है, जिस पर मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेना है। यह याद रखें कि मजिस्ट्रेट

शिकायत, पुलिस रिपोर्ट या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान ले सकते हैं।

एक पुलिस अधिकारी या अन्यथा। धारा 157 प्रतीत होती है कि धारा 154 के तहत प्राप्त जानकारी या किसी संज्ञेय अपराध के बारे में अन्यथा प्राप्त जानकारी पर विचार करना, पुलिस अधिकारी को जांच करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना उन मामलों तक सीमित हो जाता है जहां अधिकारी पुलिस रिपोर्ट भेजने का इरादा रखता है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 32 के तहत संज्ञान लेने के संबंध में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पुलिस रिपोर्ट के लिए कोई जगह नहीं है।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

और यदि आवश्यक हो, तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करना। लेकिन प्रावधानों को पढ़ने पर, न्यायालय इस स्पष्ट धारणा को इकट्ठा करता है कि कानून देने वाले ने अधिकार प्राप्त कर लिए हैंपुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना किसी संज्ञेय अपराध के मामले में जांच करेगा, जहां वह अंततः एक उपयुक्त मामले में चाहता है कि न्यायालय उस सामग्री के आधार पर संज्ञान ले जो वह एकत्र करता है और एक पुलिस रिपोर्ट प्रेषित करता है। यदि न्यायालय की यह धारणा त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो एक अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध के मामले में, हालांकि यह संज्ञेय होगा, एक पुलिस अधिकारी के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं होगी -

मामले की जांच करें। धारा 169 हिरासत में किसी व्यक्ति को रिहा करने के कर्तव्य के बारे में बात करती है यदि यह जांच में पाया जाता है कि कोई पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है।

मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेंगे। अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के मामले में यह प्रमुख आवश्यकता अनुपस्थित है। इसलिए लिंक फट जाता है। धारा 173 पुलिस अधिकारी के लिए जांच पूरी होने पर रिपोर्ट के बारे में बताती है। धारा 173 (5) को धारा 170 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात ऐसे मामले में जहां धारा के लिए पर्याप्त सामग्री है।संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा चलाना, दस्तावेज और

गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट को भेजे जाने हैं जैसा कि उसमें दिया गया है। सी. आर. पी. सी. की धारा 190 पहले से ही लागू है

नोट किया। धारा 154,156,157,158,159,160,161,170 और 173 संज्ञेय अपराधों की जांच को सशक्त बनाने और आवश्यक बनाने के लिए प्रावधानों की एक योजना का हिस्सा हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (बी) के अर्थ के भीतर एक पुलिस रिपोर्ट में समाप्त होती हैं।

हालाँकि, अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों के संबंध में जो लागू होता है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 नहीं है, बल्कि अधिनियम की धारा 32 है जो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की अनुमति नहीं देती है।

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. आई. आर. के आधार पर एक पुलिस अधिकारी की कार्यवाही की पूरी कवायद व्यर्थ हो जाती है। कानून में इसका विचार नहीं किया गया है। इसलिए यह

अनधिकृत हो जाता है। [पारस 62-64] [993-E-H; 994-A-C; 995 A-H; 996-A-H; 997-A-D]

6. ललिता कुमारी बनाम सरकार का प्रभाव

उत्तर प्रदेश और अन्य

यह न्यायालय उक्त मामले में किसी मामले पर विचार नहीं कर रहा था।

अधिनियम के तहत या अधिनियम के तहत मामलों के समान। सी. आर. पी. सी. और अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के संबंध में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, ललिता कुमारी में निर्धारित सिद्धांत तब आकर्षित नहीं होता है जब किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध करने की जानकारी दी जाती है, जिसमें सी. आर. पी. सी. की धारा 154 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य होता है। [पैरा 66] [998-ए-बी]

ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और

अन्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713-लागू नहीं होता है। 7. धारा 154 के तहत पुलिस अधिकारी का कर्तव्य

जीरो एफ़. आई. आर. के रूप में एफ़. आई. आर. दर्ज करने की प्रथा है, जब जिस पुलिस स्टेशन में एफ़. आई. आर. दर्ज की जाती है, वहाँ एफ़. आई. आर. दर्ज नहीं होती है। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, और फिर, इसे उस पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है जिसका इस मामले में अधिकार क्षेत्र होता है। इसलिए क्या यह कहा जा सकता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को जानकारी दी जाती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अर्थ के भीतर,

अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराध करने के लिए, पुलिस अधिकारी को एक प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और फिर इसे निरीक्षक को सौंपना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एफ. आई. आर. दर्ज करने का कर्तव्य, जब अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले संज्ञेय अपराध के बारे में

जानकारी प्राप्त होती है, तो यह शुरुआत से ही स्पष्ट है कि एक पुलिस अधिकारी के पास अपराध की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव का मामला नहीं है। यदि एक

सूचना केवल अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराधों से संबंधित है, पुलिस अधिकारी सीमा से बाहर होगा और उसकी जांच में कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि न तो उसकी और न ही किसी अन्य पुलिस अधिकारी की जांच में कोई भूमिका है।

भारत का संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य

अधिनियम के अध्याय IV में, उसे तुरंत संबंधित को सूचित करना चाहिए। ड्रग्स इंस्पेक्टर। [पारस 70,71] [999-ई-जी; 1000-ए-बी]

8. अधिनियम के तहत आने की शक्ति

धारा 36 एसी में अधिनियमित जमानत देने के लिए। यदि अधिनियम के तहत निरीक्षक के पास गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां गिरफ्तारी कानून के विचार में हो। देने वाला और फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस गिरफ्तारी को प्रभावी बना सके। इसलिए जो और सवाल उठेगा, वह यह है कि इस निष्कर्ष का प्रभाव कि धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता पर अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराध के संबंध में एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। अधिनियम की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना जो पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान ले सकता है, अधिनियम के अध्याय IV के तहत इस तरह के प्रावधान को लागू नहीं करता है। [पारस 73,74] [1000-डी-एफ]

9.1 सी. आर. पी. सी. के तहत हथियार की शक्ति

सी. आर. पी. सी. का पाँचवाँ अध्याय व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है।

दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41

(संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5, धारा 5) (डब्ल्यू. ई. एफ. 01-11 2010), बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है। सी. आर. पी. सी. की धारा 41 ए, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.11.2010 अंतःस्थापित, सी. आर. पी. सी. की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा कवर किए गए सभी मामलों में पुलिस अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, उसके सामने पेश होने के लिए। जब तक कोई व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, धारा 41 ए (iii)

गिरफ्तारी को प्रतिबंधित करता है जब तक कि पुलिस अधिकारी, होने के कारणों से

अभिलिखित, यह विचार है कि उसे गिरफ्तार किया जाना है। सी. आर. पी. सी. की धारा 41 बी, जिसे फिर से डब्ल्यू. ई. एफ. 01.11.2010 जोड़ा गया है, एक पुलिस अधिकारी पर उसके नाम की सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान रखने के लिए गिरफ्तारी करने का कर्तव्य डालती है। उसे एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना है, जिस पर, अन्य बातों के साथ-साथ, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा जवाबी हस्ताक्षर किए जाने हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 41 डी गिरफ्तार [2020] 10 एस. सी. आर. को अधिकार प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने वाला व्यक्ति, हालांकि पूछताछ के दौरान नहीं। धारा 42 के तहत

सी. आर. पी. सी., यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई गैर-संज्ञेय अपराध करता है या उस पर गैर-संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, और पुलिस अधिकारी, अपना नाम और निवास की मांग करने पर, एक नाम या निवास देने से इनकार कर देता है, जिसे अधिकारी झूठा मानता है, तो गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन नाम और निवास का पता लगाने के उद्देश्य से। वास्तव में, उसे फांसी देने के तुरंत बाद रिहा किया जाना है।

एक बंधन जब वास्तविक नाम और निवास का पता लगाया जाता है। यदि गिरफ्तारी के चौबीस घंटों के भीतर पते का पता लगाने में विफलता होती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है। इस अधिनियम में एक निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी का विचार किया गया है। शक्ति और प्रक्रिया, में विस्तृत है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43। सी. आर. पी. सी. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। धारा 47 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए स्थान की तलाशी लेने में सक्षम बनाती है। सी. आर. पी. सी. की धारा 49 घोषित करती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए आवश्यक से अधिक संयम के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बिना किसी गिरफ्तारी के किसी व्यक्ति को

वारंट, उसे उस अपराध के सभी विवरणों के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार हैं। इसका प्रावधान सी. आर. पी. सी. की धारा 50 में किया गया है। एक पुलिस अधिकारी, जब वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है और उस पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जाता है, तो वह उसे जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है। पुलिस अधिकारी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 ए के तहत एक नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी के तथ्य के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है। यह 23.06.2006 पर लागू हुआ। धारा 51 खोज से संबंधित है

गिरफ्तार व्यक्ति। [पारस 82-85] [1004-H; 1005-A; 1007-C-G; 1008-E-H]

9.2 सी. आर. पी. सी. की धारा 54 घोषित करती है कि जब कोई व्यक्ति

यदि गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी जाँच एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। सी. आर. पी. सी. की धारा 54ए, डब्ल्यू. ई. एफ. 23.06.2006 अंत:स्थापित, विशेष रूप से प्रदान करती हैगिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के लिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 55ए, डब्ल्यू. ई. एफ. 31.12.2009 अंत:स्थापित, इसे व्यक्ति का कर्तव्य बनाती है, जिसमें

व्यक्ति की अभिरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करने के लिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 56 बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बनाती है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यूनियन ऑफ इंडिया v.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

सी. आर. पी. सी. या लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार, गिरफ्तारी का प्रावधान। सी. आर. पी. सी. के अध्याय 11 में पुलिस की निवारक कार्रवाई का प्रावधान है। सी. आर. पी. सी. की धारा 151, अन्य बातों के साथ-साथ, एक पुलिस अधिकारी को, जो किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध करने की योजना के बारे में जानता है, उसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। सी. आर. पी. सी. की धारा 157 में, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी, किसी मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हुए, व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए उपाय कर सकता है।अपराधी। सी. आर. पी. सी. की धारा 167 एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां जांच चौबीस घंटे के भीतर पूरी नहीं होती है, जैसा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 57 में तय किया गया है। इसमें प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में, यदि यह विश्वास करने के लिए आधार हैं कि आरोप या जानकारी अच्छी तरह से स्थापित है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अन्य बातों के साथ-साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। धारा 167 मजिस्ट्रेट को अभियुक्त व्यक्ति की रिमांड का आदेश देने का अधिकार देती है, जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है। [पारस 86,87] [1009-ए-सी, ई-एच]

10. बेल के बारे में प्रावधान

सी. आर. पी. सी. का अध्याय XXXIII जमानत से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले में जमानत से संबंधित है।

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से अधिक। न्यायालय को जमानत देने के मामले में कुछ प्रतिबंधों और शर्तों को पूरा किया जाना है, जैसा कि उसमें कहा गया है। सी. आर. पी. सी. की धारा 439 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करती है।जमानत के संबंध में। [पारस 88,89] [1010-ए-सी] [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11.1 एआरआरईएसटी

विश्लेषण

एक व्यक्ति की गिरफ्तारी में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण शामिल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 घोषित करता है

कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

36 अधिनियम के अधिनियम, अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाते हुए, यह पुलिस अधिकारी के लिए व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए खुला हैअधिनियम की धारा 36 एसी में निर्धारित अपराध। अधिनियम की धारा 32 के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक

अधिनियम के अध्याय IV की चार दीवारों के भीतर आने वाले अपराधों के लिए अभियोजन शुरू किया जाना है, और जो अधिनियम की धारा 36 एसी की विषय वस्तु भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसे अपराधों के लिए अपराधी पर अभियोजन केवल अधिनियम की धारा 32 में दिए गए तरीके से किया जा सकता है। द. अभियोजन केवल अधिनियम की धारा 32 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा शुरू किया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी, इस तरह, के रूप में गणना नहीं करता है

उन व्यक्तियों में से एक जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट पसंद कर सकते हैं, जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। निस्संदेह, जैसा कि न्यायालय पहले ही अध्याय IV के तहत किसी अपराध के संबंध में स्पष्ट कर चुका है, यदि अधिनियम की धारा 32 (3) के तहत कार्य या चूक भी किसी अन्य कानून के तहत अपराध है, तो यह पुलिस अधिकारी के लिए खुला हो सकता है, यदि वह अन्यथा है।

11.2 हालाँकि, गिरफ्तारी से संबंधित पहलू से पहेली पैदा होती है। निस्संदेह, इस पर कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है निरीक्षक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के लिए। संसद, जो भारत का संघ v है।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

सी. आर. पी. सी. और विचाराधीन अधिनियम के लेखक, सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों से अवगत थे, क्योंकि यह उस समय मौजूद था जब 1940 में अधिनियम लागू किया गया था। यह इस सिद्धांत का पालन कर रहा है कि विधानमंडल को उस कानून को जानने के लिए माना जाना चाहिए जो इस पर मौजूद है ।क़ानून पुस्तक जब यह एक नया कानून बनाती है। इसलिए, यह होना चाहिए

यह जानने के लिए माना जाता है कि गिरफ्तारी की शक्ति स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी को उस तरीके से प्रदान की गई है जिसका उल्लेख किया गया है। द.

विधानमंडल ने, अधिनियम में, अभी तक ड्रग्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं की है। तथापि, अधिनियम की धारा 22 (1) (डी), जो निरीक्षक की शक्तियों से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ,

निरीक्षक को ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है जो अध्याय IV या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। मंजूरी, जिसके तहत विचार किया गया है

अध्याय IV, किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के माध्यम से आपराधिक मंजूरी है।

अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए। दूसरे शब्दों में, विधायिका ने अपराधियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करके कानून को मजबूती दी है। निरीक्षक केंद्र स्तर पर होता है। प्रत्येक अन्य पहलू में, जैसा कि अधिनियम से देखा जा सकता है, इसके प्रावधानों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से निरीक्षक को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों पर निर्भर करता है। एक निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनिवार्य रूप से नियमों में प्रदान की गई योग्यताएं, योग्य व्यक्तियों के सक्षम हाथों के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को सौंपने के लिए विधानमंडल द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए मूल्य निर्णय का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस अधिनियम को जनता के सदस्यों के स्वास्थ्य में उच्चतम जनहित प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसे फिर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार के दायरे में आने वाले पहलुओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। पुलिस अधिकारी को व्यक्तियों की श्रेणियों से बाहर रखना, जो अपराधों के लिए अपराधियों पर मुकदमा चला सकते हैं

अधिनियम का अध्याय IV भी एक सावधानीपूर्वक सोचा गया आदर्श है। [पारस 101,102] [1017-सी-डी, जी-एच; 1018-ए-डी]

12. इस न्यायालय का निर्णय

प्रवर्तन निदेशक वी. दीपाक महाजन और एक अन्य

जैसा कि दीपक महाजन में निर्धारित किया गया है, गिरफ्तारी की शक्ति एक पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रदान की जा सकती है। द फॉरेन

विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 (इसलिए निरस्त); सीमा शुल्क [2020] 10 एस. सी. आर.

अधिनियम, 1962; स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (निरस्त); खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 (इसलिए निरस्त) औररेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 ने क्रमशः धारा 35,104,68,10बी और धारा 6 में इन अधिनियमों के तहत अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की। इसलिए, यदि अनुभाग

22 (1) (घ) अधिनियम की व्याख्या शक्ति को समझने के रूप में की जाती है।

ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ गिरफ्तारी, फिर, गिरफ्तारी करने की उनकी क्षमता, कानून में एक आवश्यकता, जैसा कि दीपक महाजन में फिर से निर्धारित किया गया है।

(पैराग्राफ-54) संतुष्ट होगा। हालांकि, आगे

सवाल यह है कि निरीक्षक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या है, और फिर भी अंत में, क्या पुलिस अधिकारी, सी. आर. पी. सी. के तहत, गिरफ्तारी की शक्ति से वंचित रहेगा। अदालत इस बात से सहमत है कि उदाहरण के लिए, पुलिस अधिकारी से किसी के द्वारा संपर्क नहीं किया जा सकता है।

एक शिकायत वाला व्यक्ति कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत एक संज्ञेय अपराध किया गया है और वह उस कानून के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं है जिसे इस अदालत द्वारा ललिता कुमारी के मामले में निर्धारित किया जा रहा है। यही कारण है कि अगर उसे पंजीकरण कराना था

एक एफ. आई. आर., तब, उसे सी. आर. पी. सी. की धारा 157 के स्तर पर आगे बढ़ना होगा और इसके अलावा, जांच करनी होगी, जैसे कि

कानून में समझा जाता है, जिसके लिए न तो उसे कानून देने वाले द्वारा योग्य या सशक्त माना जाता है और न ही वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने का हकदार है। [पैरा 109,110] [1022-डी-एफ; 1023 ए-बी]

प्रवर्तन निदेशालय बनाम। दीपक महाजन और एक और (1994) 3 एससीसी 440: [1994] 1 एससीआर 445-निर्भर

पर।

13. अधिनियम के तहत हथियार की शक्ति

न्यायालय एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो दो कानूनों के बीच एक विसंगति को प्रस्तुत करती है, अर्थात्। , सी. आर. पी. सी. और अधिनियम, और क्षितिज पर दिखाई देने वाला एकमात्र आशुलिपि,

अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) के तहत शक्ति का दायरा है। इसके अलावा, ड्रग्स इंस्पेक्टर पर अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है।

[पैरा 111] [1023-सी-डी]

14. कुछ प्रावधानों को बनाए रखना

अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) के समान बीज अधिनियम, 1966 (धारा 14 (1) (ई), कीटनाशक अधिनियम, 1968 (धारा 21 (एफ)), केरल मत्स्य बीज अधिनियम, 2014 (भारत संघ की धारा v.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

19 (1) (ई), उत्तराखंड भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2016 [धारा 13 (1) (जे)] में अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) में निहित प्रावधानों के समान प्रावधान हैं। साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942 [धारा 8 (1) (सी)], जम्मू और कश्मीर कारखाना अधिनियम, 1999 [धारा 9 (1) (सी)],अधिनियम के तहत प्राधिकरणों को ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान शामिल हैं जो इसके लिए आवश्यक हो सकते हैं।

अधिनियम के बाहरी उद्देश्यों को पूरा करना। जहाँ तक दुकानों की बात है

और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 [धारा 19 (1) (सी)], ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करने के बाद, जो हो सकता हैअधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक, विधि प्रदाता एक परंतुक के माध्यम से एक सीमा निर्धारित करता है कि उक्त धारा के तहत किसी को भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह का प्रावधान निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 [धारा 21 (1) (बी) के तहत] और जम्मू और कश्मीर कारखाने अधिनियम, 1999 में भी पाया जाता है। [पारस

112 , 113] [1023 - जी-एच; 1024-ए-बी]

15.1 गिरफ्तार करने की शक्ति एक कठोर शक्ति है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण शामिल है। ड्रग्स इंस्पेक्टर एक नहीं है

सी. आर. पी. सी. के तहत पुलिस अधिकारी। विधानमंडल को पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी करने की शक्ति के बारे में पता था जब वह शुरू करता है

एक संज्ञेय मामले की जांच, जैसा कि धारा 157 से स्पष्ट है सीआरपीसी। अधिनियम में एक और संकेत है जो विधानमंडल के दिमाग को प्रकट कर सकता है कि गिरफ्तारी की शक्ति ड्रग्स इंस्पेक्टर को प्रदान करने का इरादा नहीं था। धारा 34 एए (परेशान करने वाली तलाशी या जब्ती के लिए दंड) में गिरफ्तारी का कोई संदर्भ नहीं है जिससे दंड का विषय बनता है। [पैरा 134] [1034-जी-एच; 1035-ए]

15.2 जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में देखा गया है, इसके अलावा

तथ्य यह है कि गिरफ्तारी की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है, जिस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाना है, विशेष रूप से इंगित किया गया है, जैसा कि धारा 19 और 20 के अवलोकन पर देखा गया है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 की धारा 68 ने स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की है, वे शर्तें जिनमें शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और आगे की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। अधिनियम के तहत निरीक्षक को शक्तियों की एक विशाल और दुर्जेय श्रृंखला से सम्मानित किया गया है, और अधिनियम जैसे अधिनियम में, नमूने लेना, उसी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट और अधिकार [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्रीय प्रयोगशाला से आगे की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति के लिए आरक्षित, अधिनियम की धारा 32 के तहत शिकायत के सफल समापन में एक लंबा रास्ता तय करता है। निरीक्षक को, निस्संदेह, निरीक्षण करने, किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन के नमूने लेने, किसी भी व्यक्ति की खोज करने, किसी भी स्थान की खोज करने, किसी भी वाहन की खोज करने, रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेजों और अन्य भौतिक वस्तुओं की जांच करने और उन्हें जब्त करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है। ये वे शक्तियाँ हैं जो स्पष्ट रूप से निरीक्षक को प्रदान की जाती हैं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 32 में शिकायतकर्ताओं की अन्य श्रेणियों द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन निरीक्षक उस धुरी पर होता है जिसके इर्द-गिर्द अधिनियम चलता है। नियम 51 (4) औषधि निरीक्षक की ओर से यह कर्तव्य बनाता है कि वह लिखित रूप में किसी भी शिकायत की जांच करे जो उसे की जा सकती है। नियम 51 (5) के तहत यह भी उसका कर्तव्य है कि वह अधिनियम और उसके तहत नियमों के उल्लंघन के संबंध में अभियोजन स्थापित करे। नियम 51 (7) के तहत वह पूछताछ और निरीक्षण करने के लिए भी कर्तव्यबद्ध है जो आवश्यक हो सकता है।

अधिनियम के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री का पता लगाएं। नियम 52 के तहत, दवाओं के निर्माण के संबंध में, यह फिर से कर्तव्य है कि सभी का निरीक्षण करने के अलावा उल्लंघनों के लिए मुकदमा चलाया जाए परिसर। यह उनकी योग्यताओं और उन्हें प्रदान की गई शक्तियों दोनों को ध्यान में रखते हुए है। अधिनियम की धारा 23,

निस्संदेह, यह इंस्पेक्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। अतः न्यायालय को इसका अर्थ ज्ञात करना है -

अभिव्यक्ति "अन्य शक्तियाँ", जो अध्याय IV के उद्देश्य और उसके तहत बनाए गए नियमों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। अवशिष्ट शक्तियों के दायरे को सीमित करने के इरादे से विधानमंडल ने कोई संकेत

नहीं दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम स्वतंत्रता से पहले का अधिनियम है। यदि यह व्याख्या की जाती है कि वह अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्य करने वाला एक मादक पदार्थ निरीक्षक है, जो अकेले अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराधों की जांच कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस अधिकारी के लिए अधिनियम के तहत जांच करने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने की कोई शक्ति नहीं है, जो वास्तव में है

अतः निर्विवाद गिरफ्तारी की शक्ति, जो अपराधों की जांच और अभियोजन के उद्देश्य से आवश्यक है। अधिनियम के अध्याय IV के भीतर, ड्रग्स इंस्पेक्टर को स्वीकार किया जाना चाहिए। विभिन्न शक्तियों को प्रदान करने में विधायी इरादा, जैसा कि भारत संघ अधिनियम की धारा 22 के पूर्वगामी प्रावधानों में देखा गया है।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

अधिनियम के अध्याय IV के तहत, उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। एक और पहलू है जिसका इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अधिनियम की धारा 36 एसी के तहत, अधिनियम के अध्याय IV के तहत कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया जाता है। यह प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा करने पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि लोक अभियोजक को आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता है और जब लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। यह सीमा, अन्य बातों के साथ-साथ सी. आर. पी. सी. की सीमाओं से अलग है। अब, सी. आर. पी. सी. के तहत कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी एक पल के लिए भी इस आधार पर आगे बढ़ता है कि यह पर्याप्त है कि आवश्यकता के अनुसार केवल गिरफ्तारी का ज्ञापन दिया जाए।सी. आर. पी. सी. के तहत तैयार किया जाता है और आगे सी. आर. पी. सी. के अन्य प्रावधानों का भी अनुपालन होता है, क्या यह पर्याप्त सवाल होगा जो निम्नलिखित तरीके से उत्पन्न होगा? अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से यह नोट किया गया है कि यह ड्रग्स इंस्पेक्टर है

जो अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायत की जांच करने के लिए सशक्त और कर्तव्यबद्ध है। वह वह व्यक्ति है जिस पर अपराधियों पर मुकदमा चलाने का आरोप है। यदि पुलिस अधिकारी को केवल गिरफ्तारी की शक्ति दी जानी है और उसके पास जांच की कोई शक्ति नहीं है तो पुलिस अधिकारी के लिए अधिनियम के तहत कोई जांच करना कैसे संभव होगा और यदि कोई जांच संभव नहीं है, तो पुलिस अधिकारी लोक अभियोजक और इसलिए जमानत के लिए आवेदन के निपटारे में अदालत को किसी भी तरह की सहायता करने की स्थिति में कैसे होगा? दूसरे शब्दों में, यह जांच और सामग्री के रिकॉर्ड पर आधारित होगा।

जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र किया गया कि किसी मामले में अदालत यह तय करेगी कि जमानत दी जानी है या नहीं। पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए रिमांड कैसे मांगेगा जो वह नहीं कर सकता है? यदि

अधिनियम और नियम विचार नहीं करते हैंएक पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच, तब, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करना, वास्तव में, काम करने वाले [2020] 10 एस. सी. आर. को हतोत्साहित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम से। दूसरी ओर, यदि यह ड्रग्स इंस्पेक्टर है जो गिरफ्तार कर सकता है, तो निम्नलिखित परिणाम सामने आएंगे:

ए। उसके पास अपराधी की ठीक से जाँच करने और मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यताएँ हैं।

बी। वह जाँच के एक भाग के रूप में जो भी दस्तावेज़ रखना है, उसमें पर्याप्त प्रविष्टियाँ करने में सक्षम होगा और यह अधिनियम की धारा 36एसी के अर्थ के भीतर जमानत के लिए आवेदन पर उचित और निष्पक्ष विचार करने की सुविधा प्रदान करेगा और Cr.P.C की धारा 167 के तहत रिमांड के अनुरोध की सुविधा भी प्रदान करेगा। [पारस 136-138] [1036-C-H; 1037-A-H; 1038-A-D]

15.3 जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, जिसका उल्लेख धारा 34एए में नहीं किया गया है, क्योंकि यह अपराधी अधिकारी से मिलने का आधार है।

जुर्माने के साथ, यह देखा जा सकता है कि धारा 34एए में एक अवशिष्ट शक्ति है और यह किसी भी कार्य को शामिल करेगी। धारा 34 एए (डी) में प्रावधान है कि यदि कोई निरीक्षक, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे निरीक्षक के रूप में, कोई भी कार्य करता है।

अन्य अधिनियम, किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण दिए बिना कि उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है। धारा 167 के तहत रिमांड मांगने और आदेश देने की शक्ति के संबंध में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत

एक पुलिस अधिकारी की तरह बाहरी एजेंसी, एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य होने के कारण, जहां गिरफ्तारी की जानी है, एक प्राथमिकी दर्ज की जानी है, और जब प्राथमिकी दर्ज करने के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट को प्राथमिकता देने का एक अप्राप्य उद्देश्य होता है, जहां तक पुलिस अधिकारी का संबंध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी से किसी अपराध के संबंध में शिकायत के संबंध में संपर्क किया जाता है तो अधिनियम के अध्याय IV में, उसे तब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करनी है जब तक कि यह अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के अलावा एक संज्ञेय अपराध भी नहीं बनाया जाता है। उसे भारत संघ का कायाकल्प करना चाहिए।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

सक्षम औषधि निरीक्षक को शिकायत करें ताकि कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जा सके जहां केवल इसके तहत अपराध होते हैं।

चौथा अध्याय तैयार किया गया है। [पारस 139-141] [1038-F-H; 1039-A-D]

अधिनियम धारा 22 (1) (डी) है। गिरफ्तार व्यक्ति, अधिनियम के तहत, एक आरोपी व्यक्ति होगा जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत हिरासत में लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने की आवश्यकता के मामले में निरीक्षक को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है।प्रतिरोध या प्रतिरोध की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी के संबंध में, जो धारा 36 एसी के तहत नहीं आते हैं, गिरफ्तारी की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची के प्रावधान पर निर्भर करेगी। ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ गिरफ्तार करने की शक्ति का अस्तित्व है

इसे अवैध, अनधिकृत या अनावश्यक गिरफ्तारी के लिए दरवाजे खोलने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हर शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। गिरफ्तारी के प्रभाव को देखते हुए, कानून के अनुसार सख्ती से इसका प्रयोग करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग उसके स्रोत को पहचानते हुए किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) होगी, जो अधिनियम के अध्याय IV या [2020] 10 एस. सी. आर. द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके नीचे। धारा 33 पी निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। केंद्र सरकार को देने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं

वहन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को निर्देश

राज्य में अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के निष्पादन में। यह केंद्र के लिए है

सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्या वह उक्त प्रावधान के तहत गिरफ्तारी की शक्ति के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है,

जिसे न्यायालय ने पाया है, इस निर्णय में जो कहा गया है, उसके अधीन। [पारस 142-145] [1039-E-H; 1040-A-D, E-F]

डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 एससीसी 416:

[1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 284-निर्भर।16. निष्कर्ष/निर्देश

I. अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराधों के संबंध में, अधिनियम की धारा 32 और दंड प्रक्रिया संहिता की योजना को देखते हुए, पुलिस अधिकारी ऐसे अपराधों के संबंध में अपराधियों पर मुकदमा नहीं चला सकता है। केवल धारा 32 में उल्लिखित व्यक्ति ही ऐसा करने के हकदार हैं।

II. हालाँकि, पुलिस अधिकारी के लिए उस व्यक्ति की जाँच करने और मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है जहाँ उसने अपराध किया है।

III. सी. आर. पी. सी. की योजना और अधिनियम की धारा 32 के अधिदेश और शक्तियों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुएजो अधिनियम के तहत औषधि निरीक्षक के पास उपलब्ध हैं और

अपने कर्तव्यों के अलावा, एक पुलिस अधिकारी अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता है और वह दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों की जांच नहीं कर सकता है।

IV. अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है।

अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले संज्ञेय अपराधों के लिए

कोई वारंट और अन्यथा इसे संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाता है। हालाँकि, वह डी. के. बसु में निर्धारित कानून और सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य V. इस समझ पर कि पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज कर सकता है, ऐसे कई मामले हैं जिनमें प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले संज्ञेय अपराधों के संबंध में। यदि उन्हें पहले से ही तैयार नहीं किया गया है, तो उन्हें औषधि निरीक्षकों को सौंप दिया जाना चाहिए, और यह औषधि निरीक्षक को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी है। इस संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का सहारा लिया जा रहा है।

VI. गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित कानून की समझ पर कई मामलों में, जैसा कि वास्तव में, वर्तमान मामले के तथ्यों से प्रमाणित होता है, पुलिस अधिकारियों ने इन मामलों में गिरफ्तारी की होगी।

अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों के संबंध में। इसलिए, गिरफ्तारी की शक्ति के संबंध में, निर्णय कि पुलिस अधिकारी

VII. गिरफ्तारी करने वाले मादक पदार्थ निरीक्षकों को न केवल गिरफ्तारी की सूचना देनी चाहिए, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 में दिया गया है। लेकिन तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तारी की सूचना दें।

तथ्यों पर, विवादित निर्णय को बरकरार रखा जाता है। [पारस 150,151] [1041-ई-एच; 1042-ए-एफ]

जीवन कुमार राउत और एक अन्य वी। सीबीआई (2009) 7 एससीसी

526 : [2009] 10 एस. सी. आर. 272-पर निर्भर।

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संजय (2014) 9 एससीसी 772: [2014] 9 एससीआर 1063; कंवर पाल सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2020) 14 एस. सी. सी. 331; जमीरुद्दीन अंसारी बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 316: [2009] 7 एससीआर 759; एच. एन. रिशबुद और इंदर सिंह बनाम। दिल्ली राज्य, आदि। ए. आई. आर. 1955 एससी

196 [1955] एस. सी. आर. 1150; इंस्टीटच्यूट ऑफ चार्टर्ड

भारत के लेखाकार बनाम। विमल कुमार सुराना औरदूसरा (2011) 1 एस. सी. सी. 534: [2010] 14 एससीआर 248; ए. पी. बनाम राज्य पुनती रामुलु और अन्य ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 2644; सतविंदर कौर बनाम। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) और एक अन्य ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3596: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 328; अर्नेश कुमार बनाम। बिहार राज्य और एक अन्य (2014) 8 एस. सी. सी. 273 [2014] 8 एस. सी. आर. 128; रिनी जौहर बनाम। एम. पी. राज्य (2016) 11 एस. सी. सी. 703: [2016] 5 एस. सी. आर. 579; बडाकू [2020] 10 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ज्योति सावंत बनाम। मैसूर राज्य [1966] 3 एससीआर 698; राज

कुमार करवाल बनाम। भारत संघ और अन्य (1990) 2

एससीसी 409 [1990] 2 एससीआर 63; रमेश चंद्र मेहता

वी. डब्ल्यू. बी. राज्य [1969] 2 एस. सी. आर. 461; इलियास वी। कलेक्टर

सीमा शुल्क, मद्रास [1969] 2 एस. सी. आर. 613; यू. पी. राज्य बनाम

दुर्गा प्रसाद (1975) 3 एससीसी 210: [1975] 1 एससीआर 881; बालकिशन ए. देवीदयाळ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1980)

4 एस. सी. सी. 600 [1981] 1 एस. सी. आर. 175; टी. डी. संजीवया बनाम।

चुनाव न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश और अन्य ए. आई. आर 1967

एससी 1211 [1967] एससीआर 489; सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेम

चांद जैन (1997) 1 एस. सी. सी. 373: [1996] 9 पूरक। एससीआर

707 ; ओम प्रकाश और एक अन्य वी। भारत संघ और

एक और (2011) 14 एससीसी 1: [2011] 14 एससीआर 240

—

संदर्भित किया गया।

सुनील गुप्ता बनाम। भारत संघ 2000 (118) ईएलटी 8 पी एंड एच;भाविन इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड वी. गुजरात राज्य 2010 (260)

ई. एल. टी. 526 (गुजरात)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 10 एससीआर 272

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2014] 9 एससीआर 1063

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

(2020) 14 एससीसी 331

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2009] 7 एससीआर 759

पैरा 50

संदर्भित किया गया है

[1955] एससीआर 1150

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

[2010] 14 एससीआर 248

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[2014] 9 एससीआर 1063

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

[2013] 14 एससीआर 713

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 65 पैरा 67

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1993 एससी 2644

[1999] 3 पूरक। एससीआर 348

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

[1996] 10 पूरक। एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पैरा 77

[2014] 8 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पैरा 80

[2016] 5 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 81

[1966] 3 एससीआर 698

संदर्भित किया गया है

पैरा 91 भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य

[1990] 2 एससीआर 63

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

[1969] 2 एससीआर 461

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

[1969] 2 एससीआर 613

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

[1975] 1 एससीआर 881

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

[1981] 1 एससीआर 175

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

[1967] एससीआर 489

संदर्भित किया गया है

पैरा 93

[1996] 9 पूरक। एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पैरा 94

[1994] 1 एससीआर 445

उस पर भरोसा करें

पैरा 103

[2011] 14 एससीआर 240

संदर्भित किया गया है

पैरा 126

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं।

200 2020 से।

उच्च न्यायालय के 02.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक विसंगतियों में इलाहाबाद में न्यायपालिका। 2018 की रिट याचिका संख्या 20338।

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, अपूर्व कुरुप, आयुष आनंद, सुश्री उपमा

भट्टाचार्जी, सुश्री तनिषा सामंथा, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बी. बालाजी, एस. अरुण प्रकाश,

एम. मणिकंदन, सुश्री सृष्टि सिंह, रोहित कलियार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया थाके. एम. जोसेफ, जे.

1. संहिता के प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया क्या है

आपराधिक प्रक्रिया (इसके बाद संक्षेप में "सीआरपीसी" के रूप में संदर्भित) और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (इसके बाद संक्षेप में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)? क्या अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और मामले की जांच की जा सकती है या क्या अधिनियम की धारा 32 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों की जांच और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करती है? इसके अलावा, क्या अधिनियम के तहत निरीक्षक, अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. एक नौशाद खान ने 22.2.2018 पर ऑनलाइन शिकायत की। आयुक्त (खाद्य संरक्षण और औषधि) ने जाँच का निर्देश दिया और

औषधि निरीक्षक, मऊ, यू. पी. ने दो अन्य लोगों के साथ शारदा नारायण क्लिनिक और फार्मेसी में निरीक्षण किया और प्रतिवादी नंबर 1 को दुकान में भंडारित दवाओं के संबंध में कागजात दिखाने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी के अनुसार पहले प्रतिवादी ने कहा कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, हालांकि वह मेडिकल स्टोर का मालिक था और उसने बिना उचित लाइसेंस के दवाओं को संग्रहीत किया था। इस प्रकार, उसने अधिनियम की धारा 18 और 27 के तहत अपराध किया है। वसूली के आधार पर, अधिनियम की धारा 18 (ए) (आई) और धारा 27 के तहत 22.6.2018 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। द.यह ध्यान दिया जा सकता है कि शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि औषधि निरीक्षक है। प्रतिवादी ने प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी नहीं करने के लिए एक रिट याचिका दायर की

क्षमता। यह यू. पी. राज्य से अलग है जिसे पहला प्रतिवादी बनाया गया था। अपीलार्थी द्वारा यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की उपस्थिति का अनुरोध करने वाली सूचना। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। संक्षेप में, उच्च न्यायालय का तर्क है कि अधिनियम की धारा 32 का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और यह अपराधों पर मुकदमा चलाने का तंत्र है और सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

उच्च न्यायालय के परिणाम

एक शिकायत। अदालत ने धारा 32 के अलावा धारा 22,23,25 और 27 सहित अधिनियम के अन्य प्रावधानों को अपनाया और पाया कि अधिनियम स्पष्ट रूप से ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के संबंध में किए गए अपराधों के मुकदमे के लिए एक पूर्ण संहिता निर्धारित करता है। यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम था जिसके लिए अधिनियमित किया गया थाअधिनियम के तहत किए गए अपराधों का मुकदमा। कोई

अन्य प्रावधान लागू नहीं होगा क्योंकि इस अधिनियम का सभी अधिनियमों पर प्रबल प्रभाव था। सी. आर. पी. सी. के प्रावधान अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अलावा लागू नहीं होंगे। चूंकि एफ. आई. आर. दर्ज करना सी. आर. पी. सी. की धारा 154 के तहत है, इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। यह आगे इस प्रकार रहा:

ऑन ऑफ इंडिया वी. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 21. इस अधिनियम में अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत अभियोजन केवल एक अधिकृत निरीक्षक या धारा 32 के तहत परिभाषित अन्य अधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत पर शुरू किया जा सकता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। किसी भी तरह से संबंधित निरीक्षक इस मामले में एफ. आई. आर. दर्ज कर सकते थे और पुलिस को इस मामले में जांच करने के लिए अधिकृत कर सकते थे।

4. आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि एफ. आई. आर. दर्ज करना बिल्कुल सही है।

घ और एफ. आई. आर. रद्द किए जाने के योग्य है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि

एफ. आई. आर. दर्ज कराने गए निरीक्षक को नोटिस, इसके बावजूद

अभियोजन शुरू करने के लिए एक विशेष प्रावधान होना और

राष्ट्र की तलाश थी। आगे इसे इस प्रकार निर्देशित किया गया था:

" 23. हम, तदनुसार, इस याचिका को स्वीकार करते हैं और एफ. आई. आर. को रद्द करते हैं और साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित निरीक्षक को कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा कि उसने जानबूझकर एफ. आई. आर. क्यों दर्ज किया, जबकि शिकायत दर्ज करके अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का विशिष्ट प्रावधान है। उसके खिलाफ स्पष्टीकरण और की गई कार्रवाई, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आज से 8 सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के महापंजीयक के माध्यम से न्यायालय को भेजी जाएगी, जो इसे हमारे कक्षों में अवलोकन के लिए हमारे सामने रखेंगे।

महापंजीयक द्वारा प्राप्त। हम आगे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं उत्तरदाता नं। 4 इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए

याचिकाकर्ता।

24. महापंजीयक को इस आदेश की प्रमाणित प्रति भेजने के लिए

प्रधान सचिव, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उनकी आवश्यक जानकारी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार

कार्रवाई। यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रधान सचिव, खाद्य सुरक्षाऔर औषधि प्रशासन, यू. पी. सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करेगी

राज्य के सभी डी. एम. को निर्देश दें ताकि ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो। " "

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद को सुना। हमने श्री एस. नागमुथु, एड सीनियर काउंसल को भी सुना, जिन्हें हमने न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील की प्रस्तुतियाँ

6. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री पिंकी आनंद ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि अधिनियम के संबंध में सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। उन्होंने अधिनियम की धारा 36 ए. सी. की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। इसके तहत, जैसा कि हम अधिक विस्तार से देखेंगे, अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। वह बताएंगी कि एक बार जब इन अपराधों को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया जाता है तो यह अकल्पनीय है कि इस संबंध में सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। उन्होंने धारा 4 और 5 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

सीआरपीसी। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में दर्ज की जा रही प्राथमिकी से अलग हो। अधिनियम की धारा 32 से आने वाले परिणामों के संबंध में, यह है -

उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 36एसी की अनदेखी करने में गलती कर गया। यह उनकी शिकायत है कि अधिनियम में नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने वाली विभिन्न अत्यधिक अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर विचार किया गया है, जिन्हें अधिनियम के तहत बनाए गए गंभीर अपराधों से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में, यह बताया गया है कि कई मामलों में प्राथमिकी के आधार पर जांच की गई थी

अधिनियम के तहत दर्ज किए गए लोगों को बिना किसी शर्त के दफनाया जाएगा और यदि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को स्वीकार कर लिया जाता है तो अपराधी मुक्त हो जाएंगे। अधिनियम के तहत सी. आर. पी. सी. के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है। 7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

नागमुथु ने कहा कि अधिनियम की योजना और विशेष रूप से धारा 32 को ध्यान में रखते हुए, केवल उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया जाना है। उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया:

ए। जीवन कुमार राउत और एक अन्य वी। सी. बी. आई. 1;

बी। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संजय 2.

1 1 (2009) 7 एससीसी 526 2 (2014) 9 एस. सी. सी. 772 भारत संघ बनाम

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

वह इंगित करेंगे कि अभियोजन केवल धारा 32 द्वारा कवर किए गए अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से शुरू किया जा सकता है। अभियोजन की संस्था केवल उक्त धारा में नामित व्यक्तियों के कहने पर ही हो सकती है। वे बताते हैं कि धारा 32 को उसी समय संशोधित किया गया जब धारा 36 ए. सी. को जोड़ा गया था। यदि विधायिका यह प्रावधान करना चाहती है कि धारा 32 के तहत आने वाले अपराधों की जांच सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए तरीके से की जानी चाहिए, अर्थात् एफ. आई. आर. दर्ज करके और अपराधों की जांच के बाद सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के अर्थ के भीतर एक रिपोर्ट दायर करके। यह तथ्य कि विधानमंडल द्वारा ऐसी प्रक्रिया पर विचार नहीं किया गया था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि पूर्व संशोधित शासन के तहत, वर्तमान संशोधित अवतार में उल्लिखित चार श्रेणियों में से तीन पहले से ही मौजूद थे और संशोधन ने उन व्यक्तियों की श्रेणियों में केवल एक और जोड़ा जो अकेले अभियोजन की स्थापना कर सकते थे। वास्तव में, कुछ अपराधों की घोषणा करने वाली धारा 36 ए. सी. के संबंध में।

अधिनियम के तहत संज्ञानात्मक होने के लिए, उन्होंने सीआरपीसी की पहली अनुसूची के दूसरे भाग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि यहां तक कि

धारा 36 ए. सी. की सहायता के बिना, धारा 27 (1) (ए) और 27 (1) (सी) के तहत अपराध उसी के लिए सजा के रूप में प्रदान किए गए कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए संज्ञेय थे। अपराध पर कुछ भी नहीं हुआकी सहायता के बिना अपराधी की आशंका को छोड़कर संज्ञेय होना

एक आदेश। वह प्रस्तुत करेंगे कि धारा 32 द्वारा अपनाए गए अपराधों के संबंध में, सीआरपीसी के अर्थ के भीतर एक एफ. आई. आर. पर विचार नहीं किया गया है।

लेकिन उन्हें यह बताते हुए दुख हो रहा था कि यदि अपराध किसी अन्य कानून के तहत एक अलग अपराध है तो यह एफ. आई. आर. दर्ज करने के रास्ते में नहीं आता है। ऐसे परिदृश्य में, जबकि धारा 32 द्वारा कवर किए गए अपराधों के संबंध में एफ. आई. आर. दर्ज करना अस्वीकार्य होगा, अधिकारी अपनी शक्तियों के भीतर होगा यदि वह एफ. आई. आर. दर्ज करता है और धारा 32 के तहत आने वाले अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए आगे बढ़ता है, यदि वे संज्ञेय हैं। इस मामले में, वह प्रस्तुत

करेगा कि कथित अपराध अधिनियम की धारा 27 (1) (बी) के तहत है जो पूरी तरह से धारा 32 की चार दीवारों के भीतर आता है। इसलिए, धारा 18 भी निषेध करती है।

कुछ अधिनियम अधिनियम के अध्याय IV में आते हैं, इस प्रकार, धारा 32 को आकर्षित करते हैं। इन अपराधों के संबंध में, धारा 32 सी. आर. पी. सी. के तहत एफ. आई. आर. के पंजीकरण और एक सामान्य मामले के रूप में जांच के लिए एक बाधा का गठन करती है।

9. विद्वान न्यायमित्र सुश्री पिंकी आनंद, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने धारा 36एसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और दोहराया कि न तो सीआरपीसी और न ही अधिनियम का गठन करता है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में बाधा। उन्होंने [2020] 10 एस. सी. आर. की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 13। यह बताया गया है कि धारा 13 अध्याय III के अंतर्गत आती है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष अदालत का विचार किया गया है। उनका तर्क है कि अभियोजन मामले की स्थापना के लिए प्रक्रिया सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा शासित होनी चाहिए।

विश्लेषण

10. इस अधिनियम का उद्देश्य दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करना है। वह शब्द।

धारा 3 (बी) में दवाओं को परिभाषित किया गया है। धारा 3 (ई) निरीक्षक को परिभाषित करती है:

" 3 परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि इसमें कुछ भी अप्रिय न हो

विषय या संदर्भ,

(ङ) "निरीक्षक" का अर्थ है(i) आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवा के संबंध में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक

धारा 33ग; और

((ii) किसी अन्य दवा या सौंदर्य प्रसाधन के संबंध में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारा के तहत नियुक्त एक निरीक्षक।

21 ;

11. अध्याय III में ऐसे प्रावधान हैं जो अध्याय III के उद्देश्य के लिए गलत ब्रांडेड दवाओं, मिलावटी दवाओं, नकली दवाओं, गलत ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों और नकली सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषाओं का प्रावधान करते हैं। धारा 13 आयात से उत्पन्न होने वाले अपराधों के लिए प्रावधान करती है। चौथा अध्याय "दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण, बिक्री और वितरण" शीर्षक वाले अध्याय के अंतर्गत आता है। दिलचस्प बात यह है कि गलत ब्रांडेड दवाओं, मिलावटी दवाओं, नकली दवाओं, गलत ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों और नकली सौंदर्य प्रसाधनों, मिलावटी सौंदर्य प्रसाधनों को अध्याय IV के उद्देश्य के लिए अध्याय IV में पाए गए प्रावधानों द्वारा परिभाषित किया गया है। धारा 18 में विचार किया गया है कि ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाए, बिक्री या वितरण के लिए निर्माण, या बेचने के लिए, या गलत ब्रांडेड, मिलावटी, नकली दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री या वितरण के लिए भंडारण या प्रदर्शन या प्रस्ताव अन्य बातों के साथ-साथ निषिद्ध हैं। धारा 21 इस प्रकार है:

" 21. निरीक्षक।

(1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जो वह उचित समझते हैं, जिनके पास निर्धारित योग्यताएं हैं, ऐसे भारत के निरीक्षक के रूप में।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्र या

राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो।

कर्तव्य जो उसके द्वारा किए जा सकते हैं, दवाएं या [के वर्ग जिसके संबंध में दवाएं या सौंदर्य प्रसाधन या सौंदर्य प्रसाधन के वर्ग]

और ऐसी शर्तें, सीमाएँ या प्रतिबंध जिनके अधीन,

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या निष्पादन इस प्रकार किया जा सकता है

जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।(3) कोई भी व्यक्ति जिसका आयात में कोई वित्तीय हित न हो,

(4) प्रत्येक निरीक्षक को एक लोक सेवक माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 का अर्थ,

और आधिकारिक तौर पर ऐसे प्राधिकरण के अधीन होगा, जिसके पास

विहित अर्हताएँ,] जो सरकार उन्हें नियुक्त कर सकती है इस संबंध में निर्दिष्ट करें "।

(जोर दिया गया)

12. इस संबंध में प्रासंगिक नियमों पर ध्यान देना आवश्यक है। नियम

निरीक्षकों की योग्यताओं से संबंधित है। वह इस प्रकार है: -

" 49. निरीक्षकों की योग्यताएँ। -एक व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है

अधिनियम के तहत एक निरीक्षक एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास एक डिग्री है

फार्मेसी या फार्मास्युटिकल विज्ञान या चिकित्सा

नैदानिक फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञताभारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय: बशर्ते कि केवल वे

निरीक्षक

(i) जिनके पास 18 महीने से कम का अनुभव नहीं है

अनुसूची में निर्दिष्ट पदार्थों में से कम से कम एक का निर्माण

सी, या

((ii) जिनके पास परीक्षण में कम से कम 18 महीने का अनुभव है।

प्रयोगशाला में अनुसूची सी में कम से कम एक पदार्थ को मंजूरी दी गई है।

अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए, या

((iii) जिन्होंने तीन वर्ष से कम का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। किसी भी पदार्थ का निर्माण करने वाली फर्म का निरीक्षण

उनकी सेवाओं के कार्यकाल के दौरान अनुसूची सी में निर्दिष्टऔषधि निरीक्षक; निर्माण का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे।

अनुसूची सी में उल्लिखित पदार्थों में से:

बशर्ते कि अकादमिक के रूप में आवश्यकता

या पर निरीक्षकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों पर नियुक्ति लागू नहीं होगी।

अक्टूबर, 1993 का 18 वां दिन।

नियम (51) बिक्री के संबंध में निरीक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है। वह पढ़ता है

कमियाँ:

" 51. बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसरों के निरीक्षकों के कर्तव्य। नियंत्रण प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन, यह एक निरीक्षक का कर्तव्य होगा जो लाइसेंस प्राप्त परिसरों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होगा।

दवाओं की बिक्री

(1) वर्ष में कम से कम एक बार सभी लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना।

उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर दवाओं की बिक्री के लिए;(2) स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि लाइसेंस की शर्तों को पूरा किया जा रहा है

देखा गया;

(3) यदि आवश्यक हो तो आयातित वस्तुओं की खरीद और परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजना।

जिन पैकेजों पर उसे संदेह है कि उनमें मादक पदार्थ हैं

के उल्लंघन में बेचा या भंडारित या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया

अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधान;

(4) लिखित रूप में की जा सकने वाली किसी भी शिकायत की जांच करने के लिए

उसे;

(5) अधिनियम के उल्लंघनों के संबंध में अभियोजन स्थापित करना और

इसके तहत नियम;

(6) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए सभी निरीक्षणों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाए रखना, जिसमें नमूने लेना और स्टॉक की जब्ती शामिल है, और ऐसे रिकॉर्ड की प्रतियां नियंत्रक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना;

(7) ऐसी पूछताछ और निरीक्षण करना जो आवश्यक हो

अधिनियम के उल्लंघन में दवाओं की बिक्री का पता लगाने के लिए;

(8) जब राज्य सरकार द्वारा आयातित पैकेजों को रोकने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिनके बारे में उसे संदेह है कि उनमें मादक पदार्थ हैं,

जिसका आयात निषिद्ध है।

नियम (52) निर्माता के संबंध में निरीक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है।

डी. एस. इस प्रकार है:

" 52. दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत निरीक्षकों के कर्तव्य। —भारत बनाम के निर्देशों के अधीन।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

नियंत्रण प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह दवाओं के निर्माण का निरीक्षण करे

(1) उसे आवंटित क्षेत्र के भीतर दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त सभी परिसरों का निरीक्षण करने के लिए [वर्ष में कम से कम एक बार]

स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि लाइसेंस की शर्तों और अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है;

और अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधान जिनका पालन किया जा रहा है और शर्तें और प्रावधान, यदि कोई हैं, जिनका पालन नहीं किया जा रहा है; (4) परिसर में निर्मित दवाओं के नमूने लेना और उन्हें इन नियमों के अनुसार परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजना;

(5) अधिनियम और उसके तहत नियमों के उल्लंघन के संबंध में अभियोजन स्थापित करना।

धारा 22 निरीक्षक की शक्तियों से संबंधित है। इस प्रकार पढ़ता है:

" 22. निरीक्षकों की शक्तियाँ। (1) धारा 23 के प्रावधानों और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, एक निरीक्षक उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिए वह

नियुक्त किया जाता है,-"(क) निरीक्षण,

99

((i) कोई भी परिसर जिसमें कोई दवा या सौंदर्य प्रसाधन किया जा रहा हो।

निर्मित और दवा या सौंदर्य प्रसाधन के मानकीकरण और परीक्षण के लिए नियोजित साधन;

((ii) कोई भी परिसर जिसमें कोई दवा या सौंदर्य प्रसाधन बेचा जा रहा है, या भंडारित किया जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है या बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, या वितरित किया जा रहा है;

(ख) किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन के नमूने लें,((i) जिसका निर्माण किया जा रहा है या बेचा जा रहा है या जिसे भंडारित किया जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है या बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, या वितरित किया जा रहा है; [2020] 10 एस. सी. आर.

((ii) किसी भी व्यक्ति से जो ऐसी दवा या सौंदर्य प्रसाधन को खरीदार या माल प्राप्तकर्ता को पहुँचाने, वितरित करने या वितरित करने की तैयारी कर रहा है;

इस अध्याय के तहत अपराध किया गया है या किया जा रहा है; या((ख) किसी भी स्थान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अध्याय के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है।

या

((ग) किसी भी वाहन, पोत या अन्य वाहन को रोकें और उसकी तलाशी लें, जिसके बारे में उसे विश्वास है कि इसका उपयोग किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन को ले जाने के लिए किया जा रहा है, जिसके संबंध में इस अध्याय के तहत अपराध किया गया है या किया जा रहा है।

और लिखित आदेश में उस व्यक्ति को, जिसके पास वह दवा या सौंदर्य प्रसाधन है, जिसके संबंध में अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसी दवा या सौंदर्य प्रसाधन के किसी भी भंडार का निपटान एक निर्दिष्ट अवधि के लिए न करने के लिए जो बीस दिनों से अधिक न हो, या जब तक कि कथित अपराध ऐसा न हो कि दोष को उसके मालिक द्वारा हटा दिया जाए।

ऐसी दवा या सौंदर्य प्रसाधन और किसी भी पदार्थ या वस्तु के भंडार को जब्त करें जिसके माध्यम से अपराध किया गया है, या किया जा रहा है, या जिसका उपयोग अपराध के लिए किया जा सकता है।

(ग) खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पास या किसी स्थान, वाहन, पोत या अन्य परिवहन में पाए गए किसी भी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जांच करें और उसे जब्त करें यदि -उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय अपराध करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है;

(सी. सी. ए.) किसी भी व्यक्ति से बिक्री के लिए या वितरण, भंडारण, बिक्री के लिए प्रदर्शनी, बिक्री के लिए प्रस्ताव या किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन के वितरण से संबंधित कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करता है, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है।

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करें जो वहन करने के लिए आवश्यक हों।

इस अध्याय के प्रयोजनों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के बारे में।

22 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान (2)

1974)], जहाँ तक हो सके, किसी भी तलाशी या जब्ती पर लागू होगा।

इस अध्याय के तहत जैसा कि वे किसी भी तलाशी या जब्ती पर लागू होते हैं

धारा 94 के तहत जारी वारंट के अधिकार के तहत

कोड ने कहा।

ऐसी जब्ती या उत्पादन की तारीख से बीस दिनों की अवधि, जैसा भी मामला हो, उसकी प्रतियों या उसके उद्धरणों के बाद

उस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, ऐसी रीति से जो विहित की जाए,

लिया गया है।

(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक निरीक्षक के अभ्यास में बाधा डालता है

इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियाँ या

आवश्यकता पड़ने पर कोई अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उप-धारा (1) के खंड (सी. सी. ए.) के तहत, वह दंडनीय होगा -

कारावास जो तीन वर्ष तक बढ़ सकता है या जुर्माने के साथ, या

दोनों के साथ।

(जोर दिया गया)

13. धारा 23 में प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान है -

सीटीओआर। इसमें नमूना लेने पर उचित मूल्य की निविदा शामिल है।

अध्याय के तहत दवा या सौंदर्य प्रसाधन। अन्य प्रकार भी हैं

अभिलेख/रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तुओं की जब्ती के संबंध में निरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करने की आवश्यकता है [धारा 23 (6 देखें]।

14. धारा 27 के निर्माण, बिक्री आदि के लिए दंड का प्रावधान है।

अध्याय IV के उल्लंघन में। वह इस प्रकार है:

" 27. उल्लंघन में दवाओं के निर्माण, बिक्री आदि के लिए जुर्माना इस अध्याय से। - जो कोई भी, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

बिक्री के लिए या वितरण के लिए निर्माण करता है, या बेचता है, या स्टॉकया बिक्री या वितरण के लिए प्रदर्शन या प्रस्ताव,

((ए) धारा 17 ए के तहत मिलावटी मानी जाने वाली कोई दवा या

धारा 17 बी के तहत नकली और जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

निदान, उपचार, शमन, या [2020] 10 एस. सी. आर. के लिए या उसके लिए व्यक्ति।

किसी भी बीमारी या विकार की रोकथाम से उसकी मृत्यु होने की संभावना है या उसके शरीर पर ऐसा नुकसान होने की संभावना है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 320 के अर्थ के भीतर गंभीर चोट के बराबर होगा, केवल इस कारण से कि ऐसी दवा मिलावटी या नकली है या मानक गुणवत्ता की नहीं है, जैसा भी मामला हो, कारावास से दंडनीय होगी जो दस साल से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और

बशर्ते कि जहां इस खंड में निर्दिष्ट मिलावटी या नकली दवाओं के उपयोग के कारण इस खंड के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर लगाया गया और उससे वसूल किया गया जुर्माना, उस व्यक्ति के रिश्तेदार को दिया जाएगा, जिसकी मृत्यु मिलावटी या नकली दवाओं के उपयोग के कारण हुई थी।

इस खंड में।

स्पष्टीकरण। दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए,

अभिव्यक्ति "सापेक्ष" का अर्थ है -

((i) मृतक व्यक्ति का पति या पत्नी; या

((ख) एक नाबालिग वैध पुत्र, और अविवाहित वैध बेटी और विधवा माँ; या

((ग) नाबालिग पीड़ित के माता-पिता; या

((iv) यदि पूरी तरह से मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय की कमाई पर निर्भर है, तो एक बेटा या बेटी जिसने आयु प्राप्त कर ली है

कुछ साल; या (v) कोई भी व्यक्ति, यदि पूरी तरह से या आंशिक रूप से, अपनी मृत्यु के समय मृत व्यक्ति की कमाई पर निर्भर है,

((क) माता-पिता; या

(बी) एक नाबालिग भाई या एक अविवाहित बहन; या भारत का एन।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

((ग) विधवा बहू; या

((घ) विधवा बहन; या(ई) एक पूर्व मृत बेटे का एक नाबालिग बच्चा; या

(च) एक पूर्व-मृत बेटी का एक नाबालिग बच्चा जहां बच्चे का कोई माता-पिता जीवित नहीं है; या

(छ) पैतृक दादा-दादी यदि सदस्य का कोई माता-पिता जीवित नहीं है;]

(ख) कोई भी दवा

(i) धारा 17 ए के तहत मिलावटी माना जाता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है

खंड (क) में निर्दिष्ट दवा, या

((ii) धारा 18 के खंड (ग) के तहत आवश्यक वैध लाइसेंस के बिना, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो

तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये से कम या जब्त किए गए ड्रग्स के मूल्य का तीन गुना नहीं होगा, जो भी हो

अधिक:

निर्णय में दर्ज किए जाने वाले कारण, तीन साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा और जुर्माने की सजा एक लाख रुपये से कम;

धारा 17 बी के तहत नकली मानी जाने वाली कोई दवा, लेकिन नहीं

((ग)

खंड (क) में निर्दिष्ट मादक पदार्थ होने के नाते कारावास से दंडनीय होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और जुर्माने से जो तीन लाख रुपये या तीन गुना नहीं होगा।

जब्त की गई दवाओं का मूल्य, जो भी अधिक हो,बशर्ते कि न्यायालय, किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, निर्णय में दर्ज किए जाने के लिए, 83 [सात वर्ष से कम लेकिन तीन वर्ष से कम नहीं] की अवधि के लिए कारावास की सजा और उससे कम के जुर्माने की सजा दे सकता है।

एक लाख रुपये];खंड (क) में निर्दिष्ट दवा के अलावा कोई अन्य दवा या

((घ)

खंड (ख) या खंड (ग), इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो [2020] 10 एस. सी. आर. नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक वर्ष से कम लेकिन जो दो वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के साथ जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगाः

बशर्ते कि न्यायालय किसी भी पर्याप्त और विशेष कार्य के लिए

निर्णय में दर्ज किए जाने वाले कारण एक वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा देते हैं।

15. धारा 27 ए, 28,28 ए, 28 बी और 29 अन्य अपराधों के लिए प्रावधान करती हैं। धारा 30 बाद के अपराधों के मामले में दंड का विचार करती है।

धारा 31 अभिग्रहण से संबंधित है। धारा 32, जो विवाद के केंद्र में है, इस प्रकार हैः

" 32 अपराधों का संज्ञान। — (1) इस अध्याय के तहत कोई अभियोजन स्थापित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि -

सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उस सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा; या ((ग) पीड़ित व्यक्ति; या

(घ) एक मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ चाहे वह व्यक्ति एक

उस संगठन का सदस्य हो या न हो। (2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई भी अदालत इससे कम नहीं है -

सत्र न्यायालय के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण किया जाएगा।

यह अध्याय।

(3) इस अध्याय में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को किसी अन्य कानून के तहत मुकदमा चलाने से रोकने के लिए नहीं समझा जाएगा।

ऐसा कार्य या चूक जो इस अध्याय के विरुद्ध अपराध है।धारा 32 बी कुछ अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान करती है।

16. अध्याय IV-ए में "आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं से संबंधित प्रावधान" का प्रावधान है। इसमें इस उद्देश्य के लिए प्रावधान भी शामिल हैं -

अध्याय IV-ए गलत ब्रांडेड दवाओं, मिलावटी दवाओं, नकली दवाओं की मानित परिभाषाओं से संबंधित है और अपराध बनाए जाते हैं। धारा 33 जी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 33 एच आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के संबंध में धारा 22,23,24 और 25 और उसके तहत नियम, यदि कोई हो, के प्रावधान को लागू करती है। धारा 33 एम इस प्रकार है:

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 33 एम. अपराधों का संज्ञान।

(1) इस अध्याय के तहत कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा सिवाय इसके कि

एक निरीक्षक द्वारा [प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के साथ]

धारा 33 जी की उप-धारा (4) के तहत निर्दिष्ट।

(2) [महानगर मजिस्ट्रेट या किसी न्यायालय से कमतर कोई न्यायालय नहीं। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट] इस अध्याय के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई करेंगे।

17. अधिनियम का अंतिम अध्याय अध्याय 5 है जिसका शीर्षक "विविध" है। धारा 36 घोषित करती है कि कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट सी. आर. पी. सी. के तहत शक्तियों से अधिक सजा दे सकते हैं। धारा 36 ए में प्रावधान है कि कुछ अपराधों पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जाना है।

18. धारा 36 एबी विशेष न्यायालयों के लिए प्रावधान करती है। यह घोषणा करता है कि

केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कुछ अपराधों के लिए एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगी। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि विशेष न्यायालय उप-धारा (1) के तहत आने वाले अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध का मुकदमा चला सकता है, जिस पर आरोप लगाया जा सकता है।

उसी मुकदमे में अभियुक्त के विरुद्ध। धारा 36एसी, जिसके आसपास कई तर्कों को संबोधित किया गया था, निम्नानुसार है:

" 36एसी। कुछ मामलों में संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराध

(1) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

मामले।दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), -

(क) मिलावटी या नकली दवा से संबंधित प्रत्येक अपराध और धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (सी), धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ए), धारा 22 की उप-धारा (3), धारा 27 के खंड (ए) और (सी), धारा 28, धारा 28 ए, धारा 28 बी और धारा 30 की उप-धारा (1) और (2) के तहत दंडनीय और

मिलावटी दवाओं या नकली दवाओं से संबंधित अन्य अपराध,

संज्ञानात्मक होगा।

(क) धारा 13 की उप-धारा (1) का खंड (क), धारा 13 की उप-धारा (2) का खंड (क), धारा 22 की उप-धारा (3), धारा 27 का खंड (क) और (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और धारा 30 की उप-धारा (1) और (2) और मिलावटी दवाओं या नकली दवाओं से संबंधित अन्य अपराधों को जमानत पर रिहा किया जाएगा या

अपने स्वयं के बांड पर जब तक कि [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर दिया गया है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अलावा है। (3) इस धारा में निहित कुछ भी धारा 439 के तहत जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और उच्च न्यायालय उस धारा की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत शक्ति सहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे कि उस धारा में "मजिस्ट्रेट" के संदर्भ में धारा 36एबी के तहत नामित "विशेष न्यायालय" का संदर्भ भी शामिल हो।

धारा 36ए. डी. का भी प्रासंगिक होने के कारण उल्लेख किया गया है:

" 36 एडी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अनुप्रयोग। —

(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान (जमानत या बांड के प्रावधानों सहित) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति,

लोक अभियोजक समझा जाएगा:बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए एक विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है।

(2) एक व्यक्ति इस धारा के तहत एक लोक अभियोजक या एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि भारत सरकार v.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

वह कम से कम सात वर्षों से एक वकील के रूप में कार्य कर रहा है।

संघ या राज्य के अधीन विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले वर्ष

धारा 2 के खंड (यू) के अर्थ के भीतर अभियोजक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और प्रावधान

उस संहिता का तदनुसार प्रभाव होगा।

सीआरपीसी के संबंधित प्रावधान

19. धारा 2 (ए) "जमानती अपराध" को इस प्रकार दर्शाया गया अपराध के रूप में परिभाषित करती है -

पहली अनुसूची में, या जिसे किसी अन्य अनुसूची के तहत जमानती बनाया गया है

उस समय के लिए जो लागू है "। गैर-जमानती अपराध "का अर्थ है -

अपराध '। संज्ञेय अपराध 'को धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है। वह पढ़ता है

कमियाँ:

" 2 (ग) "संज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए -

संज्ञेय मामला "से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें एक पुलिस अधिकारी,

प्रथम अनुसूची के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहतउस समय लागू, बिना वारंट के गिरफ्तारी; "

(जोर दिया गया)

20. धारा 2 (डी) 'शिकायत' को परिभाषित करती है। वह इस प्रकार है:

“ 2 ((घ) "शिकायत" से मौखिक या लिखित रूप में किया गया कोई आरोप अभिप्रेत है।

मजिस्ट्रेट को, इस संहिता के तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से, कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, एक अपराध किया है

अपराध, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। स्पष्टीकरण। - एक मामले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट जो

कोई भी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) जो इस ओर से मजिस्ट्रेट "।

(जोर दिया गया)

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. ' पुलिस रिपोर्ट 'को धारा 2 (आर) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा उप-धारा (2) के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट।

धारा 173। धारा 4 और 5 प्रासंगिक होने के कारण, हम उसी का विज्ञापन करते हैं।

" 4. भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का मुकदमा।

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। (2) किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उन्हीं प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी अधिनियम के अधीन।

5. बचत हो रही है। - इस संहिता में निहित कुछ भी, इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, उस समय लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून, या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

किसी द्वारा प्रदत्त, या निर्धारित प्रक्रिया का कोई विशेष रूप

उस समय लागू अन्य कानून "।

23. बारहवाँ अध्याय 'पुलिस को सूचना और जाँच करने की उनकी शक्तियाँ' शीर्षक के तहत आता है। धारा 154 अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रदान करती है कि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी गई संज्ञेय अपराध करने से संबंधित प्रत्येक जानकारी को घटाकर उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लिखा जाता है और सूचना देने वाले को पढ़ा जाता है। ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में दी गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। उसी का सार एक पुस्तक में दर्ज किया जाना है जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रपत्र में रखा जाना है जो निर्धारित किया जाए। धारा 155 गैर-संज्ञेय मामलों और ऐसे मामलों की जाँच के तरीके के बारे में जानकारी से संबंधित है। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी गैर-संज्ञेय अपराध की जांच नहीं कर सकता है, जिसे ऐसे मामले की सुनवाई करने या मुकदमे के लिए ऐसा मामला करने की शक्ति है। धारा 156 निम्नानुसार है:

" 156. संज्ञेय मामले की जाँच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। -

(1) पुलिस स्टेशन का प्रभारी कोई भी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है जो एक अदालत

ऐसी सीमाओं के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्टेशन के पास प्रावधानों के तहत जांच करने या प्रयास करने की शक्ति होगी

अध्याय XIII का।

ऑन ऑफ इंडिया वी. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(2) ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी की कोई कार्यवाही नहीं होगी।

मंच को इस आधार पर प्रश्न में बुलाया जाए कि मामला एक था

जिसे ऐसा अधिकारी इस धारा के तहत सशक्त नहीं था

जाँच करें।

(3) धारा 190 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट इस तरह का आदेश दे सकता हैऊपर उल्लिखित एक जांच "।

(जोर दिया गया)

24. धारा 157 जांच के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करती है। द.

धारा 161 के तहत दिए गए कथन के उपयोग के लिए संकेतों की वर्तनी की गई है।

एन धारा 162। धारा 173 में रिपोर्ट देने का प्रावधान है। जाँच की अनुमति।

25. अध्याय XIV "दीक्षा के लिए आवश्यक शर्तों" से संबंधित है।

कार्यवाही "। धारा 190 इस प्रकार है:

" 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान।(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, का कोई मजिस्ट्रेट

प्रथम श्रेणी, और विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट

उप-धारा (2) के तहत इस संबंध में सशक्त, ले सकता है

किसी भी अपराध का संज्ञान

(क) तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो इस प्रकार का गठन करते हैं

अपराध; (ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी परअधिकारी, या अपने स्वयं के ज्ञान पर, कि इस तरह का अपराध किया गया है

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी मजिस्ट्रेट को अधिकार दे सकता है। की उप-धारा (1) के तहत संज्ञान लेने के लिए द्वितीय श्रेणी का

ऐसे अपराध जो जाँच करने या प्रयास करने की उसकी क्षमता के भीतर हों।26. अध्याय XV मजिस्ट्रेटों को शिकायतों से संबंधित है। अनुभाग

विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा संदर्भित एविंग को निकाला गया है:

" 202. प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना। - (1) किसी भी मजिस्ट्रेट परएक अपराध की शिकायत की प्राप्ति जिसके लिए वह अधिकृत है

संज्ञान लें या जिसे धारा के तहत उसे सौंप दिया गया है

192 , यदि वह उचित समझते हैं, तो [2020] 10 एस. सी. आर. के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर सकते हैं।

अभियुक्त, और या तो स्वयं मामले की जाँच करता है या एक निर्देश देता है किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जाँच

जैसा कि वह उचित समझता है, यह तय करने के उद्देश्य से कि वहाँ है या नहीं

आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार: बशर्ते कि ऐसा कोई निर्देश न हो जाँच के लिए,

(क) जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध की शिकायत की गई है।

धारा 200 के तहत शपथ पर जांच की गई। (2) उप-धारा (1) के तहत एक जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह

उचित समझते हुए, शपथ पर गवाहों का प्रमाण लें:

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के तहत जांच की जाती है। पुलिस अधिकारी नहीं होने के नाते, उसे उस जांच के लिए सब कुछ करना होगा

एक प्रभारी अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ

बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर पुलिस स्टेशन।

(जोर दिया गया)

27. अध्याय XVI अध्याय शीर्षक के अंतर्गत आता है।

" मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत। धारा 204 उस मामले में "प्रक्रिया के मुद्दे" से संबंधित है जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहा है। इसका विचार है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। सी. आर. पी. सी. की पहली अनुसूची के भाग 2 को नोटिस करना भी प्रासंगिक हो सकता है। यह याद रखना चाहिए कि संज्ञेय अपराध को पहली अनुसूची के तहत अपराधों के वर्गीकरण के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। पहली अनुसूची का पहला भाग भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से संबंधित है। दूसरा भाग, जैसा कि यह था, अन्य कानूनों के खिलाफ अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। वह इस प्रकार है:

" अन्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण भारत संघ v.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य

[के. एम. जोसेफ, जे.]

संज्ञेय या जमानती या किस न्यायालय द्वारा

अपराध

गैर-जमानती

परीक्षण योग्य

गैर-संज्ञानात्मक

4

3

2

1

यदि दंडनीय है

पहचानने योग्य

का न्यायालय

गैर-जमानती

मृत्यु, कारावास

सत्र।

जीवन के लिए, या

के लिए कारावास

7 वर्ष से अधिक;

यदि दंडनीय है

पहचानने योग्य

के मजिस्ट्रेट

गैर-जमानती

3 के लिए कारावास

प्रथम श्रेणी।

साल, और ऊपर लेकिन 7 से अधिक नहीं

वर्षों से।

कोई भी मजिस्ट्रेट।

यदि दंडनीय है

गैर-संज्ञानात्मक

उपलब्ध है।

कम के लिए कारावास

3 वर्ष से अधिक या बस ठीक है।

28. सी. आर. पी. सी. की धारा 4 (2) घोषणा करती है कि आई. पी. सी. के अलावा किसी भी कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच और मुकदमा चलाया जाएगा औरअन्यथा सी. आर. पी. सी. के अनुसार निपटा गया। हालाँकि, यह उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन है जो आई. पी. सी. के अलावा किसी अन्य कानून के तहत अपराधों के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ जांच के तरीके या स्थान के मामले में अन्यथा प्रावधान करता है। धारा 5 का उद्देश्य यह है:

यदि तत्काल लागू कोई विशेष कानून या स्थानीय कानून किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति या निर्धारित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप पर विचार करता है, जब तक कि इसके विपरीत कुछ नहीं पाया जाता है, तो यह विशेष कानून या स्थानीय कानून के प्रावधान हैं। जो प्रबल होगा।

अधिनियम की धारा 2 का प्रभाव

29. हमने देखा है कि अधिनियम की धारा 2 में घोषणा की गई है कि अधिनियम के प्रावधान खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम 1930 और कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।

बल देते हैं। जहां तक अधिनियम की धारा (2) का संबंध है, यदि अपीलार्थी का प्रयास यह तर्क देना है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को आयात करता है जो विशेष रूप से अधिनियम के तहत प्रदान की गई किसी भी विशेष प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो हमें इसे वापस लेने में कोई संकोच नहीं है। धारा 2 का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि विधानमंडल का उद्देश्य [2020] 10 एस. सी. आर. के प्रावधानों को जीवित रखना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930। अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद इसका प्रभाव बना रहेगा। यदि संज्ञानात्मक के कोई अन्य प्रावधान हैंअधिनियम द्वारा निपटाए गए विषयों से संबंधित कानूनों, उन अधिनियमों के संचालन को संरक्षित किया जाना था। इस अधिनियम में किसी भी अधिनियम को स्पष्ट

रूप से निरस्त करने का प्रावधान नहीं है। धारा 2 के बारे में आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है और हमारा विचार है कि इस मुद्दे पर इसका कोई और असर नहीं है।

अधिनियम की धारा 32

30. अधिनियम की धारा 32 पर आते हुए, जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, यह अध्याय IV में आता है। निरीक्षक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या

एक अधिसूचना के तहत निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से राज्य सरकार। धारा 21 नियमों के तहत उन शक्तियों को निर्धारित करने पर विचार करती है जिनका प्रयोग निरीक्षकों द्वारा उन कर्तव्यों के अलावा किया जा सकता है जो उनके द्वारा अन्य बातों के साथ किए जा सकते हैं। अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है

निरीक्षकों द्वारा खोज की शक्ति के लिए। उनके पास किसी भी परिसर का निरीक्षण करने, नमूने लेने, खोज करने, किसी भी अभिलेख की जांच करने, वस्तु को पंजीकृत करने और उन्हें जब्त करने की शक्ति है। विधानमंडल ने निस्संदेह आवेदन किया है

अधिनियम के तहत तलाशी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान। धारा 23 विस्तृत रूप से निरीक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है।

संबंधित सरकार द्वारा उस सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित (3) व्यथित व्यक्ति (4) क मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ चाहे वह व्यक्ति उस संघ का सदस्य हो या नहीं। धारा 32 आगे घोषणा करती है कि जब तक यह अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक सत्र न्यायालय से हीन कोई भी अदालत अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा नहीं चलाएगी। धारा 32 (3) यह स्पष्ट करती है कि अध्याय IV में कुछ भी व्यक्ति के होने के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा।

किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्य या चूक के लिए मुकदमा चलाया जाता है जो

इस अध्याय के विरुद्ध अपराध है। धारा 32 को 2008 के अधिनियम 22 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" 32 अपराधों का संज्ञान। (1) इस अध्याय के तहत कोई अभियोजन एक निरीक्षक या द्वारा के अलावा स्थापित नहीं किया जाएगा

व्यथित व्यक्ति या किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ द्वारा

ऐसा व्यक्ति उस संघ का सदस्य है या नहीं।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(2) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या किसी अदालत से कम कोई अदालत नहीं

प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अध्याय के तहत दंडनीय अपराध का विचारण करेगा।(3) इस अध्याय में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को किसी अन्य कानून के तहत किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए मुकदमा चलाने से रोकने के लिए नहीं समझा जाएगा जो इस अध्याय के खिलाफ अपराध है।

32. यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 190 का शीर्षक 'मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान' भी है। संज्ञान के तहतधारा 190 पर तीन अलग-अलग तरीकों से विचार किया गया है। वे हैं-(1) ऐसे अपराधों को गठित करने वाले तथ्यों की शिकायतें, (2) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट, (3) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी भी जानकारी पर या अदालत को अपराध करने के बारे में जानकारी होने पर। दूसरे शब्दों में, जहां अदालत स्वतः संज्ञान लेती है। अधिनियम की धारा 32 के बीच एक तुलना और

190 अपराधों के संज्ञान से निपटने वाली सी. आर. पी. सी. की धारा, यह स्पष्ट करती है कि कानून प्रदाता ने सामान्य कानून के तहत अपराधों के अभियोजन के संबंध में अलग-अलग तरीकों का प्रावधान किया है, अर्थात्। , सी. आर. पी. सी. और अधिनियम की धारा 32 में निहित विशेष प्रावधान।

33. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 इस प्रकार है:

" 193. सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान। इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि इस अधिनियम के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मामला नहीं किया गया हो। कोड "।

34. धारा 195 न्यायालय द्वारा लिखित शिकायत को छोड़कर उसमें उल्लिखित अपराधों का कोई भी संज्ञान लेने से रोकती है।

उसमें नामित व्यक्ति। 35. इसी तरह धारा 198 ए और धारा 199 अदालतों को केवल उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेने की अनुमति देती है। इसी तरह, धारा 199 किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर मानहानि के अपराध का संज्ञान लेना वर्जित करती है।

36. अधिनियम की धारा 36 ए. डी. सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों को लागू करती है, सिवाय इसके कि अधिनियम में इसके संबंध में अन्यथा प्रावधान किया गया है -

विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को सत्र न्यायालय माना जाता है और अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति [2020] 10 एस. सी. आर. है।

लोक अभियोजक माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परंतुक अधिकार देता है

केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए।

योग्यताएँ। योग्यताओं का अधिनियम के तहत किए जाने वाले विशेष कर्तव्यों के प्रदर्शन के साथ संबंध है। जाहिरा तौर पर, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में ज्ञान उन्हें अपने विविध कार्यों को करने के लिए सुसज्जित करने में एक लंबा रास्ता तय करता है। धारा 22 के अनुसार निरीक्षक को शक्तियों के साथ इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि विधायी मूल्य निर्णय कि एक शिकायत अधिनियम के तहत निरीक्षक द्वारा दायर की जानी है न कि सीआरपीसी के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा। इंस्पेक्टर

उन परिसरों का निरीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है जहां दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण, बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन, बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है या वितरित किया जा रहा है। नमूने विनिर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण के स्थानों पर लिए जाने हैं। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि जहां उनके पास यह मानने का कारण हो कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, वे किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेंगे, किसी भी स्थान पर प्रवेश करेंगे, किसी भी वाहन को रोकेंगे और उसकी तलाशी लेंगे, रिकॉर्ड की जांच करेंगे।

और दस्तावेज़ और उसी को जब्त करें। अंत में, धारा 22 (1) (डी) घोषणा करती है कि वह अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इसके लिए आवश्यक हो सकती हैं।अध्याय IV या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों को पूरा करना।

निरीक्षकों द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया भी कानून द्वारा प्रदान की जाती है।

38. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

" 26. परीक्षण या विश्लेषण प्राप्त करने के लिए सक्षम दवा या सौंदर्य प्रसाधन का खरीदार। कोई भी व्यक्ति या कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ,

चाहे वह व्यक्ति उस संघ का सदस्य है या नहीं, निर्धारित तरीके से आवेदन करने पर और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, किसी सरकारी विश्लेषक को उसके या उसके द्वारा खरीदी गई किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन के परीक्षण या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करने और उसके द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे परीक्षण या विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त करने का हकदार होगा।

सरकारी विश्लेषक।

स्पष्टीकरण। इस धारा और धारा 32 के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ" का अर्थ है एक स्वैच्छिक संगठन।

कंपनी अधिनियम, 1956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत उपभोक्ता संघ। भारत संघ v.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

39. उसी का अवलोकन उस भूमिका को इंगित करेगा जो किसी भी व्यक्ति और मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ को अर्थ के भीतर सौंपी गई है।

धारा 32। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 घोषित करती है कि आवेदन पर, कोई भी व्यक्ति या कोई मान्यता प्राप्त उपभोक्ता

एसोसिएशन, निर्धारित तरीके से और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, व्यक्ति या एसोसिएशन द्वारा खरीदी गई किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन को सरकारी विश्लेषक को परीक्षण या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करने और सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे परीक्षण या विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त करने का हकदार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत किसी अपराध के होने का खुलासा करने वाली रिपोर्ट के साथ वे धारा 32 का आह्वान कर सकते हैं और अपराधी पर मुकदमा चला सकते हैं।

40. अधिनियम की धारा 32 निस्संदेह लेने का प्रावधान करती है।

केवल चारों के कहने पर अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान उसमें उल्लिखित श्रेणियाँ। वे इस प्रकार हैं: (क) अधिनियम के तहत निरीक्षक; (ख) केंद्र या राज्य द्वारा सशक्त कोई राजपत्रित अधिकारी।

सरकार; (ग) पीड़ित व्यक्ति; और (घ) स्वैच्छिक संगठन। यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं किया है जो अदालत का रुख कर सके। इससे पहले कि मामला अदालत में पहुंचे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत, आम तौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से शुरू होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के लिए, धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट में जांच की जाती है। पुलिस रिपोर्ट, वास्तव में, अदालत को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है। सी. आर. पी. सी. की धारा 190 के तहत अदालत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान ले सकती है। ऐसी प्रक्रिया अधिनियम की धारा 32 से परे है। दूसरे शब्दों में, यह पुलिस के लिए खुला नहीं है

अधिकारी धारा 32 के तहत अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। धारा 32 (3) के तहत विचार किए गए अपराधों के संबंध में, पुलिस अधिकारी के पास संबंधित प्रावधानों के अनुसार शक्ति हो सकती है। एक विशेष अधिनियम होने के कारण, अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने का तरीका अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 32 घोषणा करती है कि सत्र न्यायालय से कम कोई भी न्यायालय अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा नहीं चलाएगा।

हमने देखा है कि सी. आर. पी. सी. की धारा 193 के तहत, कोई भी सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि मामला सी. आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया गया हो। यह, निस्संदेह, उस कानून के अधीन है जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सत्र न्यायालय किसी भी अपराध का मूल क्षेत्राधिकार न्यायालय के रूप में संज्ञान ले सकता है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विशेष अदालत को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है जो [2020] 10 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सत्र न्यायालय अध्याय IV के तहत अपराध का संज्ञान लेगा। इसका मतलब है कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में भी दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV और XVI के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। लेने से संबंधित अधिनियम की धारा 200 से शुरू शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए गवाहों की जांच, धारा 203 के तहत एक अयोग्य शिकायत को खारिज करना और प्रक्रिया जारी करने के मामले में धारा 202 के तहत प्रक्रिया का पालन करना शामिल है, सभी कदमों का पालन किया जाना है। यह सच है कि जब धारा 32 के तहत शिकायत या तो निरीक्षक द्वारा या धारा 200 के तहत लोक सेवक होने के नाते अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा दायर की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने से छूट दी जाती है।

41. विद्वान न्यायमित्र, जब प्रक्रिया के बारे में पूछा गया

जब धारा 32 (सी) और (डी) में आने वाले व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है, तो इसे अपनाया जाना चाहिए। , पीड़ित व्यक्ति या एक स्वैच्छिक संघ, यह प्रस्तुत किया गया था कि मजिस्ट्रेट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत,

पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जाँच का आदेश दें। एक अवलोकन

धारा 202 से पता चलेगा कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के संबंध में, विशेष रूप से विचारण योग्य होने के कारण, सत्र न्यायालय द्वारा, धारा 202 की उप-धारा (1) का परंतुक धारा 202 के तहत जांच के निर्देश को प्रतिबंधित करता है। धारा 202 की उप-धारा (2) के परंतुक में यह विचार किया गया है कि जब कोई अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होता है, और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत आगे बढ़ता है, तो वह शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और शपथ पर उनसे पूछताछ करने के लिए कहने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, क्रमशः उप-धारा (1) और (2) में दो प्रावधानों का प्रभाव इस प्रकार है:

सी. आर. पी. सी. की धारा 202 के तहत कार्यवाही करने वाला मजिस्ट्रेट है

दो शर्तों के अधीन:

ए। एक साधारण मामले के विपरीत, जिसका अर्थ है, एक अपराध जो

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं है, ऐसे मामले में जहांयह विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध है,

जाँच स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा सकती है। यह है। वह जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वह पुलिस द्वारा हो।

अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति।

बी। उसके द्वारा इस प्रकार की गई जाँच के संबंध में, उसे फोन करना चाहिए

उस पर

शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करना चाहिए और उन्हें होना चाहिए

जांच किसी भी शपथ पत्र के आधार पर नहीं की गई, और भारत संघ v के बिना नहीं।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

शपथ का समर्थन लेकिन परीक्षा एक शपथ के तहत होनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि पिछली संहिता के तहत मौजूद प्रावधानों के तहत, एक विस्तृत प्रारंभिक जांच पर विचार किया गया था, जिसमें एक आरोपी को भी गवाहों से जिरह करने का अधिकार था।

प्रतिबद्ध आदेश पारित किया गया था। यह अब जीवित नहीं रहता है

संशोधन।

42. विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध हैं -

आम तौर पर पुलिस रिपोर्ट के बल पर पीछा किया जाता है। पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों की जांच करता है, अन्य साक्षय एकत्र करता है, इस संतोष पर पहुंचता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आरोपित करने के लिए मामला बनाया गया है और तदनुसार, धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया जाता है। संहिता की धारा 207 उपलब्ध कराने पर विचार करती है।

अन्य दस्तावेजों के साथ जिन गवाहों के बयानों की जांच की गई है, उन्हें अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जैसा कि उसमें दिया गया है। यह तैयार करता है मामले के आरोपी को सत्र न्यायालय में मिलने के लिए बुलाए जाने की संभावना है।

43. जहाँ तक आपराधिक कानून को लागू करने वाले शिकायतकर्ता का संबंध है, जो विचार किया जाता है वह यह है कि धारा 202 के साथ पठित धारा 200 के तहत संज्ञान के तंत्र द्वारा, जो धारा 204 के तहत समन या वारंट जारी करने में समाप्त होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष सामग्री है और अदालत को आश्वस्त किया जाता है कि मामला तुच्छ नहीं है और पूरी तरह से योग्यता रहित है जो निस्संदेह प्रथम दृष्टया एक संज्ञानात्मक अपराध के संबंध में उस स्तर पर कानून में विचार किया गया है। इसके अलावा, आश्वस्त करने वाला पहलू, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट के तहत शुरू किए गए अभियोजन में, सत्र न्यायालय द्वारा एक मुकदमे में आरोपी, जिसके लिए अदालत धारा 209 के तहत एक मामला प्रतिबद्ध होगी, को भी पहले से पता होगा कि उसे उस मामले को देखना होगा जो मजिस्ट्रेट के साथ सामग्री के संबंध में है और जो अधिनियम की धारा 208 के तहत उसे उपलब्ध कराया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, हमें विद्वान न्यायमित्र के इस तर्क पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है किधारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के निर्देश को वर्जित नहीं किया जाएगा क्योंकि एक निर्देश के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा जांच का परिणाम धारा 173 के तहत रिपोर्ट के बराबर नहीं होगा। यह इस कारण से है कि विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध होने के कारण, जैसा कि पहले देखा गया है, मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 202 के तहत जांच का निर्देश देने पर रोक है।

अन्यथा।

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि

अधिनियम के अध्याय IV के तहत संदर्भ के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एक प्राथमिकी एक व्यर्थ अभ्यास है। यह उनका निवेदन है कि प्रथम सूचना वक्तव्य (एफ. आई. एस.) दाखिल करना (हम उनकी शिकायत पर ध्यान देते हैं कि अदालतें भी एफ. आई. एस. को शिकायत के रूप में संदर्भित करती हैं जबकि एक शिकायत सी. आर. पी. सी. की धारा 190 के तहत विचार की जाती है जो अदालत के समक्ष दायर की जाती है) धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी स्टेशन हाउस अधिकारी के समक्ष प्रदान की गई जानकारी का गठन करती है जो अधिकारी को सक्रिय करती है और वह धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने के उद्देश्य से मामले की जांच करता है जिसे एक मामले में आरोप पत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है।

अभियुक्त। 45. इस मोड़ पर यह देखा जा सकता है कि अधिनियम गिरफ्तारी पर विचार करता है। धारा 36 एसी स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि कुछ अपराध गैर-कानूनी हैं।

जमानतीय। धारा 36 एसी (बी) घोषणा करती है कि उसमें उल्लिखित अपराधों के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है और जहां लोक

अभियोजक विरोध करता है, अदालत का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत देने की यह सीमा सी. आर. पी. सी. या उस समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अलावा है।जमानत देने पर लागू होना। हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देने के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियाँ हैं -

जैसा कि उसमें पाया जाता है संरक्षित किया जाता है।

46. अतिरिक्त सॉलिसिटर सुश्री पिंकी आनंद का तर्क

जनरल का कहना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 36 एसी के तहत कुछ अपराधों को संज्ञेय घोषित किया गया है, पुलिस की शक्तियां

सी. आर. पी. सी. के तहत धारा 154 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करने के कर्तव्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है। एकमात्र निषेध आरोप पत्र दायर करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ है। पुलिस अधिकारी द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करने और जाँच करने पर भी कोई रोक नहीं हो सकती है।

यह यूनियन ऑफ इंडिया v को सामने लाता है। अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

एक अन्य मुद्दा, वह व्यक्ति कौन है जो अधिनियम के अध्याय IV में अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सी. आर. पी. सी. के तहत काम करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए यह खुला है? क्या अधिनियम के तहत निरीक्षक को अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है? इस पहलू पर विचार करने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि इस न्यायालय ने अतीत में अन्य बातों के साथ-साथ संज्ञान लेने के मामले में कैसे बात की।

पहलू।

एक नज़र डालें कि अतीत में यह न्यायालय कैसे बात करता था

47. जीवन कुमार राउत और एक अन्य वी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 3, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (टी. ओ. एच. ओ. अधिनियम) के तहत मामला सामने आया। इस अधिनियम की धारा 22 इस प्रकार है:

" 22. अपराध का संज्ञान।

(1) कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर -

(क) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी।

या, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त प्राधिकरण; या

अदालत में शिकायत करें।(2) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के अलावा कोई अदालत नहीं।

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई करेंगे।

ऐसे व्यक्ति को उसके कब्जे में अभिलेख "।48. अपीलार्थी चिकित्सा व्यवसायी थे। एफ़. आई. आर. थी

उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420 और टीओएचओ अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जाँच यह थी किमामले में प्रतिवादी, सी. बी. आई. को स्थानांतरित किया गया। सी. बी. आई. ने एक और एफ. आई. आर. दर्ज की जिसमें टी. ओ. एच. ओ. अधिनियम की धारा 18 और 19 शामिल हैं। अपीलार्थी नं. 2 गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

3 3 (2009) 7 एससीसी 526 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लैंट नं. 1 समर्पण कर दिया। प्रतिवादी ने इसके तहत शिकायत दर्ज कराई

टी. ओ. एच. ओ. अधिनियम के 22 पर यह इंगित करते हुए कि 90 दिनों की अवधि

यह 07.05.2008 पर समाप्त हो गया, अपीलार्थी सं। 2 के लिए आवेदन किया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के अर्थ के भीतर जमानत। यह था,

इसी पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 19. टी. ओ. एच. ओ. एक विशेष अधिनियम है। यह विषयों से संबंधित है

जिसमें उल्लेख किया गया है। मानव निष्कासन से संबंधित अपराध

अंग आदि। केवल विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए,

उक्त विनियामक कानून का अधिनियमन अनिवार्य था।

20. टी. ओ. एच. ओ. एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

इसकी धारा 13। उपरोक्त प्रावधान के कारण, एक उपयुक्त प्राधिकारी को विशेष रूप से अन्य बातों के साथ अधिकृत किया गया है।

किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जांच करना।

टी. ओ. एच. ओ. या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम और उचित कार्रवाई। उपयुक्त प्राधिकारी, अपवादों के अधीन

इस प्रकार, टी. ओ. एच. ओ. में प्रावधान केवल मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत है।

उसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का, चाहे वह दंडात्मक हो या

अन्यथा।

21. आम तौर पर, कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को लागू कर सकता है।

हालाँकि, संसद और राज्य विधानमंडलों को ध्यान में रखते हुए

विषय की संवेदनशीलता और/या महत्व को तराशा गया है।

उसमें निर्दिष्ट किया गया है। प्रभारी अधिकारी के समक्ष दर्ज की गई प्राथमिकी गुड़गांव पुलिस स्टेशन सूचना के माध्यम से था। यह किया खुलासा

न केवल टी. ओ. एच. ओ. के तहत बल्कि इसके तहत भी अपराध करना।दंड संहिता के विभिन्न प्रावधान। प्रभारी अधिकारी

हालांकि, पुलिस स्टेशन को उपयुक्त द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था

सरकार टी. ओ. एच. ओ. के संबंध में मामले से निपटने के लिए; लेकिन,उत्तरदाता था। मामले की उस दृष्टि से, की जाँच

उक्त शिकायत उसे सौंप दी गई।

XXX

XXX

XXX

XXX

23. टी. ओ. एच. ओ. एक विशेष अधिनियम है और इससे संबंधित मामला

उसके तहत अपराधों से निपटने के लिए कारण द्वारा विनियमित किया गया है

उसके प्रावधानों में किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता है।जो कुछ भी भारत बनाम के प्रावधानों पर प्रबल होगा।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

कोड। टी. ओ. एच. ओ. की धारा 13 (3) (iv) के संदर्भ में जांच,

गुड़गांव पुलिस स्टेशन के पास सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उचित प्राधिकारी को जाँच।

XXX

XXX

XXX

XXX

25. टी. ओ. एच. ओ. की धारा 22 संज्ञान लेने से रोकती है।

वह व्यक्ति जिसने पहले शिकायत की थी जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया था। हालाँकि, प्रतिवादी के पास जाँच करने की सभी शक्तियाँ हैं।

एजेंसी, यह स्पष्ट रूप से एक दाखिल करने से वैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है

पुलिस रिपोर्ट। यह केवल एक उपयुक्त शिकायत याचिका दायर कर सकता है।

टीओएचओ की धारा 22। यदि टी. ओ. एच. ओ. के प्रावधानों के कारण,आवश्यक निहितार्थ द्वारा पुलिस रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है।

निषिद्ध, उप के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न

संहिता की धारा 173 की धारा (2) न तो उत्पन्न हुई और न ही उत्पन्न हो सकी।दूसरे शब्दों में, यदि कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती है, तो उप-धारा (2)

संहिता की धारा 167 को आकर्षित नहीं किया गया।

XXX

XXX

XXX

XXX

28. इसे अलग तरीके से कहें तो जांच पूरी होने पर,

एक अधिकृत अधिकारी केवल शिकायत दर्ज कर सकता था, पुलिस नहीं। रिपोर्ट, एक विशिष्ट बार के रूप में संसद द्वारा बनाई गई है। उस में

मामले को देखते हुए, पुलिस रिपोर्ट शिकायत नहीं है और

इसके विपरीत, यह उत्तरदाता की ओर से चुनना अनिवार्य था मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का आह्वान करने वाली उक्त विधि

टी. ओ. एच. ओ. में, इस प्रकार, प्रत्यर्थी को एक फाइल करने की अनुमति देगाशिकायत और न कि एक रिपोर्ट जो कार्रवाई की प्रक्रिया हो सकती है

सहायता ली गई लेकिन इसमें निहित विशेष प्रावधानों के लिए

टी. ओ. एच. ओ. की धारा 22 "।

(जोर दिया गया)

49. हम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई आशा को भी देख सकते हैं

जांच करने के लिए अधिकृत अधिकारी के पास शक्ति की अनुपस्थिति के बारे में संदेह व्यक्त करने वाला सहायक हस्तक्षेपः

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 37. तथापि, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी के पास

विशेष रूप से 1946 के अधिनियम के तहत और इसके तहत भी सशक्त किया गया है

जांच करने और आरोप पत्र दायर करने के लिए संहिता है

केवल टी. ओ. एच. ओ. की धारा 22 के कारण ऐसा करने से वंचित।

और जाँच जारी रखें जैसे कि वह एक पुलिस अधिकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि संसद उपयुक्त संशोधन के लिए उचित उपाय करेगी।

निकट भविष्य में कानून "।

50. जमीरुद्दीन अंसारी बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और

दूसरा मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका) के तहत सामने आया। एक व्यक्ति द्वारा कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। विशेष न्यायाधीश ने आदेश दिया कि

पुलिस आयुक्त सी. आर. पी. सी. की धारा 156 (3) के तहत शिकायत की जांच करेंगे। राज्य ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका में यह रुख अपनाया कि एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 (2) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पूर्व मंजूरी पर विचार किया गया है, न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 9 और 23 का विज्ञापन करना आवश्यक है। अनुभाग

(9) अन्य बातों के साथ-साथ मकोका का 23 इस प्रकार है:

" 9. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। (1) ए स्पेशल

न्यायालय अभियुक्त के बिना किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।

तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, मुकदमे के लिए इसके लिए प्रतिबद्ध होनाजो इस तरह के अपराध का गठन करता है या ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर

तथ्य। (2) - (3) ***

XXX

XXX

XXX

XXX

" 23. किसी अपराध का संज्ञान लेना और उसकी जाँच करना।

(1) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

(क) अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं

इस अधिनियम के तहत संगठित अपराध, एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।

रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना

पुलिस उप महानिरीक्षक;

(ख) के प्रावधानों के तहत किसी अपराध की कोई जांच नहीं

इस अधिनियम का पालन निम्न पद के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

पुलिस उपाधीक्षक।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(2) कोई भी विशेष न्यायालय पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे "।

51. इस मामले की सुनवाई के लिए गठित पूर्ण पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि धारा 9 के तहत एक निजी शिकायत, धारा 23 के तहत आवश्यकता से मेल खाती है। इस न्यायालय ने अन्य रूप से निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 67. हम यह भी मानते हैं कि मैकोका की धारा 25 के प्रावधानों को देखते हुए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का दंड प्रक्रिया के प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा। अतः संहिता और विद्वत विशेष न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के प्रावधानों को लागू करने के हकदार नहीं होंगे।

निजी शिकायत पर विशेष जांच और संज्ञान लेना

इसके बाद, धारा 23 में बताए गए मार्ग को पार किए बिना

एमसीओसीए से। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि एक निजी शिकायत पर भी

मकोका संज्ञान के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है धारा 23 की उप-धारा (1) के उचित अनुपालन के बिना, जो एक गैर-अवरोधक खंड से शुरू होती है।

68. जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, धारा 23 के प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के आह्वान के खिलाफ प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय हैं जो बेहद कड़े हैं और सामान्य आपराधिक कानून के प्रावधानों से बहुत दूर हैं। यदि, जैसा कि अपनी ओर से प्रस्तुत किया गया हैकुछ उत्तरदाताओं में से, यह स्वीकार किया जाता है कि धारा 9 (1) के तहत एक निजी शिकायत धारा 23 की कठोरता के अधीन नहीं है, तो ऐसे सुरक्षा उपायों को शुरू करने का उद्देश्य ही अपना अधिकार खो देता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच। धारा 23 (2) का प्रतिबंध किसी भी निजी शिकायत के संबंध में बना हुआ है। प्रकृति या पुलिस रिपोर्ट पर "।

52. इसके बाद, न्यायालय निम्नलिखित प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए आगे बढ़ा:

" 69. एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 9 (1) और धारा 23 के प्रावधानों को एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण देने के लिए, ऐसी निजी शिकायत की प्राप्ति पर विद्वान विशेष न्यायाधीश को इसे धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में इंगित अधिकारी को भेजना होगा ताकि उप-धारा (1) के खंड (बी) में इंगित एक पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच की जा सके और उसके बाद ही शिकायत किए गए अपराध का संज्ञान लिया जा सके, यदि ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय को मंजूरी दी जाती है।

धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से कम के पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान। 54. एच. एन. रिशबुद और इंदर सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय। दिल्ली राज्य ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत एक मामले को निपटाया। उक्त मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (4) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकरण के बिना एक अधिकारी द्वारा जांच की गई थी। संज्ञान लिया गया और मुकदमा चला। इसके बाद आरोपी ने जांच में खामियों की ओर इशारा किया। यह उक्त परिस्थितियों में है, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ जांच से निपटने के लिए आगे बढ़ाया:

" 8. ..... इस प्रकार, संहिता की जांच के तहत आम तौर पर निम्नलिखित चरण होते हैं: (1) (2) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पुष्टि, (3) खोज और

संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी, (4) अपराध करने से संबंधित साक्ष्य का संग्रह जिसमें (क) विभिन्न व्यक्तियों (अभियुक्त सहित) की जांच और उनके बयानों को लिखित रूप में कम करना शामिल हो सकता है, यदि अधिकारी उचित समझता है,

(ख) आवश्यक मानी जाने वाली वस्तुओं की तलाशी या उन्हें जब्त करना।

जाँच के लिए और मुकदमे में पेश करने के लिए, और (5)

एकत्र की गई सामग्री के बारे में राय बनाना

अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने रखने का मामला है।

और यदि ऐसा है तो इसके लिए आवश्यक कदम उठाते हुए

धारा 173 के तहत आरोप पत्र। ..... "

55. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने यह विचार रखा कि अयोग्यता

जाँच के बारे में, यदि न्यायालय के संज्ञान में लाया जाए

पर्याप्त प्रारंभिक चरण में, अवैधता को ठीक करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। तथापि, यह पाया गया कि यदि किसी पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता है तो उससे संबंधित अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन से दूषित हो जाता है -जाँच, मुक़दमे के परिणाम को तब तक प्रभावित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हो। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी कीं:

" 9. ..... यहाँ हम उल्लंघन के प्रभाव से चिंतित नहीं हैं।

क्षमता या प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अनिवार्य प्रावधान का

इस तरह के उल्लंघन के लिए कि सवाल यह है कि क्या यह एककार्यवाही को दूषित करने वाली अवैधता या केवल अनियमितता उत्पन्न होती है।

(जोर दिया गया)

56. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम विमल कुमार

प्रतिनिधि और जाली मुहर तैयार करके दस्तावेज़ जमा कर रहा था। अपीलार्थी-संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि ने पुलिस अधिकारी को एक शिकायत प्रस्तुत की। जांच के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामलाआई. पी. सी. और चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम की धारा 24 और 26 के तहत अपराधों का चालान। उसी पर सफलतापूर्वक सवाल उठाया गया था

प्रत्यर्थी इस आधार पर कि वह धारा 28 के अधिदेश का उल्लंघन करता है

चार्टर्ड लेखा अधिनियम।

57. सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 28 इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

" 28. मुकदमा चलाने की मंजूरी

इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा सिवाय इसके कि

परिषद द्वारा या उसके आदेश के तहत की गई शिकायत

केंद्र सरकार "। 58. इस न्यायालय ने द्वारा दिए गए निर्णयों की रेखा पर ध्यान दिया

यह न्यायालय जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) से बहने वाले एक ही अपराध के लिए अभियोजन और सजा के खिलाफ निषेध के आधार पर तर्क से निपटने के माध्यम से अलग-अलग अपराधों के अभियोजन की अनुमति दी। हम विमल कुमार सुराना के पैराग्राफ 20,21 और 41 और एक अन्य (ऊपर) पर ध्यान देते हैं:

" 20. दूसरे शब्दों में, यदि किसी सदस्य का विशेष कार्य

संस्थान या गैर-सदस्य या कंपनी के परिणामस्वरूप उल्लंघन होता है

धारा 24 या उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों का

धारा 24-ए, 25 या 26 और ऐसा कार्य भी दंडनीय है।

दुराचार जिसे आई. पी. सी. के तहत अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, तो शिकायत परिषद द्वारा या उसके आदेश के तहत दायर की जा सकती है या

धारा 28 के तहत केंद्र सरकार, जो अंततः

जिसके परिणामस्वरूप धारा 24 के तहत निर्धारित दंड लगाया जाता है।

गैर-सदस्य या कंपनी पर किसी भी पहचान के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। आई. पी. सी. के तहत अपराध।

21. धारा में निहित निषेध का अंतर्निहित उद्देश्य

28 चार्टर्ड के पेशे में लगे व्यक्तियों की रक्षा करना हैझूठी और असमर्थनीय शिकायतों के खिलाफ लेखाकार

अध्याय VII में निहित प्रावधानों की भाषा जिसमें से यह यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संसद उन्हें प्रतिरक्षा प्रदान करना चाहती थी

अभियोजन और सजा से सदस्य और गैर-सदस्य

यदि ऐसे सदस्य या गैर-सदस्य की कार्रवाई अपराध है।

आई. पी. सी. या किसी अन्य कानून के तहत।

XXX

XXX

XXX

XXX

41. यह भी उल्लेख करना उचित है कि प्रावधान को छोड़कर

धारा 28 में किसी व्यक्ति के अभियोजन के विरुद्ध निहित है, जो

उप-धारा (1) के उल्लंघन में कार्य करने का आरोप है

धारा 24,24-ए, 25 या 26 अन्यथा की गई शिकायत पर

परिषद या केंद्र सरकार के आदेश द्वारा या उसके अधीन,

अधिनियम भारत संघ को दंडित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।

ऐसा व्यक्ति। इस तरह के किसी प्रावधान के अभाव में, प्रक्रिया

जांच, जाँच के लिए सी. आर. पी. सी. में निर्धारित का पालन करना होगा

और उस शिकायत का विचारण जो अधिनियम के अध्याय VII में निहित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दायर की जा सकती है-धारा

4 सीआरपीसी "।

59. राज्य में (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संजय, ई. टी. सी., ETC.7, मामला खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के तहत उठा,

1957 (एम. एम. डी. आर. अधिनियम) के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 378 और 379 के तहत भी और निर्णय के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अलावा धारा 21 और 22 के प्रावधान, धारा 379/114 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन के लिए एक बाधा के रूप में काम करते हैं और

आईपीसी के अन्य प्रावधान। उक्त अधिनियम की धारा 21 विभिन्न दंड निर्धारित करती है। धारा 22 अपराधों के संज्ञान से संबंधित है और यह निम्नानुसार है:

" 22.अपराधों का संज्ञान। कोई अदालत नहीं लेगी

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान, लिखित शिकायत को छोड़कर

केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति।

60. यह न्यायालय दिल्ली और गुजरात के उच्च न्यायालयों के फैसलों की अपीलों पर विचार कर रहा था। मामलों के पंजीकरण को चुनौती दी गई थी

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के आधार पर। पैराग्राफ 8,9,10 और 11 उन प्रश्नों को प्रकट करते हैं जो उत्पन्न हुए और उच्च न्यायालय द्वारा इससे कैसे निपटा गया:

" 8. 2011 की आपराधिक अपील सं. 499, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आदेश [संजय बनाम। राज्य, (2009) 109 डी. आर. जे. 594]

दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन नियम बनाए

विचार के लिए मुद्दे:

(1) क्या पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सकती थी

मामला;

(2) क्या मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित; और(3) क्या दंड संहिता की धारा 379/411 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने के लिए चोरी का मामला बनाया गया था।

7 (2014) 9 एससीसी 772 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रावधानों को संदर्भित करने के बाद

प्रत्यर्थी को संशोधन करने का निर्देश देने वाले आवेदन का निपटाराएफ. आई. आर., जिसे दर्ज किया गया था, उल्लिखित अपराध को परिवर्तित करके

इसमें आई. पी. सी. की धारा 379/411/120-बी/34 से धारा 21 के तहत

एमएमडीआर अधिनियम। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैरा 18 में

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उक्त अधिनियम I की धारा 21 (6) के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसे पकड़ो:

(i) उक्त अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय है।

((ख) तथापि, जहाँ तक उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने का संबंध है, इसे मजिस्ट्रेट द्वारा केवल एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर लिया जा सकता है, जिसे पुलिस के साथ दायर किया जा सकता है। रिपोर्ट करें;

(iii) चूंकि बिना अनुमति के रेत खनन का अपराध उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय है, इसलिए उक्त अपराध का प्रश्न निम्नलिखित के तहत एक अपराध है।

आई. पी. सी. की धारा 379 उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि उक्त अधिनियम अवैध खनन को केवल तभी अपराध बनाता है जब इस तरह के निष्कर्षण के लिए कोई परमिट/लाइसेंस न हो और इस संबंध में एक शिकायत है -

एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर किया गया।

10. दूसरी ओर गुजरात उच्च न्यायालय ने

विचार के लिए प्रश्न पूछें:

(1) क्या अधिनियम की धारा 22 दायर करने पर भी रोक लगाएगी

दंडनीय अपराधों के संबंध में पुलिस के समक्ष एक प्राथमिकी

उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत?

(2) यदि ऐसी प्राथमिकियों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है और पुलिस

जांच करने की अनुमति, क्या संबंधित मजिस्ट्रेट ले सकता है

पुलिस रिपोर्ट पर अपराधों का संज्ञान?

(3) दंडनीय अपराधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता के तहत ऐक्ट?

ऑन ऑफ इंडिया वी. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

11. गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

(i) उक्त अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय है।

((ख) तथापि, जहाँ तक उक्त अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान लेने का संबंध है, इसे द्वारा लिया जा सकता है -मजिस्ट्रेट केवल एक अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर, जिसे पुलिस रिपोर्ट के साथ दायर किया जा सकता है;

(iii) चूंकि बिना अनुमति के रेत खनन का अपराध उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय है, इसलिए उक्त अपराध के आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत अपराध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि उक्त अधिनियम अवैध खनन को केवल तभी अपराध बनाता है जब इस तरह के निष्कर्षण के लिए कोई परमिट/लाइसेंस न हो और इस संबंध में एक अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है।

61. गुजरात उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 22 निषेध नहीं करती है।

एमएमडीआर के तहत अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना

और उसके तहत नियम। हालांकि, यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला नहीं था

ई संज्ञान। इस न्यायालय ने संजय, ई. टी. सी. (ऊपर) में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया:

नदी के तल, मछली प्रजनन और कई जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। यदि राज्य और राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा इन अवैध गतिविधियों को नहीं रोका जाता है, तो यह गंभीर स्थिति पैदा कर देगा प्रभाव जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है। यह न केवल नदी के जल विज्ञान को बदलेगा बल्कि भूजल स्तर को भी कम करेगा।

70. प्रतिबंधों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है

एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अधिरोपित और उसमें उपबंधित उपाय। में।

किसी भी मामले में, जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन गतिविधि होती है धारा 4 और अन्य धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन

अधिनियम, अधिनियम [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत सशक्त और अधिकृत अधिकारी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने सहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह भी विवाद में नहीं है कि मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा उसके समक्ष दायर शिकायत के आधार पर संज्ञान लेगा। अधिनियम की धारा 4 और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन और उल्लंघन के मामले में, पुलिस अधिकारी उक्त अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के

आधार पर अधिनियम के तहत संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट पर जोर नहीं दे सकता है। दूसरे शब्दों में, अधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के खिलाफ अधिनियम की धारा 22 में निहित निषेध आकर्षित होता है।

केवल तभी जब ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने की मांग की जाती है, न कि किसी ऐसे कार्य या चूक के लिए जो दंड संहिता के तहत अपराध है।71. हालांकि, ऐसी स्थिति हो सकती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी पट्टे या लाइसेंस या किसी प्राधिकरण के नदी में प्रवेश करता है और रेत, बजरी और अन्य खनिज निकालता है और राज्य के कब्जे से बेईमानी से उन खनिजों को हटाने के इरादे से गुप्त तरीके से उन खनिजों को निकालता है या परिवहन करता है, दंड संहिता की धारा 378 और 379 के तहत ऐसा अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय, जबकि बेईमानी से रेत, बजरी और अन्य खनिजों को हटाने के लिए नदी, जो राज्य की संपत्ति है, सहमति के बिना राज्य के कब्जे से बाहर, चोरी का अपराध है। इसलिए, केवल इसलिए कि शिकायत के आधार पर एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए कार्यवाही शुरू करने से पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करके ऊपर उल्लिखित तरीके से रेत और खनिजों की चोरी करने के लिए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका नहीं जा सकता है और न ही यह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान। दूसरे शब्दों में, एक ऐसे मामले में जहां सरकारी भूमि से रेत और बजरी की चोरी होती है, पुलिस एक मामला दर्ज कर सकती है, उसी की जांच कर सकती है और एक अंतिम भारत संघ v प्रस्तुत कर सकती है।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट करना

जैसा कि प्रदान किया गया है, संज्ञान लेने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (डी)।

73. इस मामले में विचारपूर्वक विचार करने के बाद,

संहिता की तुलना में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में

दंड प्रक्रिया और दंड संहिता के, हम निश्चित हैं

राय है कि के तहत अपराध का गठन करने वाले तत्व

एमएमडीआर अधिनियम और बेईमानी से रेत हटाने की सामग्री

और बिना सहमति के नदी के तल से बजरी, जो है

आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत अपराध, की प्राप्ति पर पुलिस रिपोर्ट, अधिकार क्षेत्र वाला मजिस्ट्रेट ले सकता है

के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञानएमएमडीआर अधिनियम। नतीजतन, द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण

विभिन्न उच्च न्यायालयों को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए,

खारिज कर दिया। नतीजतन, इन आपराधिक अपीलों का निपटारा किया जाता है

संबंधित मजिस्ट्रेटों को आगे बढ़ने के निर्देश के साथ

तदनुसार "।

(जोर दिया गया)

62. सी. आर. पी. सी. के बारहवें अध्याय का शीर्षक है

" पुलिस को जानकारी और जाँच करने की उनकी शक्तियाँ "। अध्याय

"संज्ञेय मामलों में सूचना" शीर्षक वाली धारा 154 के साथ शुरू होता है। यह घोषणा करता है कि एक से संबंधित प्रत्येक जानकारी

पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को दिया गया संज्ञेय अपराध, यदि मौखिक रूप से दिया जाता है, तो उसे लिखित में घटाया जाना चाहिए और चाहे वह लिखित रूप में दिया गया हो या लिखित में घटाया गया हो, सूचना देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। धारा 154 सी. आर. पी. सी. के प्रमुख तत्वों पर ध्यान दिया जा सकता है। ए के संबंध में जानकारीएक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी तक पहुँचने वाला संज्ञेय अपराध, जिसे आमतौर पर संज्ञेय अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना बयान के रूप में समझा जाता है, जहाँ तक एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी का संबंध है, गेंद को लुढ़काता है। अध्याय में नोटिस करने के लिए अगला प्रावधान धारा 156 है। इसमें प्रावधान है कि पुलिस थाने का प्रभारी कोई भी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच कर सकता है, जिसके भीतर ऐसे थाने की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत को पूछताछ करने की शक्ति होगी।

अध्याय XIII के प्रावधानों में या उनके तहत प्रयास करें। वास्तव में, [2020] 10 एस. सी. आर. की धारा 177।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. आर. पी. सी., जो अध्याय XIII की पहली धारा हैआपराधिक न्यायालयों की जांच और परीक्षण की अधिकारिता में यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक अपराध की सामान्य रूप से उस न्यायालय द्वारा जांच और मुकदमा चलाया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था। इस प्रकार, आम तौर पर, यह पुलिस अधिकारी होता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संज्ञेय अपराध किया जाता है, उसके पास उस अपराध की जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा। धारा 178 के बाद धारा 177 के अपवादों का प्रावधान है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

इस मामले की आगे जांच करें। उप-धारा (2) घोषणा करती है कि संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मामला वह था जिसकी जांच करने का उसे प्रावधान के तहत अधिकार नहीं था। अंत में, उप-धारा (3) में प्रावधान है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो धारा 190 के तहत सशक्त है, ऐसी जांच का आदेश दे सकता है जिसे अधिकारी को उप-धारा (1) के तहत करना है। सी. आर. पी. सी. की धारा 157 के नोटिस के लिए यह अगला प्रासंगिक है:

" 157. प्रारंभिक जाँच के लिए प्रक्रिया। (1) यदि, प्राप्त जानकारी से या अन्यथा, एक पुलिस के प्रभारी अधिकारी

स्टेशन के पास एक अपराध के होने का संदेह करने का कारण है जिसकी जांच करने के लिए उसे धारा 156 के तहत अधिकार दिया गया है, वह तुरंत

उसी की एक रिपोर्ट लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजें

पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को प्रतिनियुक्त करेगा

ऐसी श्रेणी से नीचे जो राज्य सरकार, सामान्य या

विशेष आदेश, इस ओर से निर्धारित, आगे बढ़ने के लिए, मौके पर, करने के लिए

आवश्यक, की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करना अपराधी; बशर्ते कि

(क) जब किसी व्यक्ति के नाम पर ऐसे किसी अपराध की सूचना दी जाती है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं होता है, तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने या किसी अधीनस्थ अधिकारी को मौके पर जांच करने के लिए नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि प्रवेश करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

जाँच, वह मामले की जाँच नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उप-धारा की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन नहीं करने के अपने कारण बताएगा, और भारत संघ v में उल्लिखित मामले में।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

उक्त परंतुक के खंड (ख) में अधिकारी सूचना देने वाले को, यदि कोई हो, तुरंत ऐसी रीति से सूचित करेगा जो इसके द्वारा विहित की जाए।

राज्य सरकार, तथ्य यह है कि वह जांच नहीं करेगा

मामला दर्ज करें या इसकी जांच कराएं "।

63. यह 'प्रक्रिया के लिए' शीर्षक खंड के तहत आता है।

पुलिस रिपोर्ट। इस मोड़ पर, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 158 को नोटिस कर सकते हैं। यह धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने के तरीके के बारे में बताता है। यह राज्य सरकार द्वारा जारी एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शासित मामला है। काफी स्पष्ट रूप से धारा 158 भी अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले संज्ञेय अपराध के मामले में उन कारणों से लागू नहीं हो सकती है जिन्हें हमने स्वीकार किया है। धारा 159 मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने पर जांच का निर्देश देने या यदि वह तुरंत उचित समझता है तो अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ने या प्रतिनियुक्त करने, प्रारंभिक जांच करने या अन्यथा मामले का निपटारा करने के लिए सक्षम बनाती है।कोड में प्रदान किया गया तरीका। यह स्पष्ट है कि धारा 157 का उद्देश्य पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को सूचित रखने के लिए जवाबदेह ठहराना है। यह एक आश्वासन के रूप में कार्य करता है कि रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है और अभियुक्तों के अधिकारों को सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है। धारा 159 का उद्देश्य मजिस्ट्रेट को [2020] 10 एस. सी. आर. पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना भी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जांच पड़ताल की। ये सभी पहलू अप्रासंगिक हैं और अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट दोनों के लिए सीमा से बाहर हैं।

64. धारा 160 अध्याय के तहत जांच को संदर्भित करती है, अर्थात। , अध्याय बारहवाँ। धारा 161 गवाहों की जाँच के बारे में बताती है।

और बयानों को लेखन तक कैसे सीमित किया जाए। एक बार फिर, धारा 161 अध्याय XII के तहत की गई जाँच के बारे में बताती है। धारा 161 के तहत किस कथन का उपयोग किया जा सकता है और उस पर सीमा को धारा 162 सी. आर. पी. सी. में लिखा गया है। धारा 157 पर वापस लौटते हुए, हमने इस आवश्यकता पर ध्यान दिया है कि पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी द्वारा विचार किए जाने के संदेह के कारण के बारे में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे, जिस पर - मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेना है। यह याद रखें कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान ले सकते हैं।

शिकायत, पुलिस रिपोर्ट या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी या अन्यथा। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 157 धारा 154 के तहत प्राप्त जानकारी या किसी संज्ञानात्मक अपराध के बारे में अन्यथा प्राप्त जानकारी को पुलिस अधिकारी को जांच करने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना उन मामलों तक सीमित हो जाता है जहां अधिकारी पुलिस रिपोर्ट भेजना चाहता है, जिसे धारा 173 के तहत रिपोर्ट के रूप में परिभाषित किया गया है।सीआरपीसी। अधिनियम की धारा 32 के तहत संज्ञान लेने के संबंध में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अर्थ के भीतर पुलिस रिपोर्ट के लिए कोई जगह नहीं है। धारा 157 में विचार किया गया है कि अधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा, और यदि आवश्यक हो, तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करेगा। लेकिन प्रावधानों को पढ़ने पर, हम इस स्पष्ट धारणा को प्राप्त करते हैं कि कानून प्रदाता ने पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश के बिना संज्ञेय अपराध के मामले में जांच करने का अधिकार दिया है, जहां वह अंततः एक उपयुक्त मामले में चाहता है कि अदालत उस सामग्री के आधार पर संज्ञान ले जो वह एकत्र करता है और एक पुलिस रिपोर्ट प्रेषित करता है। अगर यह धारणा

हमारा दोषपूर्ण नहीं है, एक अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध के मामले में, हालांकि यह संज्ञेय होगा, एक पुलिस अधिकारी के पास मामले की जांच करने की शक्ति नहीं होगी। धारा 169 हिरासत में किसी व्यक्ति को रिहा करने के कर्तव्य के बारे में बात करती है यदि जांच में यह पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है।

भारत का संघ खंड v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

170 ऐसे मामलों से संबंधित है जहां जांच करने वाले अधिकारी को पर्याप्त सबूत या उचित आधार मिलता है और आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है जो एक रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त होता है। एक बार फिर, धारा 170 को लागू करने के लिए अधिकारी के लिए मुख्य आवश्यकता मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की शक्ति की उपलब्धता है। अपराध के मामले में यह प्रमुख आवश्यकता अनुपस्थित है।

अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत आता है। इसलिए लिंक फट जाता है। धारा 173 पुलिस अधिकारी के लिए जांच पूरी होने पर रिपोर्ट के बारे में बताती है। धारा 173 (5) को धारा 170 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात ऐसे मामले में जहां अभियोजन के लिए पर्याप्त सामग्री है संबंधित व्यक्ति, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को मजिस्ट्रेट को भेजा जाना है जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। हम पहले ही सी. आर. पी. सी. की धारा 190 को नोट कर चुके हैं। धारा 154,156,157,158,159,160,161,170 और 173 सशक्तीकरण के लिए प्रावधानों की एक योजना का हिस्सा हैं।

और संज्ञेय अपराधों की जांच की आवश्यकता होती है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (बी) के अर्थ के भीतर एक पुलिस रिपोर्ट में समाप्त होती है। हालाँकि, अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों के संबंध में जो लागू होता है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 नहीं है, बल्कि अधिनियम की धारा 32 है जो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की अनुमति नहीं देती है। पूरा अभ्यास

एफ. आई. आर. के आधार पर कार्यवाही करने वाला एक पुलिस अधिकारी व्यर्थ हो जाता है। कानून में इसका विचार नहीं किया गया है। इसलिए यह अनधिकृत हो जाता है।

ललिता कुमारी बनाम सरकार का प्रभाव

यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रारंभिक जाँच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि क्यासंज्ञेय अपराध का खुलासा किया जाता है या नहीं, यदि प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन ऐसी जांच की आवश्यकता का संकेत देती है। न्यायालय ने कुछ मामलों का भी संकेत दिया है जहां तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रारंभिक जांच की जा सकती है।

हर मामले में। इनमें वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध और ऐसे मामले शामिल हैं जहां असामान्य देरी/रुकावटें होती हैं। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त सभी शर्तें पूरी नहीं हैं जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं। 8 (2014) 2 एससीसी 1 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. हम सोचेंगे कि यह न्यायालय उक्त मामले में नहीं था,

अधिनियम के तहत किसी मामले या अधिनियम के तहत उन मामलों के समान मामलों पर विचार करते हुए, और हम सोचेंगे कि हमने जो चर्चा की है उसे ध्यान में रखते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 32 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।अधिनियम के अनुसार, ललिता कुमारी (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांत तब आकर्षित नहीं होता है जब एक पुलिस अधिकारी के सामने जानकारी दी जाती है

अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध करना जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य करता है।

धारा 154 के तहत पुलिस अधिकारी का कर्तव्य

सी. आर. पी. सी. क्षेत्राधिकार के प्रभाव के प्रति असंवेदनशील न्यायनिर्णयन

67. ए. पी. बनाम राज्य में पुनती रामुलु और अन्य, पुलिस

सिपाही ने इस आधार पर शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था कि उक्त पुलिस स्टेशन का अपराध स्थल पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

" 4. ..... यह निश्चित रूप से कर्तव्य की उपेक्षा थी

कॉन्सटेबल क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी, नहीं कर सका

सिपाही को जानकारी दर्ज करने से रोक दिया है

संज्ञेय अपराध और उसे पुलिस को अग्रेषित करना

जिस क्षेत्र में अपराध किया गया था उस पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला स्टेशन

कहा जाता है कि प्रतिबद्ध किया गया है "।

(जोर दिया गया)

68. सतविंदर कौर बनाम। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) और

अन्य 0, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 10. यह सच है कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी निर्धारित है।

उप-धारा (1) के तहत इस हद तक कि अधिकारी जांच कर सके कोई संज्ञेय मामला जिस पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय

ऐसे पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र के पास शक्ति होगी।

अध्याय XIII के प्रावधानों के तहत पूछताछ या प्रयास करना।

तथापि, उप-धारा (2) उपबंध करके स्थिति स्पष्ट करती है।

कि ऐसे किसी भी मामले में किसी पुलिस अधिकारी की कोई कार्यवाही किसी भी समय नहीं होगी।

मंच को इस आधार पर प्रश्न में बुलाया जाए कि मामला एक था

जिसे ऐसे अधिकारी को जाँच करने का अधिकार नहीं था। इसके बादजाँच पूरी हो गई है, इस तरह की जाँच का परिणाम आवश्यक है

धारा 168,169 और 170 के तहत प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत किया जाना।

ए. आई. आर. 1993 एससी 2644

10 एयर 1999 एससी 3596 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दिखाई देता है कि वहाँ हैउचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार

अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजने पर, ऐसा अधिकारी

हिरासत में रखे गए अभियुक्त को एक सशक्त मजिस्ट्रेट के पास भेजेंपुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेना और प्रयास करना

अभियुक्त या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध। इसके अलावा, यदि जांच अधिकारी

इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपराध भीतर नहीं किया गया था

पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में, तब एफ़. आई. आर. हो सकती है

क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले पुलिस स्टेशन को भेजा गया

जिस मामले में जाँच की आवश्यकता होती है, पुलिस अधिकारी इनकार कर सकता हैप्राथमिकी दर्ज करें और/या इसकी जांच करें।

(जोर दिया गया)

69. यह एक ऐसा मामला था जिसमें एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया गया था

उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस आधार पर कि दिल्ली में पुलिस अधिकारी के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला था। इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 156 (2) पर भी ध्यान देते हुए एफ. आई. आर. को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।

70. जीरो एफ. आई. आर. के रूप में एफ. आई. आर. दर्ज करने की प्रथा है, जब

जिस पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज की गई है, उसका कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, और फिर, इसे उस पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है जो मामले में अधिकार क्षेत्र। तो क्या यह कहा जा सकता है कि कब जानकारी दी जाएगी?

एक पुलिस अधिकारी को, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अर्थ के भीतर, अधिनियम के अध्याय IV के तहत एक संज्ञेय अपराध के संबंध में दिया जाता है, पुलिस अधिकारी को एक प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और फिर इसे निरीक्षक को सौंपना चाहिए।

71. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सूचना मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने का कर्तव्य

अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले संज्ञेय अपराध के बारे में प्राप्त होने पर, यह शुरुआत से ही स्पष्ट है कि एक पुलिस अधिकारी के पास अपराध की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव का मामला नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि यह एक अन्य पुलिस अधिकारी का मामला है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों के संदर्भ में अपराध की जांच करने का अधिकार दिया गया है, तो कानून, जैसा कि निर्धारित किया गया है, यह है कि एक प्राथमिकी दर्ज करने और फिर इसे उस पुलिस स्टेशन को सौंपने का दायित्व है जिसका अधिकार क्षेत्र है। वास्तव में, एक संघर्ष, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 से 185 के संदर्भ में, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 में निर्धारित सामान्य सिद्धांत के अपवाद हैं, उच्च न्यायालय को विवाद का निर्णय करना है, जैसा कि [2020] 10 एस. सी. आर. प्रदान किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 में। यदि कोई जानकारी केवल संज्ञानात्मक के लिए संबंधित हैअधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराध, हम सोचेंगे कि पुलिस अधिकारी सीमा से बाहर होगा और उसकी इसमें कोई भूमिका नहीं है

जाँच में न तो उसकी और न ही किसी अन्य पुलिस अधिकारी की कोई भूमिका है। उसका कर्तव्य शिकायतकर्ता को संबंधित औषधि निरीक्षक के पास भेजने में निहित है। यदि उसे अधिनियम के अध्याय IV के तहत किसी अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उसे तुरंत संबंधित औषधि निरीक्षक को सूचित करना चाहिए।

अधिनियम के तहत आने की शक्ति

72. राहतों में से एक जो पहले प्रतिवादी द्वारा मांगी जाती है-रिट

याचिकाकर्ता को उसे गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया गया था। अधिनियम स्पष्ट रूप से निरीक्षक को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इसलिए, यह उस व्यक्ति के मुद्दे को सामने लाता है जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार है।

73. अधिनियम की धारा 36 एसी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर विचार किया गया है। अनुदान के लिए शर्तें लगाई गई हैं।

धारा 36 एसी में अधिनियमित जमानत, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। यदि अधिनियम के तहत निरीक्षक के पास गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां गिरफ्तारी कानून देने वाले के विचार में हो और फिर भी कोई व्यक्ति नहीं है जो उस गिरफ्तारी को प्रभावी बना सके।

74. इसलिए जो और सवाल उठेगा, वह यह है कि यह पता लगाने का प्रभाव कि गिरफ्तारी एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक के संबंध में की जा सकती है

धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता पर अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराध। हम पहले ही देख चुके हैं कि अधिनियम की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना जो पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान ले सकता है, इस प्रावधान को अध्याय के तहत लागू नहीं करता है।

75. सवाल यह उठेगा कि यदि धारा 157 के तहत किसी पुलिस अधिकारी के लिए जांच की अनुमति नहीं है और वह उक्त प्रावधान के तहत रिपोर्ट नहीं दे सकता है, तो क्या उसे गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया जा सकता है? क्या अधिनियम की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की योजना धारा 157 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति से जुड़ी हुई है? हम के लिए विद्वान वकील सुनायाचिकाकर्ता और विद्वान न्यायमित्र ने इस मुद्दे पर अपनी लिखित दलीलों पर भी विचार किया है।

संविधान में आने वाले प्रावधान

भारत-अनुच्छेद 22 (1) और अनुच्छेद 22 (2)।

76. भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 (1) और अनुच्छेद 22 (2) इस प्रकार है:

ऑन ऑफ इंडिया वी. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 22. कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण

(1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

(2) गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को बीस की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस तरह की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चार घंटे

गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से आगे हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

77. इस मोड़ पर डी. के. बसु बनाम के निर्णय पर ध्यान देना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल राज्य "। उक्त मामले में, यह गिरफ्तारी के लिए पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए। वे पैराग्राफ-35 में पाए जाते हैं और निम्न में पढ़े जाते हैं:

" 35. इसलिए हम इसे जारी करना उचित समझते हैं

गिरफ्तारी के सभी मामलों में निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए या निवारक के रूप में उस ओर से कानूनी प्रावधान किए जाने तक निरोध

उपाय:

(1) गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को सटीक होना चाहिए,

उनके साथ दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और नाम टैग

(2) कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा। और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है या उस इलाके का एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहां से गिरफ्तारी की गई है।

बनाया गया। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा जवाबी हस्ताक्षर भी किए जाएंगे और इसमें गिरफ्तारी का समय और तिथि शामिल होगी।

(3) एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है और

किसी पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र में हिरासत में रखा जाना

या अन्य लॉक-अप, एक मित्र या रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को उसके बारे में जानने या उसके कल्याण में रुचि रखने वाले व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके सूचित करने का हकदार होगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

और विशेष स्थान पर हिरासत में लिया जा रहा है, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन का सत्यापन करने वाला गवाह स्वयं ऐसा मित्र या गवाह न हो।

गिरफ्तार व्यक्ति का रिश्तेदार।

(4) गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत के स्थान को पुलिस द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जहां अगला दोस्त है।

या गिरफ्तार व्यक्ति का रिश्तेदार गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर जिले में कानूनी सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के माध्यम से जिले या शहर से बाहर रहता है।(5) गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि किसी को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में सूचित किया जाए।

जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है।(6) व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत के स्थान पर डायरी में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए जो

गिरफ्तारी के बारे में सूचित किए गए व्यक्ति के अगले मित्र का नाम और उसके नाम और विवरण का खुलासा करें।

पुलिस अधिकारी जिनकी हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है।

(7) गिरफ्तार व्यक्ति, जहाँ वह अनुरोध करता है, उसकी गिरफ्तारी और बड़ी और मामूली चोटों के समय भी जाँच की जानी चाहिए।

बंदी के लिए। (8) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में एक डॉक्टर द्वारा हिरासत में हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को सभी तहसीलों और जिलों के लिए भी ऐसा पैनल तैयार करना चाहिए।

(9) गिरफ्तारी ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, इलाका मजिस्ट्रेट को उनके रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।(10) गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।

ऑन ऑफ इंडिया वी. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(11) सभी जिलों में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए।

और राज्य मुख्यालय, जहाँ गिरफ्तारी के बारे में जानकारी हैऔर गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा के स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा

गिरफ्तारी का कारण बनने वाले अधिकारी द्वारा, प्रभाव के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी और पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर "।

78. हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय ने पैराग्राफ-36 में क्या निर्धारित किया है।

7 :

" 36. ऊपर की आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता

उल्लिखित संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी बनाने के अलावा होगा

न्यायालय की अवमानना और न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही हो सकती है देश के किसी भी उच्च न्यायालय में स्थापित किया जाए, जिसका क्षेत्राधिकार हो।

मामले पर अधिकार क्षेत्र।

37. ऊपर उल्लिखित आवश्यकताएँ लेखों से प्रवाहित होती हैं।

21 और संविधान के 22 (1) का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

ये अन्य सरकारों के लिए समान बल के साथ लागू होंगे।

ऐसी अभिकरण भी जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है।79. जब इस न्यायालय ने पैराग्राफ-37 में निर्धारित किया कि

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्णय समान बल के साथ लागू होंगे -

सरकारी अभिकरण, जिनका संदर्भ पहले दिया गया था,

अनुच्छेद 30 में निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखा गया था -

कुछ नहीं है:

" 30. पुलिस के अलावा, कई अन्य हैं

सरकारी अधिकारी भी राजस्व निदेशालय को पसंद करते हैं।खुफिया, प्रवर्तन निदेशालय, तटीय रक्षक, केंद्रीय

रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी. आई. एस. एफ.), राज्य सशस्त्र पुलिस,

आवश्यक वस्तु अधिनियम, उत्पाद शुल्क के तहत अपराध, अपराधऔर सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम आदि।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभी ऐसे मामले हैं जहां गिरफ्तारी की अभिव्यक्ति की शक्ति थी संबंधित कानून के तहत उन प्राधिकरणों को प्रदान किया गया।

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

80. हम देख सकते हैं कि अर्नेश कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय की एक पीठ। बिहार राज्य और अन्य 1 2 ने फिर से संबंधित पहलू पर विचार किया

गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना है। यद्यपि मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत उत्पन्न हुआ, जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के साथ पठित वैवाहिक क्रूरता से संबंधित है, न्यायालय ने अनुच्छेद-11.1 से 11.8 तक निहित निर्देश जारी किए। यह भी निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

दहेज निषेध अधिनियम, हाथ में मामला, लेकिन ऐसे मामले भी जहां अपराध सात साल से कम या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, चाहेजुर्माने के साथ या बिना "।

वी. M.P.[1]3 की स्थिति और न्यायालय ने भी इसे ध्यान में रखते हुए मुआवजा प्रदान किया जिस तरह से याचिकाकर्ता के साथ उक्त मामले में व्यवहार किया गया था। अर्नेश कुमार (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, इस अदालत ने रिनी जौहर (ऊपर) मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 22. हमने जांच रिपोर्ट और कानूनी रिपोर्ट का उल्लेख किया है।

क्षेत्र में प्रचलित स्थिति। रिपोर्ट की अध्ययन जांच पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी। धारा 41-एक सी. आर. पी. सी. जैसा कि किया गया है

इस न्यायालय द्वारा व्याख्या का पालन नहीं किया गया है। रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गिरफ्तारी और जब्ती में कई उल्लंघन हुए हैं। परिस्थितियाँ किसी भी मामले में उस तरीके को उचित नहीं ठहराती हैं जिसमें

याचिकाकर्ताओं का इलाज किया गया।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय, अर्नेश गुप्ता (उपरोक्त) मामले में, उस मामले से निपट रहा था जो ऐसी स्थिति से निपटता था जहां अपराध दंडनीय थे।

सात वर्ष तक के कारावास के साथ, और धारा 41 में अनिवार्य के रूप में

सीआरपीसी।, गिरफ्तारी के लिए कारण मौजूद होने चाहिए, जैसा कि उसमें दिया गया है।

सी. आर. पी. सी. के तहत हथियार की शक्ति

82. सी. आर. पी. सी. का पाँचवाँ अध्याय व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41

1 2 (2014) 8 एससीसी 273

13 (2016) 11 एससीसी 703 भारत बनाम।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

2009 का अधिनियम 5, धारा 5) (डब्ल्यू. ई. एफ. 01-11-2010), ई. पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने से संबंधित है। इसका पाठ इस प्रकार है:" 41. जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। - (1) कोई भी ई अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें

जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक संज्ञेय अपराध करता है;

जिनके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या

विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या एक उचित

संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा सात साल से कम या सात साल तक हो सकती है। जुर्माने के साथ या बिना, यदि निम्नलिखित शर्तें हैं -

संतुष्ट, अर्थात्:

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, जानकारी या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति

उक्त अपराध किया है;

((ii) पुलिस कार्यालय संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है।

(क) ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए।

अपराध; या

(ख) अपराध की उचित जांच के लिए; या (ग) ऐसे व्यक्ति को साक्षय देने से रोकने के लिए।

किसी भी तरह से ऐसे साक्षय के साथ गायब होने या छेड़छाड़ करने के अपराध का; या

((घ) ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने के लिए

मामले के तथ्यों से परिचित हों ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से मना करना; या

(ई) जब तक कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसकी उपस्थिति

जब भी आवश्यकता हो न्यायालय को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है,

और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा:

2009 के अधिनियम 5 द्वारा, एस। 5 (i), खंड (ए) और (बी) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-11-2010) के लिए।

15 [बशर्ते कि एक पुलिस अधिकारी, उन सभी मामलों में जहां इस उप-धारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, गिरफ्तारी नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।]

(ख) जिनके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि

उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जो एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है जो सात साल से अधिक तक हो सकता है चाहे जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के या मौत के साथ। सजा और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है

उक्त अपराध;]

((ग)

जिसे इसके तहत अपराधी घोषित किया गया है।

संहिता या राज्य सरकार के आदेश द्वारा; या

((घ)

जिसके कब्जे में कुछ भी पाया जाता है जो उचित हो सकता है

चोरी की संपत्ति होने का संदेह है और जो उचित रूप से हो सकता है

अपराध करने का संदेह होना

ऐसी चीज़ का संदर्भ; या

(ई)

जो अपने निष्पादन के दौरान एक पुलिस अधिकारी को बाधित करता हैकर्तव्य, या जो भाग गया है, या भागने का प्रयास करता है, वैध से

अभिरक्षा; या जिन पर किसी से पलायन करने का उचित संदेह है

(च)

संघ के सशस्त्र बलों का; या

जो संबंधित रहा है, या जिसके खिलाफ एक उचित

(जी)

शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी दी गई है

किसी भी स्थान पर किए गए किसी भी कार्य में उसके शामिल होने का प्राप्त या उचित संदेह मौजूद है।

भारत जो, यदि भारत में प्रतिबद्ध होता, तो

एक अपराध के रूप में दंडनीय, और जिसके लिए वह किसी के तहत है

भारत में हिरासत में लिया गया या हिरासत में लिया गया; याजो रिहा किए गए दोषी होने के नाते किसी भी अपराध का उल्लंघन करता है।

(ज)

धारा 356 की उप-धारा (5) के तहत बनाया गया नियम; या

((i)

जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोई मांग, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, किसी अन्य पुलिस अधिकारी से प्राप्त किया गया है, बशर्ते कि

2010 के अधिनियम 41 द्वारा, एस। 2 (डब्ल्यू. ई. एफ. 2-11-2010)।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

माँग उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जिसे गिरफ्तार किया जाना है और वह अपराध या अन्य कारण जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है और वहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति को उस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है जिसने आदेश जारी किया था।माँग।

16 [(2) धारा 42 के प्रावधानों के अधीन, किसी गैर-संज्ञेय अपराध में संबंधित व्यक्ति या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके इस तरह से संबंधित होने का उचित संदेह मौजूद है, उसे मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।] . "

83. सी. आर. पी. सी. की धारा 41 ए, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.11.2010 अंत:स्थापित, पुलिस अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सभी मामलों में नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है -

उप-दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की धारा (1), जिसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है।

उसके सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति सूचना का पालन करता है, तब तक धारा 41 ए (iii) गिरफ्तारी को प्रतिबंधित करती है जब तक कि पुलिस अधिकारी, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यह विचार नहीं रखता है कि उसे गिरफ्तार किया जाना है। सी. आर. पी. सी. की धारा 41 बी, जिसे फिर से डब्ल्यू. ई. एफ. 01.11.2010 जोड़ा गया है, एक पुलिस अधिकारी पर उसके नाम की सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान रखने के लिए गिरफ्तारी करने का कर्तव्य डालती है। उसे एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करना है, जिस पर, अन्य बातों के साथ-साथ, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा जवाबी हस्ताक्षर किए जाने हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 41 डी गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार प्रदान करती है, हालांकि पूरे समय नहीं।

पूछताछ की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में गैर-संज्ञेय अपराध करता है या उस पर गैर-संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, और पुलिस अधिकारी, उसका नाम और निवास की मांग करने पर, इनकार या नाम या निवास देने के साथ, जिसे अधिकारी झूठा मानता है, गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन नाम और निवास का पता लगाने के उद्देश्य से। वास्तव में, उसे बांड निष्पादित करने पर तुरंत रिहा किया जाना है जब असली नाम और निवास का पता चल जाता है। यदि पता लगाने में विफलता है

गिरफ्तारी के चौबीस घंटों के भीतर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है। इस अधिनियम में एक निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी का विचार किया गया है। शक्ति और प्रक्रिया, सी. आर. पी. सी. की धारा 43 में विस्तृत है, यह निम्नानुसार है:16 उप. 2009 के अधिनियम 5 द्वारा, एस। 5 ((ii), उप-धारा (2) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-11-2010) के लिए।

" 43. निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया।

(1) कोई भी निजी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करा सकता है जो उसकी उपस्थिति में गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध करता है, या कोई घोषित अपराधी, और बिना अनावश्यक देरी के, किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा या उस पर आरोप लगाएगा।

(2) यदि यह मानने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के प्रावधानों के तहत आता है, तो एक पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। (3) यदि यह मानने का कारण है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, और वह एक पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास देने से इनकार करता है, या एक नाम या निवास देता है जिसे ऐसे अधिकारी को झूठा मानने का कारण है, तो उसके साथ धारा 42 के प्रावधानों के तहत व्यवहार किया जाएगा; लेकिन यदि यह मानने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो

उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

84. सी. आर. पी. सी. की धारा 46 गिरफ्तारी के तरीके का प्रावधान करती है। धारा 47 पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए स्थान की तलाशी लेने में सक्षम बनाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 48 इस प्रकार है:

" 48. अन्य क्षेत्राधिकारों में अपराधियों का पीछा करना। एक पुलिस अधिकारी, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से, जिसे वह गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, ऐसे व्यक्ति का किसी भी स्थान पर पीछा कर सकता है। भारत "।

85. सी. आर. पी. सी. की धारा 49 घोषित करती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए आवश्यक से अधिक संयम के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसे उस अपराध के सभी विवरणों के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार हैं। इसका प्रावधान सी. आर. पी. सी. की धारा 50 में किया गया है। एक पुलिस अधिकारी, जब वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है और उस पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जाता है, तो वह उसे जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है। पुलिस अधिकारी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 ए के तहत एक नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी के तथ्य के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है। यह 23.06.2006 पर लागू हुआ। धारा 51 गिरफ्तार व्यक्ति की खोज से संबंधित है।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

86. सी. आर. पी. सी. की धारा 54 घोषित करती है कि जब कोई व्यक्ति

गिरफ्तार किए जाने पर, एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। सी. आर. पी. सी. की धारा 54 ए, डब्ल्यू. ई. एफ. 23.06.2006 अंत:स्थापित, विशेष रूप से गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के लिए प्रदान करती है। सी. आर. पी. सी. की धारा 55 ए, आई. पी. सी. से अंत:स्थापित की गई।

31.12.2009 , स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करना, व्यक्ति की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बनाता है। की धारा 56

सी. आर. पी. सी. बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बनाता है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने पेश करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जमानत के प्रावधानों के अधीन है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 इस प्रकार है:

" 57. गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में नहीं लेगा।मामले की सभी परिस्थितियों से अधिक लंबी अवधि के लिए वारंट के बिना रहना उचित है, और ऐसी अवधि, धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।

मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गिरफ्तारी का स्थान।

87. पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के बारे में जिला मजिस्ट्रेट या उप-मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना होता है।जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार संभागीय मजिस्ट्रेट। सी. आर. पी. सी. की धारा 59 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, को उसके स्वयं के मुचलके पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत छोड़ दिया जाएगा। सी. आर. पी. सी. की धारा 60 ए में प्रावधान है कि गिरफ्तारी का प्रावधान करने वाले सी. आर. पी. सी. या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। सी. आर. पी. सी. के अध्याय 11 में पुलिस की निवारक कार्रवाई का प्रावधान है। सी. आर. पी. सी. की धारा 151, अन्य बातों के साथ-साथ, एक पुलिस अधिकारी को, जो किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध करने की योजना के बारे में जानता है, उसे बिना किसी आदेश के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है।

मजिस्ट्रेट से और बिना वारंट के। सी. आर. पी. सी. की धारा 157 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी, किसी मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हुए, अपराधी की गिरफ्तारी के लिए उपाय कर सकता है। की धारा 167

सी. आर. पी. सी. एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां जांच बीस-चार घंटे के भीतर पूरी नहीं होती है, जैसा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 57 में निर्धारित किया गया है। इसमें प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में, यदि यह विश्वास करने के लिए आधार हैं कि आरोप या जानकारी अच्छी तरह से स्थापित है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अन्य बातों के साथ-साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। धारा 167

मजिस्ट्रेट को अभियुक्त व्यक्ति की रिमांड का आदेश देने का अधिकार देती है, जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है।

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेल के रूप में प्रावधानों के बारे में कुछ शब्द

88. सी. आर. पी. सी. का अध्याय XXXIII जमानत से संबंधित है। सी. आर. पी. सी. की धारा 436 अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले में जमानत से संबंधित है।

जमानतीय अपराध। उसमें दिए गए तरीके से जमानत का सांविधिक अधिकार है। सी. आर. पी. सी. की धारा 437 गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत का प्रावधान करती है। यह अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत के समक्ष लाया जाता है।

सत्र। न्यायालय को जमानत देने के मामले में कुछ प्रतिबंधों और शर्तों को पूरा किया जाना है, जैसा कि उसमें कहा गया है।

89. सी. आर. पी. सी. की धारा 439 उच्च न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करती है।

जमानत के संबंध में न्यायालय या सत्र न्यायालय। वह इस प्रकार है:

" 439. उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ

जमानत।

(1) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है

(क) कि अपराध और अभिरक्षा में अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए, और यदि अपराध धारा 437 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तो वह कोई भी शर्त लगा सकता है जो वह उस उप-धारा में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझता है।

खंड;

(ख) कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को दरकिनार या संशोधित किया जाए: बशर्ते कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से पहले, जिस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप है, जिसकी सुनवाई विशेष रूप से न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

सत्र न्यायालय या जो, यद्यपि इतना विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, लोक अभियोजक को जमानत के लिए आवेदन की सूचना तब तक देता है जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यह राय न हो कि ऐसी सूचना देना व्यवहार्य नहीं है।

(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि कोई भी व्यक्तिजिसे इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किया गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए और हिरासत में लिया जाए।

90. अधिनियम की धारा 36 एसी, जिसके आसपास कई तर्कों को संबोधित किया गया था, निम्नानुसार है:

मामले। दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), भारत बनाम।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(क) मिलावटी या नकली दवा से संबंधित प्रत्येक अपराध और

धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (सी), धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ए), धारा 22 की उप-धारा (3), धारा 27 के खंड (ए) और (सी), धारा 28, धारा 28 ए, धारा 28 बी और धारा 30 की उप-धारा (1) और (2) के तहत दंडनीय और

मिलावटी दवाओं या नकली दवाओं से संबंधित अन्य अपराध, संज्ञानात्मक होगा।

(ख) खंडों के तहत दंडनीय अपराध का कोई भी व्यक्ति अभियुक्त नहीं है।

(क) धारा 13 की उप-धारा (1) का खंड (क), धारा 13 की उप-धारा (2) का खंड (क), धारा 22 की उप-धारा (3), धारा 27 का खंड (क) और (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख और

धारा 30 की उप-धारा (1) और (2) और मिलावटी दवाओं या नकली दवाओं से संबंधित अन्य अपराधों को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाएगा जब तक कि(i) लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर दिया गया है।

ऐसी रिहाई के लिए आवेदन; और

((ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय

संतुष्ट है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह

इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

जमानत पर रहते हुए अपराध:बशर्ते कि एक व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या एक महिला है या बीमार या कमजोर है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि -

विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है।

(2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाउप-धारा (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त है।

जमानत देने पर समय लागू है।

(3) इस धारा में निहित कुछ भी धारा 439 के तहत जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) और उच्च न्यायालय

न्यायालय खंड के अधीन शक्ति सहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ((ख) उस धारा की उप-धारा (1) का, मानो -

" उस धारा में मजिस्ट्रेट में धारा 36 एबी के तहत नामित "विशेष न्यायालय" का संदर्भ भी शामिल है। 91. भारत संघ के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि

अधिनियम की धारा 32 के तहत स्पेक्टर को पुलिस [2020] 10 एस. सी. आर. के रूप में नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकारी जिसके पास सी. आर. पी. सी. के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति है। रिलायंस को बडाकू ज्योति सावंत बनाम पर रखा गया है। मैसूर राज्य 1 7. इसी तरह, राज कुमार करवाल बनाम से समर्थन प्राप्त किया जाता है। भारत संघ और अन्य 1 8. रिलायंस को रमेश चंद्र मेहता बनाम पर भी रखा गया है। डब्ल्यू. बी. 1 का राज्य, इलियास बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास 2 0 o 20, यू. पी. राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद 2 1 और बालकिशन ए. देवीदयाळ बनाम। महाराष्ट्र राज्य 22. जाहिरा तौर पर इन निर्णयों पर यह दिखाने के लिए भरोसा किया जाता है कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डी. आर. आई.) सहित विभाग के अधिकारियों ने इन शक्तियों का निवेश किया है -

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत जांच, पुलिस अधिकारी नहीं हैं। इसलिए, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि एक पुलिस अधिकारी का महत्वपूर्ण अनिवार्य गुण न केवल जांच करने का अधिकार है, बल्कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने की शक्ति भी है।

92. यह आगे तर्क दिया जाता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के विपरीत, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि "कोई पुलिस अधिकारी नहीं"

अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच कर सकते हैं ", विचाराधीन अधिनियम चुप है। सामान्य प्रावधान के साथ टकराव के मामले में विशेष प्रावधान प्रबल होना चाहिए। अधिनियम के तहत निरीक्षक पर विशिष्ट शक्तियों के अभाव को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान प्रबल होंगे। भाषा के सरल अर्थ के अनुसार, हमारी स्वीकृति के लिए एक शाब्दिक व्याख्या की सराहना की जाती है। अधिनियम की धारा 36 एसी के प्रावधानों पर जोर दिया गया है इससे पहले कि हम इसके तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-संज्ञेय मानते हैं

जमानतीय है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस के पास गिरफ्तार करने की शक्ति है। दीपक महाजन (ऊपर) के फैसले को अलग करने की कोशिश की गई है। अधिनियम की धारा 36 एसी का निहितार्थ यह है कि इसमें निर्धारित अपराधों की पुलिस द्वारा जांच की जा सकती है। इसलिए अधिनियम की धारा 32 के बावजूद धारा 36 एसी लागू होगी। अन्यथा, अपराध को संज्ञेय बनाने और साथ ही, पुलिस को मुकदमा चलाने की शक्ति से वंचित करने का विधानमंडल का इरादा एक विरोधाभास होगा। यह बताया गया है कि अधिनियम की धारा 36 एसी से पहले, अधिनियम के तहत मिलावटी और नकली दवाओं से संबंधित अपराध गैर-संज्ञेय थे।

17 (1966) 3 एससीआर 698

18 (1990) 2 एस. सी. सी. 409 1 9 19 (1969) 2 एस. सी. आर. 461 20 (1969) 2 एस. सी. आर. 613 21 (1975) 3 एस. सी. सी. 210 22 (1980) 4 एस. सी. सी. 600 भारत संघ बनाम।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपराध। यह भी तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 36 एसी अब पुलिस को धारा 36 एसी में विशेष रूप से निर्धारित अपराधों की जांच करने और परिणामस्वरूप मुकदमा चलाने का अधिकार देकर एक अपवाद बनाती है। यह है।उन्होंने कहा कि धारा 36 एसी में मिलावटी दवाओं और नकली दवाओं से संबंधित अपराधों के अलावा निर्धारित अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची I भाग 2 के संदर्भ में संज्ञेय नहीं माना जा सकता था। अधिनियम की धारा 27 ए और 27 सी और धारा 30 (1) को छोड़कर, अधिनियम की धारा 36 एसी में उल्लिखित अन्य सभी प्रावधान, दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची I भाग 2 के अनुसार गैर-संज्ञेय अपराध थे। लेकिन अधिनियम की संशोधित धारा 36 एसी को ध्यान में रखते हुए, यह धारा 36 एसी में विशेष प्रावधान हैं, जो प्रबल होंगे।

द सब्मिशन ऑफ द लर्नड एमिकस इन

आगमन की ओर लौटें।

93. जब न्यायालय ने बताया कि इस पर कोई व्यक्त शक्ति नहीं है

अधिनियम के तहत मादक पदार्थ निरीक्षक को गिरफ्तार करने के लिए और जब गिरफ्तारी की जाती है, तो क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक हो जाता है। विद्वान न्यायमित्र ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

वह इस बात पर सहमत हुए कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए उसे ऐसा करना चाहिए

हिरासत में लिया गया है। उसे आगे होना चाहिए था

सी. आर. पी. सी. की धारा 157 के तहत गिरफ्तार किया गया ताकि वह

सीआरपीसी की धारा 167 के तहत रिमांड पर लिया गया है। यदि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके तुरंत बाद मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उसे रिमांड के लिए अदालत में भेजा जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 या 155 के तहत दर्ज कोई भी मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट में समाप्त होना है। मामले को निपटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। सी. आर. पी. सी. की धारा 190 के तहत ऐसी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना संज्ञान लेने के लिए है, और चूंकि अधिनियम की धारा 32 इस तरह के संज्ञान को बाधित करेगी, इसलिए मामला दर्ज करने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अधिनियम की धारा 32 के तहत विधायी इरादे को कमजोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकता है।

धारा 36 एसी को लागू करते समय, विधानमंडल की परिकल्पना की गई थी

धारा 32 में बार को जानने के लिए। के बीच एक विसंगति है

धारा 32 और धारा 36 एसी, हालांकि उनमें संशोधन किया गया था /

उसी संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह दोनों धाराओं के बीच टकराव से बचे। यह तर्क दिया जाता है कि न्यायालय को सुलह करनी चाहिए।

रिलायंस है [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. संजीवया बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया। चुनाव

न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश और अन्य 2 3 23।

94. विद्वान न्यायमित्र आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम की धारा 21 "निरीक्षकों की नियुक्ति" की बात करती है। योग्यताएँऔषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 49 में निरीक्षकों की संख्या प्रदान की गई है।

जहाँ तक अधिनियम की धारा 22 और 23 में शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वे विषयों में विशेषज्ञ हैं। धारा 23 के प्रावधान अनिवार्य हैं। अधिनियम में नमूने पर एक रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रावधान है और आरोपी को केंद्रीय प्रयोगशाला से दूसरी रिपोर्ट लेने में भी सक्षम बनाया गया है। पुलिस अधिकारी के पास योग्यता नहीं हो सकती है। हो सकता है कि वह नहीं जानता कि नमूना कैसे खींचा जाए। प्रक्रिया का सार्थक रूप से पालन केवल निरीक्षक ही कर सकते हैं। विधानमंडल का इरादा पुलिस को ऐसी शक्तियां देने का नहीं था। यह आगे तर्क दिया जाता है कि यदि यह माना जाता है कि पुलिस एक अंतिम रिपोर्ट दायर कर सकती है, जिस पर संज्ञान लिया जा सकता है, तो यह अधिनियम की धारा 32 को अस्तित्वहीन बना देगी। इसी तरह, धारा 36 एसी की व्याख्या करने के प्रयास में, यदि पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो यह पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत मामला दर्ज करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए भी अधिकृत करेगा। अधिनियम की धारा 32 और धारा 36 एसी में सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल है। इंगित किया। विद्वान न्यायमित्र सुल्ताना बेगम बनाम में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रेम चंद जैन 2 4:

" 11. विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए क़ानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा।

12. कनाडा में चीनी शोधन कंपनी v. आर. [1898 एसी 735: 67

एलजेपीसी 126], लॉर्ड डेवी ने कहा:

" कानून के प्रत्येक खंड का अर्थ इस प्रकार किया जाना चाहिए -

अधिनियम के संदर्भ और अन्य खंडों का संदर्भ, ताकि, जहां तक संभव हो, विषय-वस्तु से संबंधित संपूर्ण क़ानून या क़ानूनों की श्रृंखला का सुसंगत अधिनियमन किया जा सके।

13. इस न्यायालय ने एम. पेंटिया बनाम में भी यही नियम अपनाया है। मुद्दला वीरमल्लप्पा [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1107: (1961) 2 एससीआर 295]; गैमन इंडिया लिमिटेड बनाम। भारत संघ [(1974) 1 एस. सी. सी. 596: 1974 एससीसी (एल एंड एस) 252: ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 960]; मैसूर एस. आर. टी. सी. बनाम। मिर्जा खासिम अली

बेग [(1977) 2 एससीसी 457: 1974 एससीसी (एल एंड एस) 282: ए. आई. आर. 1977 एससी

23 ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1211

24 (1997) 1 एस. सी. सी. 373 भारत बनाम

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

747] ; वी. तुलासम्मा बनाम। शेषा रेड्डी [(1977) 3 एस. सी. सी. 99 ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1944]; पंजाब बेवरेजेस (पी) लिमिटेड बनाम। सुरेश

चंद [(1978) 2 एस. सी. सी. 144: 1978 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 165: ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 995]; सी. आई. टी. बनाम। राष्ट्रीय ताज व्यापारी (1980) 1 एस. सी. सी. 370: 1980 एस. सी. सी. (कर) 124: ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 485]; कलकत्ता गैस कं. (स्वामित्व) लिमिटेड बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य [ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1044: 1962 एस. सी. आर. 1] और जे. के. कॉटन एस. पी. जी.। & डब्ल्यूवीजी। मिल्स कं. लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य [एयर]

1961 एससी 1170: (1961) 1 एलएलजे 540]

XXX

XXX

XXX

XXX

15. मामले के एक पहलू पर-ऊपर इंगित कानून,

निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं:

(1) यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे आमने-सामने के टकराव से बचें

जो एक-दूसरे के साथ इस तरह से टकराव में प्रतीत होते हैं कि उनमें सामंजस्य हो। (2) कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग अन्य प्रावधानों को विफल करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत अपने प्रयासों के बावजूद, उनके बीच सुलह करना असंभव न पाए।

(3) इसे सभी अदालतों द्वारा हर समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कि जब किसी अधिनियम में दो परस्पर विरोधी प्रावधान हैं, जो

एक-दूसरे के साथ सुलह नहीं किया जा सकता है, उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए

कि, यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभाव दिया जाना चाहिए। यह "सामंजस्यपूर्ण निर्माण" के नियम का सार है।

(4) अदालतों को यह भी ध्यान रखना होगा कि

व्याख्या जो प्रावधानों में से एक को "मृत" के रूप में कम करती है

अक्षर "या" बेकार लकड़ी "सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है।

(5) सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना नहीं है।

या इसे अनुचित बनाने के लिए "।

95. पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकती है।

: .96. सी. आर. पी. सी. की धारा 41 के संबंध में, विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि पुलिस को [2020] 10 एस. सी. आर. के संबंध में गिरफ्तार करने का अधिकार देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराध, एक सामान्य प्रावधान होने के कारण, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ओवरराइड किए जाते हैं। पुनः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जो अधिनियम की धारा 32 को देखते हुए संभव नहीं है। विद्वान न्यायमित्र ने यह आशंका भी व्यक्त की है कि अगर गिरफ्तारी की शक्ति है

खाद्य मिलावट अधिनियम, आय-कर अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि जैसे अधिनियम, पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत गिरफ्तार करेगी, मामला दर्ज करेगी और अंतिम रिपोर्ट दायर करेगी। केवल शिकायत के आधार पर संज्ञान को सीमित करने वाले उन अधिनियमों के विशेष प्रावधानों को निरर्थक माना जाएगा। 97. विद्वान न्यायमित्र यह भी प्रस्तुत करेंगे कि यद्यपि मादक पदार्थ निरीक्षक को गिरफ्तार करने का अधिकार देने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) की व्याख्या की जा सकती है और यह माना जा सकता है कि निरीक्षक को गिरफ्तार करने की शक्ति है। इस संबंध में, दीपक महाजन (ऊपर) पर निर्भरता रखी गई है।

विश्लेषण

98. एक व्यक्ति की गिरफ्तारी में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण शामिल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि नहींव्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से वंचित किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति उस कानून पर आधारित होनी चाहिए जो उसे अधिकृत करता है।

99. अधिनियम के तहत, जैसा कि हमारे द्वारा उल्लेख किया गया है, और समान कानूनों के संबंध में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हमें इसमें कोई संकोच नहीं है

याचिकाकर्ता के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कि संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 36एसी, अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाते हुए, अधिनियम की धारा 36एसी में निर्धारित अपराधों के लिए व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस अधिकारी के लिए खुला है। एक्सप्रेस को देखते हुए

अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, जहां तक अभियोजन अधिनियम के अध्याय 4 की चार दीवारों के भीतर आने वाले अपराधों के लिए शुरू किया जाना है, और जो अधिनियम की धारा 36एसी की

विषय वस्तु भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसे अपराधों के लिए अपराधी पर अभियोजन केवल अधिनियम की धारा 32 में दिए गए तरीके से किया जा सकता है। अभियोजन केवल अधिनियम की धारा 32 में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा शुरू किया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी, इस प्रकार, उन व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं है जो भारत संघ की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट पसंद कर सकते हैं।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

सी. आर. पी. सी., जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। निस्संदेह, जैसा कि हम पहले ही अध्याय 4 के तहत किसी अपराध के संबंध में स्पष्ट कर चुके हैं, यदि अधिनियम की धारा 32 (3) के तहत किसी अन्य कानून के तहत कार्य या चूक भी अपराध है, तो यह पुलिस अधिकारी के लिए खुला हो सकता है, यदि वह अन्यथा उक्त कानून के तहत सशक्त है, तो उसी अपराध के लिए व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए, इस तरह से कार्य करने के लिए।

100. नतीजतन, एक एफ. आई. आर. का पंजीकरण, जो सी. आर. पी. सी. की योजना के तहत होता है, पुलिस अधिकारी को सी. आर. पी. सी. की धारा 157 के तहत जांच करने और सामग्री एकत्र करने के लिए सशक्त बनाता है औरअंत में एक रिपोर्ट दाखिल करें, हम सभी को अधिनियम के अध्याय IV के तहत एक अपराध के लिए अप्रयोज्य प्रतीत होगा।

101. हालाँकि, गिरफ्तारी से संबंधित पहलू से पहेली पैदा होती है। निस्संदेह, निरीक्षक को गिरफ्तार करने की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है

अधिनियम के तहत। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री पिंकी आनंद का तर्क कि ड्रग्स इंस्पेक्टर एक पुलिस अधिकारी नहीं हो सकता है क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर कर सकता है।

सी. आर. पी. सी. और इसलिए, वह गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमारे सामने अपील नहीं करता है। विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनका उल्लेख हमने पहले पैराग्राफ-91 में किया है, वे केवल यह घोषणा करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क अधिकारी और अधिनियमों में अन्य अधिकारी, जिनका हमने उल्लेख किया है, भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 25 के संदर्भ में पुलिस अधिकारी नहीं हैं (इसके बाद संक्षेप में 'साक्षय अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। साक्षय अधिनियम की धारा 25 एक पुलिस अधिकारी के सामने किए गए स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य बनाती है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि क्या ड्रग्स इंस्पेक्टर एक पुलिस अधिकारी है और यहाँ सवाल यह है कि क्या वह है। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने का अधिकार। इसके अलावा, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या सी. आर. पी. सी. के तहत एक पुलिस अधिकारी सी. आर. पी. सी. के तहत गिरफ्तारी करने की अपनी शक्ति से वंचित है। ये वे सवाल हैं जिनका हमें जवाब देना है।

102. न्यायालय को इस धारणा के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि संसद, जो सी. आर. पी. सी. और विचाराधीन अधिनियम की भी लेखिका है, इसके बारे में जानती थी।

सी. आर. पी. सी. के प्रावधान, जो उस समय मौजूद थे जब 1940 में अधिनियम लागू किया गया था। यह इस सिद्धांत का पालन कर रहा है कि विधानमंडल को यह माना जाना चाहिए कि वह एक नया कानून बनाते समय क़ानून की पुस्तक में मौजूद कानून को जानता है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि गिरफ्तारी की शक्ति स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी को इस तरीके से प्रदान की गई है

जिसका हमने उल्लेख किया है। विधानमंडल ने अभी तक अधिनियम में ऐसा नहीं किया है

ड्रग्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए व्यक्त करने की शक्ति प्रदान की गई।

हालाँकि, [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 22 (1) (डी), जो अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षक की शक्तियों से संबंधित है, निरीक्षक को ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है जो हो सके।

अध्याय IV या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। मंजूरी, जिस पर अध्याय के तहत विचार किया गया है

IV, अधिनियम के अध्याय IV के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के माध्यम से आपराधिक मंजूरी है। दूसरे शब्दों में, विधायिका ने अपराधियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करके कानून को मजबूती दी है। निरीक्षक केंद्र स्तर पर होता है। प्रत्येक अन्य पहलू में, जैसा कि अधिनियम से देखा जा सकता है, इसके प्रावधानों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से निरीक्षक को सौंपी गई शक्तियों और कार्यों पर निर्भर करता है। एक निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनिवार्य रूप से नियमों में प्रदान की गई योग्यताएं, योग्य व्यक्तियों के सक्षम हाथों के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन को सौंपने के लिए विधानमंडल द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए मूल्य निर्णय का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस अधिनियम को जनता के सदस्यों के स्वास्थ्य में उच्चतम जनहित प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसे फिर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार के दायरे में आने वाले पहलुओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। पुलिस अधिकारी को उन व्यक्तियों की श्रेणियों से बाहर रखना, जो अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों के लिए अपराधियों पर मुकदमा चला सकते हैं, यह भी एक सावधानीपूर्वक सोचा गया आदर्श है।

इस न्यायालय के निदेशक का निर्णय

एनफोर्समेंट वी. दीपाक महाजन और अन्य 2 25

103. दीपक महाजन (ऊपर) में, प्रश्न विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के संदर्भ में उठा,

1973 (एफ. ई. आर. ए.) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104, जिसने अधिनियमों के तहत अधिकारियों को स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की। जो सवाल स्पष्ट रूप से उठा वह यह था कि क्या एफ. ई. आर. ए. की धारा 35 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तारी होने पर, सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के तहत रिमांड का आदेश दिया जा सकता है। चर्चा के दौरान, अदालत ने यह निर्णय दिया कि सीआरपीसी न केवल पुलिस अधिकारी को, बल्कि एक मजिस्ट्रेट को और कुछ परिस्थितियों में या निजी व्यक्तियों को दी गई स्थितियों में भी गिरफ्तारी की शक्ति देता है। यह चलता रहा। यह अभिनिर्धारित करना कि प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा है लेकिन इसके विपरीत नहीं। यह आगे इस प्रकार रहा:

" 54. उपरोक्त विचार-विमर्श एक व्युत्पत्ति की ओर ले जाता है जिसका आह्वान किया जाता है धारा 167 (1) में कहा गया है कि यह अनिवार्य पूर्व-अपेक्षित शर्त नहीं है।

25 (1994) 3 एस. सी. सी. 440 भारत बनाम

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि सभी परिस्थितियों में गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी

केवल एक पुलिस अधिकारी द्वारा और कोई और नहीं और वहाँ होना चाहिए

अनिवार्य रूप से एक केस डायरी की प्रविष्टियों का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसलिए यह अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करता है कि इससे पहले केवल एक गिरफ्तार व्यक्ति का उत्पादन

एक अधिकृत अधिकारी या एक अधिकारी द्वारा एक सक्षम मजिस्ट्रेट

गिरफ्तार करने के लिए सशक्त (इस तथ्य के बावजूद कि वह एक नहीं है

पुलिस अधिकारी अपने सख्त सेंसु में) एक उचित विश्वास पर कि

गिरफ्तार व्यक्ति "दंडनीय अपराध का दोषी रहा है"

विशेष अधिनियम के प्रावधान मजिस्ट्रेट के लिए पर्याप्त हैं -

उन तीनों से संतुष्ट होने पर उस व्यक्ति को उसकी हिरासत में ले लें

गिरफ्तारी करने के लिए सक्षम; (2) कि अपराध का विवरण या वह आरोप जिसके लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या अन्य आधार

क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी मौजूद है और अच्छी तरह से स्थापित हैं; और (3) कि

व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष अधिनियम के प्रावधान

और गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करना धारा के उद्देश्य को पूरा करता है।

167 (1) कोड का "।

(जोर दिया गया)

104. फेरा में धारा 35 (2) और सीमा शुल्क की धारा 104 (2)

बशर्ते कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक देरी से मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाना था। सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के तहत व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति के संबंध में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" 102. पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि शब्द

धारा 167 (1) और (2) उस 'व्यक्ति' को दर्शाती है जिसकी स्वतंत्रता है वास्तव में कुएँ पर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी

स्थापित जानकारी या औपचारिक आरोप या अभियोग। इसलिए,

'अभियुक्त' शब्द धारा 167 (1) और (2) के दायरे तक सीमित है।

विशेष रूप से धारा 273 के स्पष्टीकरण के आलोक में

इसके बाद यह है कि "किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है" जो पहले में हो रहा है संहिता की धारा 167 (1) का अंग इसके दायरे में आता है

FERA की धारा 35 या FERA की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति

सीमा शुल्क अधिनियम भी जैसा भी मामला हो और 'गिरफ्तार व्यक्ति'

मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हिरासत में लिया जा सकता है

संहिता की धारा 167 (2)। दूसरे शब्दों में, 'गिरफ्तार किया गया व्यक्ति'

एफ. ई. आर. ए. या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत विशेषताओं के साथ आत्मसात किया जाता है

धारा 167 (1) और इस प्रकार [2020] 10 एस. सी. आर. की सीमा के भीतर एक 'अभियुक्त' का।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 167 (2) के तहत हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी जब

उसके सामने पेश किया गया।

105. न्यायालय ने अन्य कानूनों के प्रभाव पर विचार किया

"पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति के दायरे में। यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 111. न तो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम 5) और न ही कोई

अन्य कानून 'पुलिस अधिकारी' अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है। संक्षेप में कहा गया है,

अपराधों की जाँच। राज्य की शक्तियों और कर्तव्यों के रूप मेंसीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वन, कर आदि से संबंधित विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं और कई गुना बढ़ रहे हैं

और इसके परिणामस्वरूप रोकथाम, हिरासत और जांच

उन अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराध सौंपे गए हैं।

विषय के लिए उपयुक्त विभिन्न नामकरण वाले अधिकारियों के लिए

जिसके संदर्भ में वे कार्य करते हैं। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है,

हालाँकि सीमा शुल्क अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों की शक्तियाँ

जाँच के लिए पुलिस अधिकारियों के समान नहीं हैं

संहिता के अध्याय बारहवें के तहत अभी तक एफ. ई. आर. ए. के तहत अधिकारी

और सीमा शुल्क अधिनियम कुछ शक्तियों के साथ निहित हैं जैसे कि

पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ "।

106. सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (1) आगे बढ़ाने पर विचार करती है

जिसकी व्याख्या सामान्य डायरी नहीं की गई थी और विशेष

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत। अधिनियमों के संबंध में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 113. यद्यपि प्रवर्तन या सीमा शुल्क का एक अधिकृत अधिकारीअध्याय के तहत विचार के अनुसार जांच नहीं कर रहा है

संहिता की बारहवीं, फिर भी वे अधिकारी कुछ समान आनंद ले रहे हैं गिरफ्तारी, बरामदगी, पूछताछ आदि जैसी शक्तियाँ। इसके अलावा, ए

गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करने का वैधानिक कर्तव्य उन पर लगाया गया है

संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और संहिता की धारा 50 के तहत ऐसी गिरफ्तारी के लिए आधार। इसलिए उनके पास

अनिवार्य रूप से उनके वैधानिक कार्यों के रिकॉर्ड बनाने के लिए

सूचना देने वाले का नाम, साथ ही उस व्यक्ति का नाम जिसने संहिता के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन किया है और जो अधिनियम, सूचना की प्रकृति के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। उनके द्वारा प्राप्त, गिरफ्तारी का समय, निषिद्ध पदार्थ की जब्ती, यदि कोई हो और अपराध/अपराधों का पता लगाने के दौरान दर्ज किए गए बयान। निऑन ऑफ इंडिया बनाम

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

107. इसने यह भी पाया कि पाँच केंद्रीय शक्तियों के तहत निम्नलिखित शक्तियाँ उपलब्ध हैं

क्रियाएँ:

51 . अधिनियम का नाम संदिग्ध व्यक्तियों की खोज करने की शक्ति, खोज करने की शक्ति

भारत में प्रवेश करना या छोड़ना

नहीं।

परिसर

लोग

5

4

3

2

1

सेक. 37

सेक. 34

सेक. 34

1 . विदेशी

आदान-प्रदान

विनियमन अधिनियम,

1973

सेक. 101

सेक. 100

2 . सीमा शुल्क अधिनियम सेक। 105

3 . द गोल्ड

सेक. 60

सेक. 58

(नियंत्रण) अधिनियम

(अब निरस्त कर दिया गया)

सेक. 10 (2)

एस. 6 आर/डब्ल्यू एस. 18 या सागर होगा

4 . रोकथाम

सीमा शुल्क अधिनियम।

भोजन का

मिलावट एक्ट करें।

5 . रेलवे

सेक. 10 और सेक।

|

संपत्ति

11

(गैरकानूनी

स्वामित्व) अधिनियम

रोकने की शक्ति और सत्ता पर कब्जा करने की शक्ति

व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति

को शक्ति

सामानों का परिवहन करते हैं, दस्तावेज़ गिरफ्तार करते हैं।

सबूत दें और पेश करें

जाँच करें

दस्तावेज़

आदि।

लोग

10

6

7

8

9

सेक. 38

सेक. 40

सेक. 35 सेक. 39

सेक. 36 सेक. 106

सेक. 110

सेक. 104 सेक. 107

सेक. 108

सेक. 68 सेक. 64

सेक. 61

सेक. 66

सेक. 63

सेक. 10

सेक.

1

10 (बी)

सेक. 6

सेक. 9

108. न्यायालय ने आगे कहाः

" 116. यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी अपराध का प्रतिनिधित्व करने वाले अपराध की जांच कर रहा है

राज्य संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दायर करता है और शिकायतकर्ता बन जाता है जबकि विशेष अधिनियमों के तहत अभियोजन एजेंसी शिकायतकर्ता के रूप में यानी एफ. ई. आर. ए. के मामले में धारा 61 (ii) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 137 के तहत शिकायत दर्ज करती है। अलग तरह से कहने के लिए, पुलिस अधिकारी की समाप्ति के बाद

जाँच संहिता की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दाखिल करती है जिस पर मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।

संहिता की धारा 190 (1) (बी) के तहत रिपोर्ट में खुलासा किया गया है जबकि विशेष अधिनियमों [2020] 10 एस. सी. आर. के अधिकार प्राप्त या अधिकृत अधिकारी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल किसी भी अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत दर्ज करनी होगीअधिनियम के प्रावधान जिनकी प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट

धारा 190 (1) (ए) के तहत उक्त अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। कोड से। अपराध का संज्ञान लेने के बाद या तो

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले को आगे बढ़ाना हैसंहिता के तहत या विशेष प्रक्रिया के तहत, यदि कोई हो, निर्धारित

विशेष अधिनियमों के तहत। इसलिए, 'जांच' शब्द नहीं हो सकता है।

केवल पुलिस जाँच तक ही सीमित रहें लेकिन दूसरी ओर,

कहा गया शब्द व्यापक अर्थ और लचीले के साथ है ताकि शामिल किया जा सके

किसी भी एजेंसी द्वारा की गई जाँच चाहे वह पुलिस हो

अधिकारी या अधिकार प्राप्त या अधिकृत अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जो नहीं है

मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एक पुलिस अधिकारी

जाँच की शक्ति निहित है। ”

(जोर दिया गया)

109. वास्तव में, जैसा कि दीपक महाजन (ऊपर) में निर्धारित किया गया है, शक्ति

गिरफ्तारी का आदेश पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य व्यक्तियों को दिया जा सकता है। हम अभी के लिए, सी. आर. पी. सी. के तहत इस स्थिति को हटा रहे हैं कि एक निजी व्यक्ति भी सी. आर. पी. सी. की धारा 43 में दिए गए प्रावधान के अनुसार गिरफ्तार कर सकता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (इसलिए निरस्त); सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (निरस्त); खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 (इसलिए निरस्त) और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966, क्रमशः धारा 35,104,68,10 बी और धारा 6 में, इन धाराओं के तहत अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की गई।

क्रियाएँ। इसलिए, यदि हम अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) की व्याख्या ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ गिरफ्तारी की शक्ति को समझने के रूप में करते हैं, तो उसकी गिरफ्तारी की क्षमता, कानून में एक आवश्यकता, जैसा कि दीपक महाजन (ऊपर) में फिर से निर्धारित किया गया है (पैराग्राफ-54 देखें), संतुष्ट होगी। हालांकि, आगे का सवाल यह है कि निरीक्षक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या है, और फिर भी अंत में, क्या पुलिस अधिकारी, सीआरपीसी के तहत, गिरफ्तारी की शक्ति से वंचित रहेगा। विद्वान न्यायमित्र का तर्क यह प्रतीत होता है कि चूंकि एक पुलिस अधिकारी, एक बार जब वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करता है, तो वह मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए कर्तव्यबद्ध है। , सी. आर. पी. सी. में दिए गए मामले की जांच करने के लिए, और अंत में, सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट दायर करने के लिए, अदालत को एक उचित मामले में संज्ञान लेने के लिए राजी करने के लिए, जो सभी शक्तियां अधिनियम के अध्याय IV

के तहत अपराधों के संबंध में एक पुलिस अधिकारी के लिए उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी व्याख्या जो इस तरह के व्यर्थ अभ्यास से बचती है, जो कानून में अनधिकृत और अवैध भी है, को अपनाया जाना चाहिए।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

110. हम विद्वान न्यायमित्र से सहमत हैं कि पुलिस

उदाहरण के लिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा इस शिकायत के साथ अधिकारी से संपर्क नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत एक संज्ञेय अपराध किया गया है और वह उस कानून के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं है जिसे इस अदालत द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में निर्धारित किया जा रहा है। यही कारण है कि अगर वह एक प्राथमिकी दर्ज करता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के मंच पर जाना होगा और इसके अलावा, जांच करनी होगी, जैसा कि कानून में समझा जाता है, जिसके लिए न तो वह है।

विधि दाता द्वारा योग्य या सशक्त समझा गया और न ही वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने का हकदार है।

अधिनियम के तहत हथियार की शक्ति

111. हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जो एक कलह का संकेत देती है

दो कानूनों के बीच, अर्थात। , सी. आर. पी. सी. और अधिनियम, और क्षितिज पर दिखाई देने वाली एकमात्र चांदी की परत, अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) के तहत शक्ति का दायरा है। हम इस समय उक्त प्रावधान का पुनर्कथन कर सकते हैं। वह इस प्रकार है:

" 22. निरीक्षकों की शक्तियाँ। - – (1) के प्रावधानों के अधीन धारा 23 और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम

इस ओर से, एक निरीक्षक, क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतरजिसे वह नियुक्त किया जाता है,

XXX

XXX

XXX

XXX

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करें जो वहन करने के लिए आवश्यक हों।

इस अध्याय के प्रयोजनों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के बारे में।इसके अलावा, गिरफ्तारी की कोई व्यक्त शक्ति नहीं है।

औषधि निरीक्षक पर अधिनियम।

कुछ प्रावधानों को बनाए रखना

अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) के समान

112. हम देख सकते हैं कि बीज अधिनियम, 1966 (धारा 14 (1) (ई),

कीटनाशक अधिनियम, 1968 (धारा 21 (एफ)), केरल मत्स्य बीज अधिनियम, 2014 (धारा 19 (1) (ई), उत्तराखंड भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2016 [धारा 13 (1) (जे)] में अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) में निहित प्रावधानों के समान प्रावधान हैं।

113. साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942 [धारा 8 (1) (सी)], जम्मू

और कश्मीर कारखाने अधिनियम, 1999 [धारा 9 (1) (सी)] में प्रावधान [2020] 10 एस. सी. आर. शामिल थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो अधिनियम के तहत प्राधिकरणों को ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है जो अधिनियम के बाहरी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। जहाँ तक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 [धारा 19 (1) (सी)] की बात है, अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करने के बाद, कानून प्रदाता

एक परंतुक के माध्यम से एक सीमा निर्धारित करता है कि उक्त धारा के तहत किसी को भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह का प्रावधान निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2007 [धारा 21 (1) (बी) के तहत] और जम्मू और कश्मीर कारखाने अधिनियम, 1999 में भी पाया जाता है।

आगंतुकों की शक्तियों को परिभाषित करने वाली विशेष स्थितियाँ;

114. हालाँकि, गिरफ्तारी की शक्ति रखने वाले और दीपक में संदर्भित अधिनियमों के प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। महाजन (ऊपर)। वर्तमान में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 इस प्रकार है:

" 104. गिरफ्तार करने की शक्ति। - (1) यदि सीमा शुल्क का कोई अधिकारी इस संबंध में सामान्य या 3 [प्रधान के विशेष आदेश द्वारा सशक्त है।

सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त] के पास यह मानने का कारण है कि भारत में या भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति

सीमा शुल्क जल ने धारा 132 या धारा 133 या धारा 135 या धारा 135 ए या धारा 136 के तहत दंडनीय अपराध किया है, वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जल्द से जल्द सूचित करेगा।इस तरह की गिरफ्तारी के लिए आधार।

(2) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा।

(3) जहां सीमा शुल्क अधिकारी ने उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वह ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के उद्देश्य से करेगा।

जमानत पर या अन्यथा, वही शक्तियाँ हैं और वही प्रावधानों के अधीन हैं जो पुलिस-स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास 4 दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के तहत हैं और उनके अधीन हैं। (4) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), इससे संबंधित कोई भी अपराध -(क) निषिद्ध वस्तुएँ; या भारत संघ v.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(ख) पचास लाख से अधिक शुल्क की चोरी या चोरी का प्रयास।

रुपये, संज्ञेय होंगे। (5) उप-धारा (4) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, अधिनियम के तहत अन्य सभी अपराध गैर-संज्ञेय होंगे।

(6) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) धारा के तहत दंडनीय अपराध

135 संबंधित -

(क) पचास लाख से अधिक शुल्क की चोरी या चोरी का प्रयास रुपये; या

(बी) धारा 11 के तहत अधिसूचित निषिद्ध सामान जो भी हैं

उप-धारा (1) के खंड (i) के उप-खंड (ग) के तहत अधिसूचित

(ग) किसी भी वस्तु का आयात या निर्यात जिसकी घोषणा नहीं की गई है।इस अधिनियम के प्रावधानों और बाजार मूल्य के अनुसार

(घ) धोखाधड़ी से लाभ उठाना या समस्या या किसी अन्य समस्या का लाभ उठाने का प्रयास करना। इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शुल्क से छूट, यदि

शुल्क से निकासी या छूट पचास लाख रुपये से अधिक होगी,

गैर-जमानती होना। (7) उप-धारा (6) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के तहत अन्य सभी अपराध जमानती होंगे। 261 1

115. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 35

(एफ. ई. आर. ए.), 1973 को निम्नानुसार पढ़ा गया (एफ. ई. आर. ए. को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ. ई. एम. ए.), 1999 द्वारा निरस्त किया गया):

" 35. गिरफ्तार करने की शक्ति। — (1) यदि प्रवर्तन का कोई अधिकारी

केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत, सामान्य द्वारा

26 आई. डी. 1 से पहले, जब वर्तमान प्रावधान 2006 के अधिनियम 29 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो गिरफ्तार करने की शक्ति उस व्यक्ति के संबंध में सीमित थी जिसके बारे में यह विश्वास करने का कारण था कि उसने धारा 135 के तहत अपराध किया था। जैसा कि देखा जा सकता है कि 13.07.2006 के बाद गिरफ्तारी की शक्ति अधिक व्यापक हो गई है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 104 (4) को 2012 के अधिनियम 23 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन से पहले उप-धारा (4) निम्नानुसार है:“ 4. [दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत एक अपराध संज्ञेय नहीं होगा। उप-धारा (4) द्वारा प्रतिस्थापित परिवर्तन यह है कि उप-धारा (4) में उल्लिखित अपराधों को संज्ञेय घोषित किया गया है। हालाँकि, धारा 104 (5) के तहत, अधिनियम के तहत अन्य सभी अपराधों को गैर-संज्ञेय घोषित किया गया है।

या विशेष आदेश, यह मानने का कारण है कि भारत में कोई भी व्यक्ति या

भारतीय सीमा शुल्क जलक्षेत्र के भीतर एक अपराध का दोषी पाया गया हैइस अधिनियम के तहत दंडनीय, वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और

जितनी जल्दी हो सके, उसे इस तरह की गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करें।

(2) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति, बिनाअनावश्यक विलम्ब, मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए।

जमानत पर या अन्यथा व्यक्ति के पास समान शक्तियाँ होती हैं और वह अधीन होता है एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समान प्रावधानों के लिए

1 [दंड प्रक्रिया संहिता के तहत है और इसके अधीन है,

1973 (2 1974)]।" 116. स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 68 (जो अब भी लागू है)

1990 में नेतृत्व किया), निम्नानुसार पढ़ा गया:

" 68. गिरफ्तार करने की शक्ति।(1) प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई भी स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी

इस ओर से, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति के पास है

उल्लंघन किया गया है, या उल्लंघन कर रहा है, या किसी का उल्लंघन करने वाला है

इस अधिनियम का प्रावधान, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा और जितनी जल्दी हो सके

संभव है कि उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाए और वह

ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास

आवश्यक समय को छोड़कर इस तरह की गिरफ्तारी के चौबीस घंटे

गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए

और ऐसे किसी भी व्यक्ति को उक्त से परे हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना अवधि।

(2) कोई भी अधिकारी जिसने इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो।ऐसे व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा रिहा करने के उद्देश्य से,

समान शक्तियाँ हैं और समान प्रावधानों के अधीन हैं

एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास है, और वह इसके अधीन है,

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के तहत।

(जोर दिया गया)

117. खाद्य मिलावट की रोकथाम की धारा 10 (8)

1954 (37 1954 का), निम्नानुसार पढ़िए:

" 10 (8) कोई भी खाद्य निरीक्षक पुलिस की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 के तहत अधिकारी भारत संघ v.

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

(2 1974 का) उस व्यक्ति के वास्तविक नाम और निवास का पता लगाने के उद्देश्य से जिससे नमूना लिया गया है या एक वस्तुभोजन जब्त कर लिया जाता है। ”

ध्यान दें कि Cr.P.C की धारा 42. की शक्ति प्रदान करती है

यह हो सकता है

गैर-संज्ञेय अपराध के संबंध में भी गिरफ्तारी के लिए किसी पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी, बिना वारंट के उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में।

118. अंत में, रेलवे संपत्ति की धारा 6 (गैरकानूनी)

कब्जा) अधिनियम, 1966, निम्नानुसार है:

" 6. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। बल का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या सदस्य, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में शामिल है या जिसके खिलाफ -उचित संदेह मौजूद है कि वह इतना चिंतित था।

यहाँ, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं

बल के सदस्य, जिसे बल के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है और 'बल' शब्द को रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के तहत गठित रेलवे सुरक्षा बल के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक सशस्त्र बल है।

119. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 में गिरफ्तारी की कोई व्यक्त शक्ति नहीं है, जैसा कि प्रदान किया गया है। इसके बजाय, यह प्रासंगिक है

उक्त अधिनियम की धारा 37 की सूचना दें:

" 37. खोज, जब्ती आदि की शक्ति। (1) प्रवर्तन निदेशक और अन्य अधिकारी

प्रवर्तन, सहायक निदेशक के पद से कम नहीं, धारा 13 में निर्दिष्ट उल्लंघन की जांच करेगा। (1) प्रवर्तन निदेशक और प्रवर्तन के अन्य अधिकारी, जो सहायक निदेशक के पद से कम नहीं हैं, धारा में निर्दिष्ट उल्लंघन की जांच करेंगे।

13. "

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या रिजर्व बैंक में किसी भी अधिकारी या वर्ग के अधिकारियों को, जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से कम नहीं है, धारा 13 में निर्दिष्ट किसी भी उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिकृत कर सकती है। (3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत आय-कर प्राधिकरणों को प्रदान की गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) और उस अधिनियम के तहत निर्धारित ऐसी सीमाओं के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

120. गिरफ्तारी का प्रावधान आयकर अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कर की वसूली के तरीके के रूप में निहित है। 121. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 (4) का अवलोकन, जैसा कि उस समय था जब इस न्यायालय ने दीपक महाजन (ऊपर) पर फैसला सुनाया था, यह दर्शाता है कि

जबकि सीमा शुल्क अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए एक स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई थी

धारा 104 (1) के तहत इसे गैर-संज्ञेय अपराध माना गया था। इसके अलावा, गिरफ्तारी की शक्ति केवल अधिनियम की धारा 135 के तहत किए गए अपराध तक ही सीमित थी। यह ध्यान देने योग्य है कि सी. आर. पी. सी. के तहत, पुलिस अधिकारी के पास मामले में गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है

मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश को छोड़कर एक गैर-संज्ञेय अपराध।

122. इस संबंध में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों का उल्लेख करना भी उचित हो सकता है। धारा 13 गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करती है। वह इस प्रकार है:

" 13. गिरफ्तार करने की शक्ति: - केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद से नीचे का कोई भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पूर्व मंजूरी से कर सकता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें जिस पर उसके पास विश्वास करने का कारण हो

इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होना इसके तहत "।

123. हालाँकि, धारा 9ए, जैसा कि वर्ष 2004 के बाद से इसमें संशोधन किए जाने से पहले था, ने घोषणा की कि धारा 9 के तहत अपराध

दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत गैर-संज्ञेय माना जाना था। सुनील गुप्ता बनाम। भारत संघ 2 7, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ को इस सवाल का जवाब देना था कि क्या

अधिनियम की धारा 13 के तहत गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग वारंट के बिना किया जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 9ए के तहत अपराध को गैर-संज्ञेय घोषित किया गया था। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि धारा 13 में एक ठोस शक्ति निहित है। यह माना जाता है,

अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

" 21. हमारे विचार में, धारा 13 एक मूल शक्ति का प्रतीक है। यह गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करता है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं

धारा 18 द्वारा संरक्षित किया गया है। यह प्रावधान केवल विनियमित करता है

धारा 13 के तहत शक्ति का प्रयोग। यह केवल प्रदान करता है कि

27 2000 (118) ई. एल. टी. 8 पी. एंड एच. भारत बनाम

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत तलाशी और गिरफ्तारी "दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।" दूसरे शब्दों में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का एक अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 में निर्धारित तरीके से गिरफ्तारी करेगा। वह "वास्तव में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा या सीमित करेगा।" प्रतिरोध के मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अधिकारी "सभी आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है

गिरफ्तारी को प्रभावित करें। " गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को "उसके भागने को रोकने के लिए आवश्यक से अधिक संयम के अधीन नहीं किया जाएगा।" इसी तरह, धारा 100 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तलाशी ली जाएगी। यदि किसी महिला के व्यक्ति की तलाशी लेनी है, तो यह "शालीनता को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा" की जाएगी। इलाके के दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाएगी और "इस तरह की तलाशी के दौरान जब्त की गई चीजों की एक सूची तैयार की जाएगी।" केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी के मामले में भी दंड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अब और नहीं। "

124. गुजरात उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने भी विंग प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जिसका उत्तर उसे रिपोर्ट किए गए मामले में देना था

एविन इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड वी. गुजरात राज्य 28, निम्नानुसार है:

" 1. इस रिट याचिका में विचार के लिए जो प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत प्राधिकरण,

1944 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के पास शक्ति है

अधिनियम की धारा 13 के तहत किसी व्यक्ति को वारंट के बिना और प्राथमिकी दर्ज किए बिना या न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज किए बिना गिरफ्तार करें।

सक्षम अधिकारिता "।

125. अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सुनील गुप्ता (ऊपर) का अनुसरण करने का इरादा किया, जिसे हमने अन्य बातों के साथ संदर्भित और अभिनिर्धारित किया है,

कमियाँ:

" यह न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है, अर्थात, एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, (धारा 13 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने से प्रतिबंधित नहीं है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति अधिनियम या नियमों के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है।

ओ (260) ईएलटी 526 (गुजरात)

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके तहत बनाया गया। धारा 13 में धारा 18 द्वारा कटौती नहीं की गई है और

तथ्य यह है कि धारा 18 केवल प्रक्रियात्मक है।

126. हालाँकि, हमें ओम प्रकाश और अन्य v में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देना चाहिए। भारत संघ और अन्य 2 9, एक निर्णय,

जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 से संबंधित था। लेकिन सवाल यह उठा कि क्या उक्त अधिनियमों के तहत, क्योंकि अपराध संज्ञेय नहीं थे, क्या वे भी जमानती थे? धारा 9ए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, निम्नानुसार है:

" 9ए. कुछ अपराध गैर-संज्ञेय होने चाहिए। - (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 9 के तहत अपराधों को गैर-दंडनीय माना जाएगा।उस संहिता के अर्थ के भीतर संज्ञानात्मक।

(2) इस अध्याय के तहत कोई भी अपराध, या तो पहले या बाद में हो सकता है।

अभियोजन की संस्था, जिसे प्रमुख द्वारा संयोजित किया जाएव्यक्ति द्वारा भुगतान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

केंद्र सरकार को अपराध का अभियुक्त, जैसे

चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि के ऐसे तरीके से, जो हो सके

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा (क) एक व्यक्ति जिसे धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ख), (ख), (ख), (ख), (ख) या (ग) के प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध के संबंध में एक बार चक्रवृद्धि करने की अनुमति दी गई है;

(ख) एक व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

इस अधिनियम के तहत जो नार्कोटिक ड्रग्स के तहत भी एक अपराध है

और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61);

(ग) एक व्यक्ति जिसे इस अध्याय के तहत किसी भी अपराध के संबंध में एक बार अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए चक्रवृद्धि करने की अनुमति दी गई है।एक करोड़ रुपये;

(घ) एक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। 30 दिसंबर, 2005 को या उसके बाद।

127. अदालत ने दोनों सुनील गुप्ता (ऊपर) का संदर्भ दिया।

और भाविन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (ऊपर)। इस न्यायालय ने प्रावधानों की जांच करने पर पाया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत गैर-संज्ञेय अपराध होने के कारण और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि एक सामान्य नियम के रूप में,29 (2011) 14 एस. सी. सी. 1 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

हालाँकि, सी. आर. पी. सी. की पहली अनुसूची के तहत अपवादों के साथ, गैर-संज्ञेय अपराधों को जमानती माना जाता था, और आबकारी अधिनियम की धारा 20 पर भी ध्यान दिया जाता था, जो यह दर्शाता है कि अपराध जमानती थे कि वे जमानती थे। हालाँकि, हमारे सामने मामले को तय करने के उद्देश्य से जो उल्लेखनीय है, वह है कानून का बयान।

जैसा कि पैराग्राफ-41 में निहित है, जो इस प्रकार है:

" 41. हमारे विचार में, "गैर-संज्ञेय अपराध" की परिभाषा संहिता की धारा 2 (1) में यह स्पष्ट किया गया है कि

अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं है।बिना वारंट के गिरफ्तार करना। जैसा कि हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं,

संहिता की धारा 2 (सी) में "संज्ञेय अपराध" अभिव्यक्ति

इसका अर्थ है एक अपराध जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी, तदनुसार

पहली अनुसूची के साथ या अभी के लिए किसी अन्य कानून के तहत

गैर-संज्ञेय के संबंध में संबंधित अधिनियमों में भीअपराध, एक पुलिस अधिकारी, और, तत्काल मामले में एक आबकारी अधिकारी,

41 संहिता जो निर्दिष्ट करती है कि कोई पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तार कर सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना।

(जोर दिया गया)

128. न्यायालय ने मामलों के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू किया

जिसे उसने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत तय किया। हम देख सकते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 18 में उत्पाद बनाने का तरीका प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी। वह इस प्रकार है:

इस अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5), संबंधित

क्रमशः उस संहिता के तहत की गई तलाशी और गिरफ्तारी के लिए।

129. समान रूप से ब्याज के प्रावधान धाराओं में निहित हैं।

19 , 20 और 21:

" 19. गिरफ्तार व्यक्तियों का निपटारा। - प्रत्येक व्यक्ति के तहत गिरफ्तार किया गया

इस अधिनियम को बिना किसी देरी के निकटतम केंद्र को भेजा जाएगा।

आबकारी अधिकारी को इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को भेजने का अधिकार है

मजिस्ट्रेट, या, यदि [2020] 10 एस. सी. आर. के भीतर ऐसा कोई केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित दूरी, निकटतम पुलिस के प्रभारी अधिकारी से

उसे हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दें।21. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा इनके खिलाफ जांच कैसे की जाए

गिरफ्तार व्यक्तियों को धारा 19 के तहत उन्हें भेज दिया गया। - (1) जब किसी व्यक्ति को धारा 19 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को भेजा जाता है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के पास भेजने का अधिकार प्राप्त अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी आरोप की जांच के लिए आगे बढ़ेगा।

(2) इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी समान शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और समान प्रावधानों के अधीन होगाएक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के तहत अभ्यास कर सकता है और उसके अधीन है, जब

एक संज्ञेय मामले की जाँच करना:

बशर्ते कि

(क) यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की राय है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है।

अभियुक्त व्यक्ति, वह या तो उसे मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत पर स्वीकार करेगा, या आगे बढ़ाएगा।

वह ऐसे मजिस्ट्रेट की हिरासत में है;

(ख) यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है।

अभियुक्त व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति को जमानत के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी निर्देश दे सकता है, यदि और जब भी आवश्यकता हो, अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने के लिए, और मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने आधिकारिक वरिष्ठ को देगा।

130. पैराग्राफ ई में निहित कानून के बयान के अवलोकन पर पता चलता है कि इस न्यायालय ने पाया है कि जैसा कि विचाराधीन प्रावधानों के तहत प्रावधानों ने अपराधों को गैर-संज्ञेय घोषित किया है, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, भारत संघ v के बाद के अलावा गिरफ्तार नहीं कर सकता है।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

उक्त उद्देश्य के लिए वारंट प्राप्त करना। यह कि वे गैर-संज्ञेय अपराधों के संबंध में वारंट प्राप्त किए बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण होने के नाते, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः सुनील गुप्ता (उपरोक्त) और भाविन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड में लिए गए दृष्टिकोण से नहीं जोड़ा जा सकता है। लिमिटेड (उपरोक्त), जिसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने का विचार लिया, किसी वारंट की आवश्यकता नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से उसी के परिणामस्वरूप है कि विधानमंडल ने संशोधनों के साथ कदम उठाया। धारा 9ए में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद यह इस प्रकार है:

" धारा 9ए। कुछ अपराध गैर-संज्ञेय होने चाहिए।

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 9 के तहत अपराध, उप-धारा (1ए) में निर्दिष्ट अपराधों को छोड़कर, गैर-संज्ञेय होंगे।

उस कोड के अर्थ के भीतर।

(2) इस अध्याय के तहत कोई भी अपराध, अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार को ऐसी चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि की ऐसी तरीके से भुगतान करने पर चक्रवृद्धि की जा सकती है जो निर्धारित की जाए:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा

(क) एक व्यक्ति जिसे एक बार चक्रवृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी), (बी. बी. बी.), (बी. बी. बी. बी.) या (सी) के प्रावधानों के तहत किसी भी अपराध के संबंध में;

(ख) एक व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

इस अधिनियम के तहत जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत भी एक अपराध है;

(ग) एक व्यक्ति जिसे एक बार चक्रवृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं के लिए इस अध्याय के तहत किसी भी अपराध के संबंध में;

(घ) एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है

यह अधिनियम 30 दिसंबर, 2005 को या उसके बाद।

(जोर दिया गया)

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

131. परिणाम यह प्रतीत होता है कि अपराधों को गैर-संज्ञेय बनाने के प्रभाव को स्वीकार करते हुए अधिनियम के तहत गिरफ्तारी करने के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों की शक्ति को सीमित करना आवश्यक है।

01.08.2019) , जबकि अपराध संज्ञेय है, धारा 104 (1) के तहत अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की जाती है। गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की जाती है और केवल एक शर्त पूरी की जानी चाहिए कि अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति ने संबंधित अपराध किया है। निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित अपराध के संबंध में स्थिति समान है। 133. हमने आबकारी अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों और इसके निर्णय का उल्लेख करना शुरू कर दिया है।

ओम प्रकाश (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने पैराग्राफ-41 में दिए गए विचार को इस तर्क की सराहना करने के लिए लिया कि धारा 36 एसी में संशोधन के बाद अपराधों को संज्ञेय घोषित कर दिया गया है। यदि हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि गिरफ्तारी की शक्ति का पता अधिनियम की धारा 22 (1) (डी) से लगाया जा सकता है, तो धारा 36 एसी में संशोधन के बाद, जिसके द्वारा

अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध, जिन्हें संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया जाता है, उन्हें निरीक्षक द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए मंजूरी दे दी जाती है।

134. हालाँकि, सवाल यह उठेगा कि क्या ड्रग्स इंस्पेक्टर के पास गिरफ्तारी की शक्ति मौजूद है। एक तरफ हम करेंगे,

विधानमंडल पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी करने की शक्ति से अवगत था। जब वह किसी संज्ञेय मामले की जांच शुरू करता है, जैसा कि ओ. एन. ओ. एफ. इंडिया बनाम से स्पष्ट है।

अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]सी. आर. पी. सी. के 157 पर। अधिनियम में एक और संकेत है जो विधानमंडल के दिमाग को प्रकट करता है कि गिरफ्तारी की शक्ति ड्रग्स इंस्पेक्टर को प्रदान नहीं की गई थी। धारा 34 ए. ए. में लिखा है -

कमियाँ:

कौन, (ए) संदेह के उचित आधार के बिना किसी भी स्थान, वाहन, पोत या अन्य वाहन की तलाशी; या

((ख) परेशान करने वाले और अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है; या(ग) किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन, या किसी भी पदार्थ या वस्तु, या किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज़ या अन्य भौतिक वस्तु को परेशान करने और अनावश्यक रूप से जब्त कर लेता है; या

अपने कर्तव्य के निष्पादन के लिए, जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है। विषय वस्तु के रूप में गिरफ्तारी का कोई संदर्भ नहीं है

टीआई।

135. इसके विपरीत, हमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 22 पर ध्यान देना चाहिए।

1944 , इस प्रकार पढ़ता है:

इस अधिनियम के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी; (घ) ऐसे अधिकारी के रूप में, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ऐसा कार्य उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए फिर से आवश्यक है, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, 10 एस. सी. आर. होगा।

जुर्माने से दंडनीय जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।कोई भी व्यक्ति जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत जानकारी दे रहा है और

अत: इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी या तलाशी लेना

जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है

या कारावास के साथ जो दो साल तक बढ़ सकता है या दोनों के साथ।

(जोर दिया गया)

136. इसके अलावा, जैसा कि हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में देखा है,

1944 , इस तथ्य के अलावा कि गिरफ्तारी की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है, जिस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाना है, विशेष रूप से इंगित किया गया है, जैसा कि हमने धारा 19 और 20 के अवलोकन पर देखा है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 की धारा 68 ने स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी की

शक्ति प्रदान की है, वे शर्तें जिनमें शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और आगे की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

137. हमने देखा है कि अधिनियम के तहत निरीक्षक को

शक्तियों की एक विशाल और दुर्जेय श्रृंखला के साथ, और अधिनियम जैसे अधिनियम में, नमूने लेने, उसी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट और केंद्रीय प्रयोगशाला से आगे की रिपोर्ट मांगने के लिए संबंधित व्यक्ति के लिए आरक्षित अधिकार, अधिनियम की धारा 32 के तहत एक शिकायत की सफल परिणति में एक लंबा रास्ता तय करते हैं। निरीक्षक को, निस्संदेह, निरीक्षण करने, किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन के नमूने लेने, किसी भी व्यक्ति की खोज करने, किसी भी स्थान की खोज करने, किसी भी वाहन की खोज करने, रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेजों और अन्य भौतिक वस्तुओं की जांच करने और उन्हें जब्त करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है।कोई अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। ये वे शक्तियाँ हैं जो स्पष्ट रूप से निरीक्षक को प्रदान की जाती हैं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 32 में शिकायतकर्ताओं की अन्य श्रेणियों द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन निरीक्षक उस धुरी पर होता है जिसके इर्द-गिर्द अधिनियम चलता है। नियम 51 (4) में किसी भी शिकायत की जांच करना औषधि निरीक्षक का कर्तव्य है।

इसके नीचे। वह नियम 51 (7) के तहत पूछताछ और निरीक्षण करने के लिए भी कर्तव्यबद्ध है जो देश में दवाओं की बिक्री का पता लगाने के लिए आवश्यक हो सकता है। अधिनियम का उल्लंघन। नियम 52 के तहत, दवाओं के निर्माण के संबंध में, सभी परिसरों का निरीक्षण करने के अलावा उल्लंघनों के लिए मुकदमा चलाना फिर से कर्तव्य है। यह उनकी योग्यताओं और उन्हें प्रदान की गई शक्तियों दोनों को ध्यान में रखते हुए है। की धारा 23

अधिनियम, निस्संदेह, निरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है।

वी यूनियन ऑफ इंडिया v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसलिए, "अन्य शक्तियाँ" अभिव्यक्ति के अर्थ का पता लगाने के लिए हैं, जो अध्याय IV के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं और इसके तहत बनाए गए नियम। विधायिका ने कोई संकेत नहीं दिया है, इरादा

अवशिष्ट शक्तियों के दायरे को सीमित करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम स्वतंत्रता से पहले का अधिनियम है। यदि हम यह व्याख्या करते हैं कि यह अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्य करने वाला एक मादक पदार्थ निरीक्षक है, जो अकेले अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराधों की जांच कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस अधिकारी के लिए अधिनियम के तहत जांच करने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दायर करने की कोई शक्ति नहीं है, जो वास्तव में निर्विवाद है, तो,

गिरफ्तारी, जो अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन के उद्देश्य से आवश्यक है, ड्रग्स इंस्पेक्टर को सौंपी जानी चाहिए। विभिन्न शक्तियों को प्रदान करने में विधायी इरादा, जैसा कि हमने अधिनियम की धारा 22 के पूर्वगामी प्रावधानों में देखा है और घोषणा की है कि अन्य सभी शक्तियां, जो अधिनियम के लिए आवश्यक हैं। अधिनियम का उद्देश्य, औषधि निरीक्षक में निहित करना है, हमें आश्वस्त करता है कि हम इस विधायी इरादे का सही ढंग से पता लगाएँगे कि यदि कोई औषधि निरीक्षक अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले मामले को उठाता है, तो उसे गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

138. एक और पहलू है जिसका इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अधिनियम की धारा 36 एसी के तहत, उल्लिखित अपराध

जिसमें अधिनियम के अध्याय IV के तहत कुछ अपराध शामिल हैं, उन्हें संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किया जाता है। प्रावधान लागू होता है

गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा करने पर प्रतिबंध जब तक कि लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो

आवेदन और जब लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं

कि अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। यह सीमा, अन्य बातों के साथ-साथ सी. आर. पी. सी. की सीमाओं से अलग है। अब, सी. आर. पी. सी. के तहत कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी एक पल के लिए भी इस आधार पर कार्यवाही करता है कि यह पर्याप्त है कि सी. आर. पी. सी. के तहत आवश्यक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया जाए और आगे सी. आर. पी. सी. के अन्य प्रावधानों का भी अनुपालन किया जाए, क्या यह पर्याप्त होगा कि सवाल निम्नलिखित तरीके से उत्पन्न होगा? हमने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों से नोट किया है कि यह औषधि निरीक्षक है जो अधिनियमों और नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायत की जांच करने के लिए सशक्त और कर्तव्यबद्ध है। वह वह व्यक्ति है जिस पर अपराधियों पर मुकदमा चलाने का आरोप है। यदि पुलिस अधिकारी को केवल गिरफ्तारी की शक्ति दी जानी है और उसके पास जांच की कोई शक्ति नहीं है तो पुलिस अधिकारी के लिए [2020] 10 एस. सी. आर. बनाना कैसे संभव होगा।

जमानत के लिए आवेदन? दूसरे शब्दों में, यह जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए जाँच के अभिलेखों और सामग्री पर आधारित होगा कि किसी मामले में अदालत यह तय करेगी कि जमानत दी जानी है या नहीं। पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए रिमांड कैसे मांगेगा जो वह नहीं कर सकता है? यदि अधिनियम

और नियम एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच पर विचार नहीं करते हैं, तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करना, वास्तव में, अधिनियम के कामकाज को विफल कर देगा। दूसरी ओर, यदि यह ड्रग्स इंस्पेक्टर है जो गिरफ्तार कर सकता है, तो निम्नलिखित परिणाम सामने आएंगे:

ए। उसके पास उचित रूप से आवश्यक तकनीकी योग्यताएँ हैं।

अपराधी की जाँच करें और मुकदमा चलाएं।

बी। वह जांच के एक हिस्से के रूप में जो भी दस्तावेज रखना है, उसमें पर्याप्त प्रविष्टियां करने में सक्षम होगा और यह अधिनियम की धारा 36 एसी के अर्थ के भीतर जमानत के लिए आवेदन पर उचित और निष्पक्ष विचार की सुविधा प्रदान करेगा और धारा 167 के तहत रिमांड के अनुरोध की सुविधा भी प्रदान करेगा।

Cr.P.C।

139. निरीक्षक के साथ गिरफ्तारी की शक्ति की घोषणा करना, यह घोषणा करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि निरीक्षक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है। गिरफ्तारी से संबंधित सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से ड्रग्स इंस्पेक्टर को पालन करना होगा। वास्तव में, वह उस कानून को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डी. के. बसु (ऊपर) में घोषित किया गया है, और उसकी अवहेलना करने का खतरा, अन्य बातों के साथ-साथ, परिणाम आमंत्रित करना होगा, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। जहां तक गिरफ्तारी का उल्लेख धारा 34 एए में नहीं किया गया है, दंड के साथ अपराधी अधिकारी से मिलने के लिए एक आधार के रूप में, यह देखा जा सकता है कि धारा 34 एए में एक अवशिष्ट शक्ति है और इसमें कोई भी कार्य शामिल होगा। हम देखते हैं कि धारा 34 एए (डी) में प्रावधान है कि यदि कोई निरीक्षक, अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है

इसके तहत, इस तरह के निरीक्षक के रूप में, किसी भी अन्य कार्य के लिए, किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए यह विश्वास करने का कारण के बिना कि ऐसा कार्य आवश्यक है

अपने कर्तव्य के निष्पादन के लिए, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है। 140. धारा 167 के तहत रिमांड मांगने और आदेश देने की शक्ति के संबंध में, हम दीपक महाजन (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करेंगे और वही सिद्धांत लागू होंगे।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के लिए, उसे तब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करनी है जब तक कि यह अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराध के अलावा एक संज्ञेय अपराध भी नहीं माना जाता है। उसे सक्षम औषधि निरीक्षक के पास शिकायत को बदलना चाहिए ताकि कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जा सके जहां केवल अध्याय IV के तहत अपराध किए गए हैं।142. जहाँ तक

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत विचार की गई गिरफ्तारी का संबंध है, यदि अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाला कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है, तो या तो ड्रग्स इंस्पेक्टर की उपस्थिति में, या किस अपराध के संबंध में, एक पुलिस अधिकारी के पास शक्ति होगी

गिरफ्तारी, जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है। , धारा 41 (बी. ए.) के तहत विचार की गई स्थितियों के तहत, ड्रग्स इंस्पेक्टर गिरफ्तारी करने का हकदार होगा। हम इस निष्कर्ष पर इस आधार पर पहुंच रहे हैं कि चूंकि सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया को लागू होने के रूप में पढ़ा जाना है, सिवाय इसके कि

इस हद तक कि अधिनियम के तहत एक अलग प्रक्रिया प्रदान की जानी है, और चूंकि गिरफ्तारी के संबंध में अधिनियम में अन्यथा कोई प्रक्रिया या शक्ति प्रदान नहीं की गई है, इसलिए एक पुलिस अधिकारी को शक्तियां और प्रक्रिया उपलब्ध है,

उक्त शक्ति की सीमाओं के साथ, जैसा कि डी. के. बसु (ऊपर) में निर्धारित किया गया है, और जैसा कि सी. आर. पी. सी. में निहित है, लागू होगा।

143. दीपक महाजन (ऊपर) का अनुसरण करते हुए, हम मानते हैं कि अधिनियम के तहत औषधि निरीक्षक को पुलिस अधिकारी के समान कुछ शक्तियां दी गई हैं। और भी आगे, हम मानेंगे कि शब्द

" जांच केवल पुलिस जांच तक ही सीमित नहीं हो सकती, जैसा कि दीपक महाजन (उपरोक्त) में उल्लेख किया गया है। तीसरा, हम पाते हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति वास्तव में क़ानून के प्रावधानों से आनी चाहिए।अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधान धारा 22 (1) (डी) है।

व्यक्ति, अधिनियम के तहत, एक आरोपी व्यक्ति होगा जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत हिरासत में लिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने की आवश्यकता के मामले में निरीक्षक को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है जहां प्रतिरोध या प्रतिरोध की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी के संबंध में, जो धारा 36 एसी के तहत नहीं आते हैं, गिरफ्तारी की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची के प्रावधान पर निर्भर करेगी।

144. हम फिर से दोहराते हैं कि गिरफ्तारी की शक्ति का अस्तित्व

ड्रग्स इंस्पेक्टर के साथ अवैध, अनधिकृत या अनावश्यक गिरफ्तारी करने के लिए दरवाजे खोलने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हर शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। गिरफ्तारी के प्रभाव को देखते हुए, कानून के अनुसार सख्ती से इसका प्रयोग करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग, उसके अधिकार के स्रोत को मान्यता देते हुए, अधिनियम की धारा 22

(1) (डी) के रूप में किया जाना चाहिए, जो अधिनियम के अध्याय IV या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है।

145. अधिनियम की धारा 33 पी इस प्रकार है:

" 33 पी. निर्देश देने की शक्ति। केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकती है जो प्रतीत हों -

केंद्र सरकार को इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान को राज्य में लागू करने के लिए आवश्यक होना चाहिए।

हम देखते हैं कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

राज्य में अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के निष्पादन में। यह केंद्र सरकार को इस सवाल पर विचार करना है कि क्या वह उक्त प्रावधान के तहत गिरफ्तारी की शक्ति के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है, जो हमने पाया है, बशर्ते कि हमने इस फैसले में क्या कहा है। 146. इसके अलावा, सी. आर. पी. सी. की धारा 58 में प्रावधान है कि पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करनी है जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि औषधि निरीक्षक को सी. आर. पी. सी. के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अलावा, रिपोर्टिंग की आवश्यकता का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिनके खिलाफ ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, हम यह भी मानते हैं और निर्देश देते हैं कि ड्रग्स इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अपने वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देगा।

भारत संघ v. अशोक कुमार शर्मा और अन्य [के. एम. जोसेफ, जे.]

147. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों के संबंध में प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इस दृष्टि से हमपुलिस अधिकारी द्वारा आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है। हालांकि, यह न्याय के हित में है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा एफ. आई. आर. जल्द से जल्द संबंधित औषधि निरीक्षक को सौंपी जाए। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए राजी हैं।

148. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रावधानों की समझ पर, पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की गई होगी

अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराध। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में इस विवाद का समाधान कर रहे हैं, हम यह निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं कि यह निर्णय, यह मानते हुए कि पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराधों के संबंध में गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, इस निर्णय की तारीख से

लागू होगा।149. इससे पहले कि हम अपने निर्णय के कार्यात्मक भाग पर आगे बढ़ें, हमें यह आशा व्यक्त करनी चाहिए कि जिन परेशान करने वाले मुद्दों को हमने हल किया है

गिरफ्तारी की शक्ति के संबंध में इस निर्णय के माध्यम से सक्षम विधायी निकाय को शामिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष/निर्देश

150. इस प्रकार, हम अपने निष्कर्ष/निर्देश निम्नानुसार निकाल सकते हैं:

के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराधों के संबंध में

आई.

अधिनियम, अधिनियम की धारा 32 और दंड प्रक्रिया संहिता की योजना को देखते हुए, पुलिस अधिकारी अपराधियों पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं।

ऐसे अपराधों के संबंध में। केवल धारा 32 में उल्लिखित व्यक्ति ही ऐसा करने के हकदार हैं।

हालाँकि, पुलिस अधिकारी को जाँच करने के लिए कोई रोक नहीं है।

II.

और उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाएँ जहाँ उसने एक अपराध किया है

अपराध, जैसा कि अधिनियम की धारा 32 (3) के तहत कहा गया है, यानी, यदि उसने किसी अन्य कानून के तहत कोई संज्ञेय अपराध किया है।सी. आर. पी. सी. की योजना को ध्यान में रखते हुए और

III.

अधिनियम की धारा 32 का अधिदेश और

अधिनियम के तहत ड्रग्स इंस्पेक्टर के पास जो शक्तियां उपलब्ध हैं और उसके कर्तव्य भी, एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय [2020] 10 एस. सी. आर. के संबंध में सी. आर. पी. सी. की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

संज्ञेय अपराधों के संबंध में निरीक्षक अधिनियम का अध्याय IV बिना किसी वारंट के और अन्यथा इसे संज्ञेय अपराध के रूप में मानता है। हालाँकि, वह डी. के. बसु (उपरोक्त) में निर्धारित कानून द्वारा बाध्य है और उसका पालन करने के लिए बाध्य है।

सीआरपीसी के प्रावधान। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समझ पर कि पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज कर सकता है, ऐसे कई मामले हैं जहां अधिनियम के अध्याय IV के तहत आने वाले संज्ञेय अपराधों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हम पदार्थ पाते हैं

विद्वान न्यायमित्र द्वारा लिया गया रुख और निर्देश कि यदि नहीं तो उन्हें औषधि निरीक्षकों को सौंप दिया जाना चाहिए

पहले से ही तैयार किया गया है, और यह ड्रग्स इंस्पेक्टर पर है कि वह कानून के अनुसार उसी पर कार्रवाई करे। हमें यह दर्ज करना चाहिए कि हम अनुच्छेद के तहत अपनी शक्ति का सहारा ले रहे हैं

142 इस संबंध में भारत का संविधान।

इसके अलावा, हम यह विश्वास करने के लिए इच्छुक होंगे कि गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित कानून की समझ पर कई मामलों में, जैसा कि वास्तव में, वर्तमान मामले के तथ्यों से प्रमाणित होता है, पुलिस अधिकारियों ने अधिनियम के अध्याय IV के तहत अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी की होगी। इसलिए गिरफ्तारी की शक्ति के संबंध में हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा निर्णय है कि पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में गिरफ्तारी करने की शक्ति नहीं है

अधिनियम के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराध, इस निर्णय की तारीख से प्रभावी होंगे।

हम आगे निर्देश देते हैं कि ड्रग्स इंस्पेक्टर, जो काम करते हैं गिरफ्तारी को न केवल गिरफ्तारी की सूचना देनी चाहिए, जैसा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 58 में दिया गया है, बल्कि तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तारी की सूचना भी देनी चाहिए।

हमारे निष्कर्षों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और तथ्यों के अधीन, विवादित निर्णय को बनाए रखें और अभिलेख की ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों के लिए हमारी सराहना को खारिज करें।

न्यायमित्र श्री एस. नागमुथु।

याचिका खारिज कर दी गई।